IAS GS World PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(जुलाई, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1. एआई समृद्ध होने का सपना	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू	2 जुलाई
2. ट्रम्प, पुतिन और पश्चिम का भविष्य	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस	3 जुलाई
3. एक अच्छी शुरूआत : कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	4 जुलाई
4. नागरिकों के लिए पुलिस	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	5 जुलाई
5. विधायिका को शक्ति	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	6 जुलाई
6. एक राजनीतिक चाल : एमएसपी में वृद्धि पर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	7 जुलाई
7. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	9 जुलाई
8. न्यायालय का राजा	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	10 जुलाई
9. चुनाव की स्थिति : चुनावी सुधार पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	11 जुलाई
10. धारा-377 और इससे आगे	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	13 जुलाई
11. संदिग्ध प्रतिष्ठा की एक सूची	पेपर-II (शासन व्यवस्था, शिक्षा)	द हिन्दू	14 जुलाई
12. स्वागत योग्य पहल : भारत के नेट न्यूट्रैलिटी नियमों पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	16 जुलाई
13. अतिदेय सुधार : कम्पनी अधिनियम की समीक्षा पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	17 जुलाई
14. मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताएं	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	18 जुलाई
15. भाषा की सही गणना	पेपर-I (कला और संस्कृति)	द हिन्दू	19 जुलाई
16. एमएसपी से संबंधित भ्रम	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	20 जुलाई
17. एक 'ऐतिहासिक' निर्णय में दोष	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	21 जुलाई
18. विश्वास योजना : 2019 की पूर्व राजनीति पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	23 जुलाई
19. बच्चों के लिए एक कानून	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	24 जुलाई
20. एक सुधार : इंटर क्रेडिटर समझौते पर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	25 जुलाई
21. डिटेंशन नो क्योर : ऑन आरटीई एक्ट अमेंडमेंट	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	26 जुलाई
22. क्या सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हो गया है?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	27 जुलाई
23. क्यों भारत का विवादास्पद डीएनए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द वायर	28 जुलाई
24. संरक्षण की परतें : भ्रष्टाचार विरोधी कानून में हुए बदलावों पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	30 जुलाई
25. द बिग फाइव ऐट-10	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	31 जुलाई

* * *

GS World Committed To Excellence

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक-
प्रियंका पुल्ला (संपादक)

''मौजूदा आंकड़ों को डिजिटाइज करना और स्पष्ट समय सीमा तैयार करना भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।''

हाल ही के एक चर्चा पत्र में, नीति आयोग ने भारत के लिए एक कृत्रिम बुद्धि (एआई) समृद्ध बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति तैयार की है। एआई एक कंप्यूटर का उपयोग है जो आमतौर पर इंसानों द्वारा लिए गए फैसले के लिए होता है। एआई के कई रूप पहले से ही भारत में मौजूद हैं, जिनमें खुदरा वेबसाइटों और कार्यक्रमों पर चैटबॉट शामिल हैं जो धोखेबाज बैंक गतिविधि पर नजर रहते हैं। लेकिन नीति आयोग द्वारा भारत के लिए एआई समाधानों को आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है, खासकर पांच प्रमुख क्षेत्रों - कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों और बुनियादी ढांचे, और परिवहन में। कृषि में, उदाहरण के लिए, मशीनें किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता बताने के लिए, कब बोआई की जाए, कहां हर्बीसाइड स्प्रे की जाए और कब कीट उपद्रव की अपेक्षा की जा सकती है। इस बड़ी संभावना के साथ एक विचार है: भारत में स्मार्टफोन वाले 30 मिलियन किसान हैं, लेकिन विस्तार सेवाएं खराब हैं। यदि कंप्यूटर युक्त कृषि विश्वविद्यालय किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं पर सलाह देते हैं, तो भारत में कृषि क्रांति देखने को मिल सकता है।

डेटा की कमी

हालांकि, यहाँ समस्याएं कई हैं। एआई स्टार्ट-अप पहले से ही कुछ समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन चुनौती इन्हें पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करने के लिए स्केल करने में निहित है, जैसा कि नीति आयोग ने कल्पना की है। पहली समस्या डेटा है। मशीन लर्निंग, एआई बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों का सेट है। यह इनपुट के रूप में ऐतिहासिक डेटा संग्रह करता है, डेटा तत्वों के बीच संबंधों की पहचान करता है और भविष्यवाणियां करता है। मशीन लर्निंग के अधिक परिष्कृत रूप, जैसे 'डीप लर्निंग', मानव मस्तिष्क की नकल करने का प्रयास करते हैं। और भले ही वे अधिक सटीकता के साथ जानकारी देते है, फिर भी उन्हें अधिक डेटा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारंपरिक मशीनों से सीखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, भारत में कृषि जैसे क्षेत्रों में डेटा दुर्लभ है और यह आज भी एआई-आधारित व्यवसायों में बाधा डाल रहा है।

उदाहरण के लिए, बेंगलुरू स्थित इंटेलो लैब्स। यह एक स्टार्ट-अप है जो कृषि मंडियों में खरीदारों को अनाज, फल या सब्जियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। सामान्य तौर पर, एक खरीदार दृढ़ता से निर्धारित करता है कि कीटों द्वारा गेहूं कितनी नष्ट हो सकती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया व्यक्तिपरक है और त्रुटि के लिए प्रवण है। विजुअल निरीक्षण खरीदार की विशेषज्ञता पर बहुत अधिक निर्भर करता है और भ्रष्ट बिचौलिये किसानों को धोखा दे सकता है। इसलिए, एक स्मार्टफोन आधारित एआई उत्पाद, जैसे इंटेलो लैब्स ग्रेडिंग ऐप, इस संदर्भ में मदद कर सकता है। इस उत्पाद को विकसित करने के लिए, इंटेलो लैब्स टीम को 2.5 मिलियन कृषि नमूनों को चित्रित करना पड़ा। विशेषज्ञों ने फिर इन तस्वीरों की पहचान की - एक श्रमिक प्रक्रिया जिसे एनोटेशन कहा जाता है। इसके बाद, टीम ने एक डीप लर्निंग वाली एल्गोरिदम लिखा, जिसे फोटो का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था। आज, एल्गोरिदम दिल्ली और राजस्थान जैसे कुछ बाजारों में 95% से अधिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन 12 बास्केट और कुछ राज्यों से परे अपनी टोकरी का विस्तार करने के लिए, इंटेलो लैब्स को ऐसी लाखों और छवियों की आवश्यकता होगी। यह एक निजी फर्म के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जब तक कि ऐसी छवियों को कृषि मंडियों में सरकार द्वारा स्वचालित रूप से एकत्रित, डिजिटलीकृत और सटीक नहीं किया जाता है। ऐसा डेटा संग्रह आज नहीं है। ष्आज का सबसे बड़ा कृषि डेटा सरकार के साथ है।

वास्तव में, डेटा की कमी का मतलब है कि डीप लर्निंग भारत की सभी कंपनियों के लिए काम नहीं करती है। एक उदाहरण जलवायु-कनेक्ट है, जो दिल्ली स्थित एक फर्म है, जो एआई का उपयोग करता है ताकि प्रत्येक 15 मिनट में सौर संयंत्र बिजली उत्पन्न हो सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम की स्थिति और सूर्य की स्थिति के आधार पर सौर बिजली उत्पादन हर घंटे नाटकीय रूप से बदल सकता है। 2022 तक भारत 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बना रहा है, ऐसे में एआई बिजली योजना में केंद्रीय भूमिका निभा सकते है।

लेकिन इस तरह के डेटा उत्पन्न करने के लिए, जलवायु कनेक्ट को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसे महतवपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है और क्लाउड कवर जहां संयंत्र स्थित है। दुर्भाग्यवश, चूंकि अधिकांश भारतीय सौर संयंत्र हाल ही के ही हैं, डेटा केवल कुछ वर्षों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि डीप लर्निंग को एक पीढ़ी की भविष्यवाणी करने के लिए कई वर्षों तक डेटा की आवश्यकता होती है। आज, फर्म पारंपरिक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करती है जैसे प्रतिगमन विश्लेषण जो कम डेटा के साथ काम करता है। इन तरीकों की लगभग 95% की सटीकता है। फर्म के कोफाउंडर नितिन तनवर कहते हैं, जबकि डीप लर्निंग जलवायु-कनेक्ट जैसे संचालन के लिए सटीकता को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन भारतीय परिदृश्य में यह बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है।

डोमेन की जानकारी

एआई फर्मों के लिए आज एक और समस्या सही लोगों की पहचान है। नीति आयोग की रिपोर्ट में के अनुसारः केवल 50 भारतीय वैज्ञानिक 'उच्च स्तरीय शोध' करते हैं और वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे अभिजात वर्ग संस्थानों में केंद्रित हैं। इस बीच, केवल 4% एआई पेशेवरों ने डीप लर्निंग जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों में काम किया है। लिंक्डइन के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में एआई में पीएचडी के साथ 22,000 लोगों में से भारतीय मात्र 386 ही है। अब यह कौशल अंतर कंपनियों को कैसे प्रभावित करेगा इसे समझना मुश्किल नहीं है?

क्या भारत वास्तव में दुनिया के 40% के लिए 'एआई गेराज' बन सकता है? चर्चा पत्र इस लक्ष्य के लिए कोई समयरेखा का उल्लेख नहीं करता है। लेकिन निष्पादन के लिए किसी भी उचित समय सीमा के लिए, तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले, अगर सरकार कृषि या स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने वाले एआई समाधानों के बारे में गंभीर है, तो इसे अपने मौजूदा कार्यक्रमों के तहत बेहतर डेटा एकत्र और डिजिटाइज करना होगा।

दूसरा, कौशल अंतर को कम करने के लिए, नीति आयोग ने बुनियादी और लागू एआई अनुसंधान संस्थानों का नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है। लेकिन अगर इन संस्थानों को अपना जनादेश पूरा करना है, तो उन्हें कृषि विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और बुनियादी ढांचे योजनाकारों के साथ मिलकर सहयोग करना होगा। एआई एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें कुछ क्षेत्रों के लिए समाधान विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को उन क्षेत्रों के घनिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट सहयोग के बारे में बात करती है।

तीसरा, नीति आयोग के महत्वाकांक्षी रोड मैप में समय सीमा या वित्त पोषण का उल्लेख नहीं है। इनके बिना, कुछ भी संभव नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द इन मोर्चों पर अपनी प्रतिबद्धताओं को निर्दिष्ट करना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 'बुद्धिमान' मशीन बनाने का विज्ञान है, जो एक बुद्धिमान मानव के दिमाग जैसे विश्लेषण करते हुए निर्णय ले सकता है। अर्थात एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।

पृष्ठभूमि

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5जी जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

प्रकार

- पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्म-चेतन

प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम , प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण , प्रवीण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली , वाक् पहचान, बुद्धिमान रोबोट

सरकार की प्रमुख रणनीति

- मानव मशीन की बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R & D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना।

बजट में

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।
- इसके पहले चीन ने अपने त्रिस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की सोच रहा है।

GS World Committed To Excellence

भारत में संभावनाएं	चिंताएं
◦ रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं। ◦ देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिये नवाचारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। ◦ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिये अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने में।	◦ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा। ◦ रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ◦ एक अध्ययन में बताया गया है कि केवल अमेरिका में अगले दो दशकों में डेढ़ लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। ◦ विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित में से कौन एआई की उपयुक्त व्याख्या करता है?

(a) एक प्रकार का कम्प्यूटर
(b) मानवीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करने वाला कम्प्यूटर का एक उपयोग
(c) एक प्रकार का साइबर अपराध
(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Which of the following most appropriately explain AI?

(a) A type of Computer
(b) An application of Computer emulating human cognitive actions.
(c) A type of Cyber Crime
(d) None of these

नोट : 30 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। यह भारत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्मार्ट शहरों/बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस कथन के आलोक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग तथा उनसे जुड़ी सावधानियाँ स्पष्ट कीजिये।

(250 शब्द)

Artificial intelligence has been a vivid topic in the center of the discussion for the past several decades. This will revolutionize the agriculture, education, health care, smart cities/infrastructure and transport sectors in India. Explain the use of artificial intelligence and the precautions associated with it in the light of this statement.

(250 Words)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

IAS PCS

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'2 जुलाई, 2018'

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

भारत में संभावनाएं

- रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्वाण्टम टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिये अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने में।
- देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिये सरकारों में विशिष्ट रूप से इसका उपयोग किया जाएगा।

बजट में

- इससे पहले चीन ने अपने विस्तृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनने की सोच रहा है।
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा।

सरकार की प्रमुख रणनीति

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन करना।
- मानव मशीन की बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

चिंताएं

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा।
- एक अध्ययन में बताया गया है कि केवल अमेरिका में आगामी दो दशकों में डेढ़ लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे।
- रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

क्या है ?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।
- इसके ज़रिये कम्प्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कम्प्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 'बुद्धिमान' मशीन बनाने का विज्ञान है, जो एक बुद्धिमान मानव के दिमाग का विश्लेषण करते हुए निर्णय ले सकता है। अर्थात एक मशीन में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।

पृष्ठभूमि

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5वीं जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर-कम्प्यूटर के विकास के लिये 10-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

प्रकार एवं अनुप्रयोग

प्रकार
पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्म-चेतना

प्रमुख अनुप्रयोग
कम्प्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्रवीण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली, वाक् पहचान, बुद्धिमान रोबोट

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

ट्रम्प, पुतिन और पश्चिम का भविष्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

3 जुलाई, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
सी. राजा मोहन
(निदेशक, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय)

''हेलसिंकी में सफल यूएस-रूस शिखर सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू-राजनीतिक क्रम को समाप्त करते हुए, भारत के लिए नए संभावनाओं का कारण बन सकता है।''

इस महीने के अंत में हेलसिंकी में रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात काफी चर्चा का विषय बन गया हैं। अब इस बैठक के विरोधियों को डर है कि पुतिन से कुछ मदद के साथ ट्रम्प, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा बनाये गये यूरेशियाई भू-राजनीतिक स्तर को खत्म करना शुरू कर देगा।

ट्रम्प, रुसी समकक्ष के साथ बैठक करने वाले एकलौते अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। विरोधियों के अनुसार, रूस के लिए ट्रम्प का स्नेह सही नहीं है। जब पश्चिमी संस्थानों के सबसे पवित्र अर्थात नाटो, जी-7, ईयू और डब्ल्यूटीओ की निंदा के साथ इसे मापा जाता है तो अटलांटिक प्रतिष्ठानों के डर को समझना और आसन हो जाता है।

देखा जाए तो कई ये चाहते है कि हेलसिंकी में वार्ता की विफलता ही एक अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। पिछले दो दशकों में अमेरिका-रूस संबंधों की स्थिर गिरावट को देखते हुए, इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। ट्रम्प के दो तत्काल पूर्ववर्ती बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बिना किसी सफलता के रूस के साथ मामूली एजेंडा आगे बढ़ाने की मांग की थी।

वाशिंगटन और मॉस्को के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करना काफी आसन है। हेलसिंकी शिखर सम्मेलन का वादा और संकट इस तथ्य से है कि अमेरिकी राष्ट्रपति परंपरागत ज्ञान को त्यागने के लिए तैयार है- न केवल रूस पर, बल्कि यूरेशिया में अमेरिका की भूमिका और इसके सहयोगियों के साथ इसके संबंधों पर। अगर अपरंपरागत सोच से नई संभावनाएं खुलती है, तो यह और अच्छी बात है।

हेलसिंकी शिखर सम्मेलन पर तीन विषयों पर हावी होने की संभावना है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर। दूसरा मध्य यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में क्षेत्रीय मुद्दों पर संभावित सहयोग पर। यूक्रेन पर एक सौदा रूस और अमेरिका-मध्य यूरोप के बीच संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र में गहन तनाव को दूर करना शुरू कर देगा। यह रूस के पुनर्गठन के लिए मार्ग को जी-7 और नाटो के रूप में खोल देगा। मध्य पूर्व में, अमेरिका-रूस सहयोग ईरान और सऊदी अरब के बीच हिंसक धार्मिक चरमपंथ और प्रॉक्सी युद्धों के उदय से प्रभावित क्षेत्र को स्थिर करने में मदद कर सकता है।

तीसरा, क्षेत्रीय प्रश्नों से परे, ट्रम्प और पुतिन परमाणु और पारंपरिक हथियार नियंत्रण के पुराने मुद्दों और साइबर युद्ध को विनियमित करने जैसे नए मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं।

चुनौती इस लिहाज से भी चिंताजनक है कि अगर भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा होता है तो एशिया में कोई और मजबूत साथी न पाकर रूस चीन का रुख कर सकता है, जो कि भारत के लिए किसी प्रकार से ठीक नहीं होगा। ऐसे ही रूस के साथ खड़े होने का अर्थ है कि अमेरिका सहित अपने तमाम यूरोपीय मित्र देशों के विरोध में खड़ा होना।

ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस कूटनीतिक चुनौती का मुकाबला किस प्रकार से करता है। हालांकि एक बात है जो रूस-अमेरिका के संबंध में भारत के पक्ष को लगभग सर्वकालिक रूप से बेहद मजबूत बनाती है और जिसके दम पर भारत अपना पक्ष दृढ़ता से रख सकता है, वह यह है कि रूस और अमेरिका दोनों ही देश किसी भी स्थिति में भारतीय बाजार की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते।

ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारत शीतयुद्ध जैसी इस कठिन परिस्थिति में भी अपने संबंधों का संतुलन कायम रखने में कामयाब साबित होगा। संभव है कि इजरायल और फलस्तीन के विवाद में मध्यस्थता के लिए जिस प्रकार भारत का नाम उठा था, वैसे ही इस विवाद में भी भारत कोई मध्यस्थ भूमिका निभाने में सक्षम सिद्ध हो सके।

यदि ट्रम्प की विरासत अटलांटिक विदेश नीति प्रतिष्ठानों की शत्रुता से बचती है, तो भारत सहित प्रमुख यूरेशियाई कलाकारों को क्षेत्रीय आदेश को आकार देने के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। बदले में, इसका मतलब यूरोसिया के गहरे आंतरिक विरोधाभासों का प्रबंधन करना होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका से परेशान हैं।

* * *

GS World टीम...

अमेरिका-रूस शिखर वार्ता

चर्चा में क्यों?

- ट्रम्प प्रशासन के तहत पहला अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन अगले महीने होने जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच के रिश्तों की खटास किसी से छुपी नहीं है।
- ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्डू ट्रंप कैसे व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हो गए?

शिखर वार्ता से जुड़ी कुछ अहम् बातें

- मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा है कि हम इसे (भेंट को) लेकर आशान्वित हैं। अगर हम चीजें दोस्ताना कर पाते हैं तो वह एक बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया को मधुर संबंधों के लिए शुरुआत करनी होगी।
- व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव लिंडसे वाल्टर्स ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के हित में यह जानने के लिए पुतिन से मिल रहे हैं कि रूस हमारे संबंधों में तरक्की चाहता है या नहीं। ट्रंप को उम्मीद है कि इस भेंट से तनाव कम करने में मदद मिलेगी और सकारात्मक साझेदारी हो पाएगी। इससे दुनिया में शांति एवं सुरक्षा के हालात में सुधार आएगा।
- व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स के मुताबिक दोनों नेता अमेरिका और रूस के बीच संबंधों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- इससे पहले ट्रंप ने पुतिन को मार्च में दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई दी थी, जिसके बाद पुतिन और ट्रंप ने बैठक करने पर चर्चा की थी।
- पुतिन के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने मॉस्को में कहा था कि दोनों नेता किसी तीसरे देश में मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही सम्मेलन के जगह और तारीख की घोषणा की गई।
- इस सम्मेलन में राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत होगी और इसकी समाप्ति संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के साथ होगी। दोनों नेता एक संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं।
- रूसी मीडिया के अनुसार पुतिन और बोल्टन ने विश्व में रणनीतिक स्थिरता, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण तथा निरस्त्रीकरण डोजियर पर विचार विमर्श किया।
- इसके अलावा दोनों ने सीरिया और यूक्रेन में हिंसा तथा उत्तर कोरिया, ईरान परमाणु समझौते पर भी चर्चा की।

वर्तमान में दोनों देशों के बीच विवाद का कारण

- कुछ समय पूर्व हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस पर हैकिंग के जरिये चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था।
- इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के 35 राजनयिकों को देश से चले जाने को कहा था और रूस की गुप्तचर एजेंसियों जीआरयू और एफएसबी पर भी प्रतिबंध लगा दिये थे।
- डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके तहत रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- इसके बाद, रूस ने अमेरिका से कहा कि जितने रूसी राजनयिक अमेरिका में पदस्थ हैं, वह इतने ही अमेरिकियों को अपने यहाँ दूतावास में रखेगा।

भारत और अमेरिका के बीच बढती दरार का कारण

- भारत ने ईरान से सभी तेल आपूर्ति पर कटौती करने से इंकार कर दिया है, जिससे अमेरका नाराज है।
- भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद की योजना पर।
- भारत द्वारा यू.एस. से आयातित कई वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाना।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कई मुद्दे / विवाद; व्यापार संरक्षणवाद; नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ पर विवाद; चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्य में कटौती पर विवाद।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हेलसिंकी में होने वाले यूएस-रूस शिखर वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. ट्रंप, रूसी समकक्ष के साथ बैठक करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है।
2. यह बैठक प्रत्येक वर्ष की जाती है।
3. इससे पूर्व यह बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क में तत्कालिन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा आयोजित की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) इनमें से काई भी नहीं

Q. Consider the following statements regarding the US-Russia Summit in Helsinki-

1. Trump is the first president meeting his counterpart.
2. This meeting is convened every year.
3. This meeting was organised in New York city by the then president Barak Obama before this.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2
(b) Only 3
(c) Only 2 and 3
(d) None of these

नोट : 02 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पहली बार अमेरिका-रूस में संबंध बेहतर करने की कवायद ट्रंप प्रशासन में देखी जा रही है, जो भारत के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

First time Trump Administration is seen making efforts to better US-Russia relations, which will also proved to be beneficial for India. Critically analyse this statement.

(250 Words)

अमेरिका–रूस शिखर वार्ता

IAS
PCS

स्रोत– इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल
'3 जुलाई, 2018'

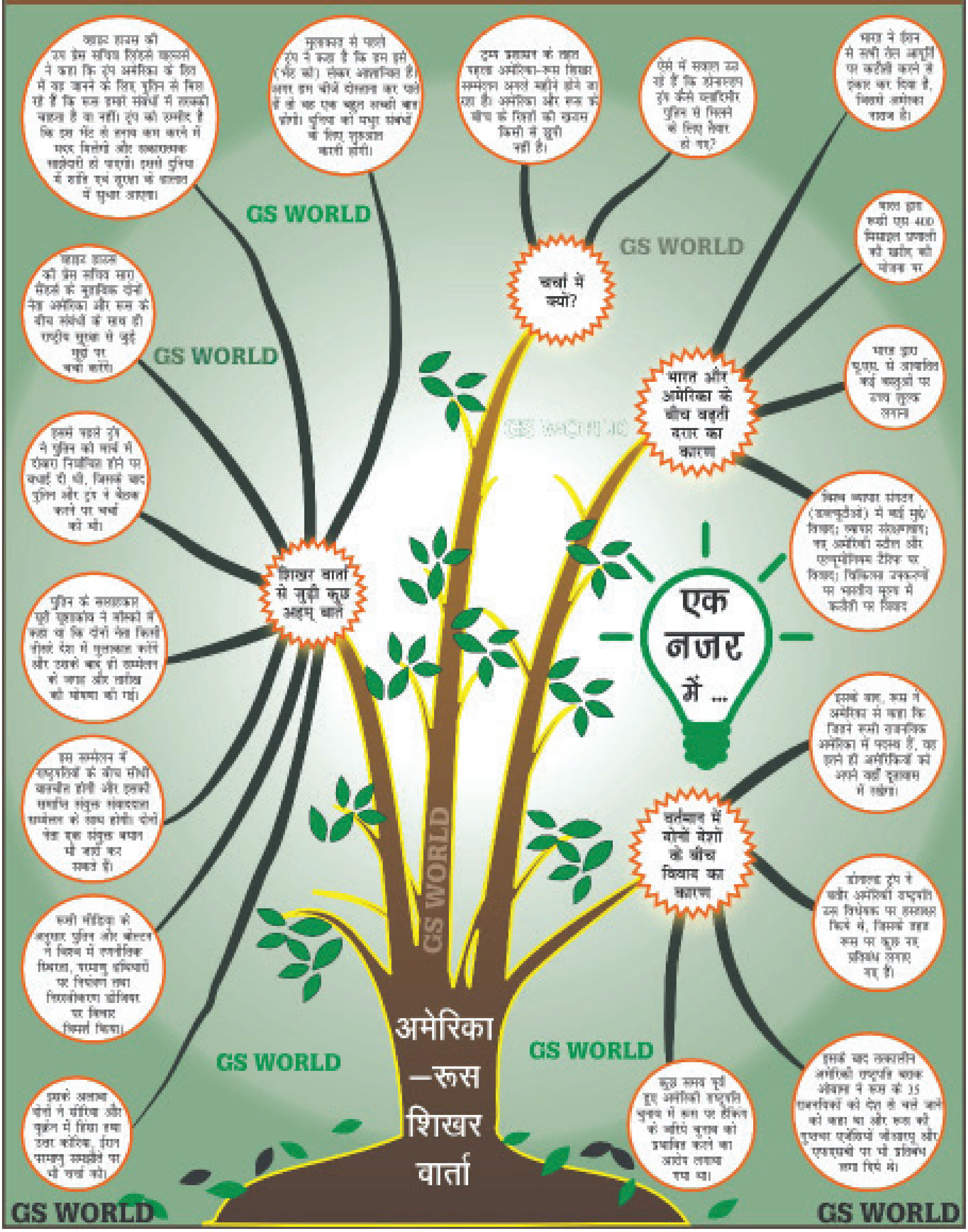

एक अच्छी शुरूआत : कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

4 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''कावेरी प्राधिकरण के साथ, यह बेसिन राज्यों के लिए सही समय है कि वे सभी विवादों को आपसी सहमती से समाप्त कर ले।''

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक संबंधित राज्यों के बीच रचनात्मक सहयोग के निरंतर चरण के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छी तरह से आयोजित हुई। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित किये गये कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के जल-साझाकरण फैसले को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा सीडब्ल्यूएमए का गठन किया गया था। सोमवार को अपनी बैठक में, कर्नाटक से जुलाई में 31.24 टीएमसीएफटी (हजार मिलियन घन फीट) पानी छोड़ने को कहा गया है।

यह हिस्सा ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार मासिक अनुसूची पर आधारित हैऔर प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, सामान्य वर्ष के दौरान मासिक जल छोड़ने के आधार पर जुलाई में तमिलनाडु को 34 टीएमसी फुट पानी दिया जाना चाहिए।

सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने सूचित किया कि जून में अच्छे मानसून की वजह से तमिलनाडु ने 3 टीएमसी फुट से ज्यादा पानी प्राप्त किया था।

केंद्र सरकार ने दक्षिण के तीन राज्यों-कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल व केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमोदित समाधान योजना को 1 जून को अधिसूचित किया था।

इसी के आधार पर केंद्र सरकार ने 23 जून को बोर्ड और उसकी तकनीक इकाई समिति का गठन किया था। हालांकि, समाधान योजना के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति के कारण कर्नाटक ने पहले अपने प्रतिनिधियों को नामित नहीं किया था, लेकिन समिति के गठन के एक दिन बाद ही सरकार ने दोनों निकायों के लिए अपने प्रतिनिधयों को नामित कर दिया था।

प्राधिकरण अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाय इसे सुनिश्चित करने के लिए, इसे वर्षा, प्रवाह और बहिर्वाह, फसल पैटर्न और जलाशयों से आवधिक निकासी पर डेटा एकत्र करने में राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। सीडब्ल्यूएमए मानसून के महीनों के दौरान हर 10 दिनों में एक बार मिलने की उम्मीद की गयी है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून लगभग एक महीने तक सक्रिय रहा हैऔर इस वर्ष सामान्य होने का भी अनुमान है। इसलिए, सीडब्ल्यूएमए को तमिलनाडु में पानी की रिहाई की देखरेख में किसी भी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जब तक कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में प्रवाह पर्याप्त होता है,तब तक बेसिन के निचले तटवर्तीक्षेत्रों में इसके अधिशेष पानी को जारी करने में कोई समस्या नहीं होगी। यह केवल आपदा वाले वर्ष में ही सीडब्ल्यूएमए को महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण का गठन केंद्र की अधिसूचना में चुनौती देने की योजना बना रहा है। यह विवाद दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि यह विवाद मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में जाता है तो।

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956के प्रावधान, यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करने के लिए एक योजना को सूचित करना केंद्र का कर्तव्य है।

संसद को इस योजना को संशोधित करने या इसे अपने हाल पर छोड़ देने कि शक्ति है, लेकिन कर्नाटक का यह दावा कि इस योजना को लागू होने से पहले संसदीय मंजूरी की आवश्यकता है, कई प्रश्न खड़ा करता है।

अब जब सीडब्ल्यूएमए कार्यात्मक हो गया है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को सहयोग की भावना के साथ आगे आना चाहिए और अंतरराज्यीय नदी के पानी को साझा करने के मुद्दे को सुलझाना चाहिए और फैसले को लागू करने में प्राधिकरण की मदद करना चाहिए।

सभी संबंधित पक्षों को मुकदमेबाजी के युग को पीछे छोड़ते हुए एक दुसरे का साथ चाहिए। इतने लंबे समय तक कानूनी विवाद में बंद होने के बाद, संबंधित सभी पक्षों को परस्पर लाभकारी जल-साझाकरण के एक नए युग की शुरुआत करनी होगी।

* * *

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दक्षिणी राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।
- बैठक में कावेरी के जलाशयों में जल भंडारण, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार कर्नाटक से तमिलनाडु को कावेरी का पानी जारी रखने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया।
- जिसमें प्राधिकरण ने कर्नाटक को जुलाई माह के लिए कावेरी नदी के पानी की निष्पक्ष रूप से संतुलित साझेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
- प्राधिकरण ने कर्नाटक से जुलाई में तमिलनाडु के लिए 31.24 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए कहा है।

गठन और संरचना

- केंद्र सरकार द्वारा 1 जून, 2018 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष एम. मसूद हुसैन होंगे।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य काफी व्यापक हैं, जिनमें कावेरी जल का विभाजन, विनियमन और नियंत्रण, जलाशयों के संचालन की निगरानी और जल निस्तारण का विनियमन आदि शामिल हैं।
- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक सचिव व आठ सदस्य होंगे। इन आठ सदस्यों में से दो स्थायी और दो अस्थायी सदस्य केंद्र सरकार की ओर से नामित होंगे।
- अन्य सदस्य तटीय राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी) व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा नामित होंगे।
- प्रत्येक वर्ष 1 जून को कावेरी नदी के जल-स्तर का अवलोकन करने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण व कावेरी जल विनियामक समिति की संयुक्त बैठक होगी।
- प्राधिकरण जून से अक्टूबर महीने के बीच, प्रत्येक 10 दिन में बैठक करेगा। इन्हीं महीनों के बीच में दक्षिण भारत में क्रमशः दक्षिणी-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी मानसून का आगमन होता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल कुछ तथ्य?

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के अनुसार कर्नाटक को 270 टीएमसीएफटी जल आवंटित किया गया था। वह अब बढ़कर 284.75 टीएमसीएफटी हो जाएगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित आदेश सुनाया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- पीठ ने इस याचिका पर अपना फैसला पिछले साल 20 सितंबर को सुरक्षित रखा था।
- प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण द्वारा केरल के लिए निर्धारित किए गए 30 टीएमसीएफटी और पुडुचेरी के लिए निर्धारित सात टीएमसीएफटी जल में कोई बदलाव नहीं होगा।
- शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के निवासियों की 4.75 टीएमसीएफटी पेयजल एवं 10 टीएमसीएफटी भूजल आवश्यकताओं के आधार पर कर्नाटक के लिए कावेरी जल का 14.75 टीएमसीएफटी आवंटन बढ़ाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि पेयजल को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

क्या है कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।
- इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान के लिये 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था।
- उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ था।
- इस बीच जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मामले को सुलझाने के लिये आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किये जाने का निवेदन किया।
- केंद्र सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। वर्ष 1991 में इसने एक अंतरिम फैसला दिया था। वर्ष 2007 में इसने अंतिम फैसला दिया। परन्तु कोई भी पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है।
- भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर विषय है। लगभग इसी तरह की समस्या कुछ अन्य नदियों के जल के बँटवारे को लेकर भी है। प्रत्येक राज्य इसी देश का हिस्सा है और राज्यों के बीच इस तरह का विवाद किसी के हित में नहीं है।

देश के महत्त्वपूर्ण नदी जल विवाद

1. नर्मदा नदी जल विवाद - गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान
2. माही नदी जल विवाद- गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश
3. गोदावरी नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश

GS World Committed To Excellence

4. यमुना नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
5. सतलज यमुना लिंक नहर विवाद - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
6. रावी और ब्यास नदी जल विवाद- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली
7. कावेरी नदी जल विवाद- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी
8. कृष्णा नदी जल विवाद- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
9. कर्मनाशा नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश और बिहार
10. बराक नदी जल विवाद- असम और मणिपुर
11. अलियार और भिवानी नदी जल विवाद- तमिलनाडु और केरल
12. तुंगभद्रा नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनार्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 में का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग(1983-88) की सिफरिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- **हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1896) :** इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।
- **संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1941) :** यह सिद्धांत, नदी जल केप्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- **न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत :** इसमें जरूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है, उदहारण के लिये- भारत के सन्दर्भ में सिंधु, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है।
- **परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत (1997) :** इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2018 को इसका गठन किया गया था।
2. इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और पाँच सदस्य हैं।
3. इसके अध्यक्ष एम. मसूद हुसैन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2
(b) 2 और 3
(c) इनमें से कोई नहीं
(d) केवल 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जल साझा करने वाले विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन पर अपनी राय देते हुए बताये कि यह इस विवाद को समाप्त करने में कितना सक्षम है?

(250 शब्द)

What are the constitutional provisions to solve water sharing disputes? Are they adequate? Give your opinion on the constitution of the Cauvery Water Management Authority, and also explain how much is it capable of ending this dispute?

(250 Words)

नोट : 03 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'4 जुलाई, 2018'

IAS
PCS

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

एक नजर में ...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दक्षिणी राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।
- बैठक में कावेरी के जलाशयों में जल भंडारण, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार कर्नाटक से तमिलनाडु को कावेरी का पानी जारी रखने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया।
- जिसमें प्राधिकरण ने कर्नाटक को जुलाई माह के लिए कावेरी नदी के पानी की निश्चित रूप से संतुलित साप्ताहिक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
- प्राधिकरण ने कर्नाटक से जुलाई में तमिलनाडु के लिए 31.24 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए कहा है।

GS WORLD

गठन और संरचना

- केंद्र सरकार द्वारा 1 जून, 2018 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष एस. मसूद हुसैन होंगे।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य काफी व्यापक हैं, जिनमें कावेरी जल का विभाजन, विनियमन और नियंत्रण, जलाशयों के संचालन की निगरानी और जल निस्तारण का विनियमन आदि शामिल हैं।
- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक सचिव व आठ सदस्य होंगे। इन आठ सदस्यों में से दो स्थायी और दो अस्थायी सदस्य केंद्र सरकार की ओर से नामित होंगे।
- अन्य सदस्य संबंधित राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी) व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा नामित होंगे।
- प्रत्येक वर्ष 1 जून को कावेरी नदी के जल-स्तर का अवलोकन करने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण व कावेरी जल विनियमन समिति की संयुक्त बैठक होगी।
- प्राधिकरण जून से अक्टूबर महीने के बीच, प्रत्येक 10 दिन में बैठक करेगा। इन्हीं महीनों के बीच में दक्षिण भारत में क्रमशः दक्षिणी-पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी मानसून का आगमन होता है।

GS WORLD

कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।
- इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु जिले में है। लगभग 750 किलोमीटर लंबी ये नदी कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगपट्टन, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मइलादुथुरई शहरों से गुजरती हुई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसके बेसिन में कर्नाटक का 32 हजार वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और इन दोनों राज्यों के बीच सिंचाई के लिये पानी की जरूरत को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है।

GS WORLD

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 में का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग (1983-88) की सिफारिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

GS WORLD

नागरिकों के लिए पुलिस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

5 जुलाई, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
प्रकाश सिंह
(पूर्व महानिदेशक, बीएसएफ और डीजीपी, यूपी और असम)

''पुलिस बल को दमघोंटू कार्यकारी से मुक्त करते हुए कानून के शासन को लागू करने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।''

पिछले 22 वर्षों से पुलिस सुधारों की लड़ाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2006 में ऐतिहासिक निर्णय देने के लिए 10 साल का समय लिया। तब से न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का संघर्ष चलता आ रहा है।

यह हमारे संस्थानों द्वारा किये जा रहे कार्य के सन्दर्भ में एक दुखद तथ्य है जहाँ राज्य सरकारें देश की उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति कम सम्मान दिखा रही है, क्योंकि उनके हिसाब से यह राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है। पुलिस सेट-अप में किसी भी संरचनात्मक बदलाव के विरोध में बड़े स्टार पर हित निहित हैं, जो हमे अंग्रेजों से विरासत में मिला है।

न्यायपालिका को फिर भी पुलिस सुधारों पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए, भले ही मामला अंधेरे सुरंग में ही क्यों ना हो। 3 जुलाई, 2018 को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दायर एक वादकालीन आवेदन-पत्र का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति में कोई विकृति नहीं है।

यह निर्धारित किया गया है कि राज्य मौजूदा डीजीपी की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले अपने प्रस्ताव भेजेंगे; ताकि यूपीएससी डीजीपी के पद के लिए उपयुक्त तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार कर सके; जिसके बाद राज्य पैनल के व्यक्तियों में से एक को नियुक्त करेगा।

यह विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक था, क्योंकि कई राज्य अपने राजनीतिक गणनाओं के अनुरूप इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का दुरुपयोग कर रहे थे। एक राज्य में, सेवानिवृत्त होने के एक घंटे पहले ही डीजीपी को अपने असाइनमेंट में नियमित किया गया था।

एक अन्य राज्य में, डीजीपी एक वर्ष से अधिक समय तक अभिनय क्षमता में था और उसके बाद नियमित रूप से, उसे तीन साल से अधिक का कार्यकाल दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन विचलनों की संज्ञान ली और राज्यों को नए नियम का पालन करने के लिए एक आधार प्रदान किया।

निश्चितरूप से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की सराहना की जानी चाहिए। हालांकि, तथ्य यह है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान यह एकमात्र सकारात्मक हस्तक्षेप रहा है। इस अवधि के दौरान, जस्टिस थॉमस कमेटी (2010) ने राज्यों द्वारा प्रदर्शित पुलिस के कामकाज में सुधार के मुद्दे पर कुल उदासीनता पर निराशा व्यक्त की थी।

दो साल बाद, सामूहिक बलात्कार की घटना के संदर्भ में आपराधिक कानून में संशोधन के लिए गठित जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी धारणा व्यक्त की थी कि यदि प्रकाश सिंह मामले के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देश लागू किए गए होते, तो यह पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता जो नागरिकता के लिए सेवा उन्मुख, कुशल, वैज्ञानिक और मानव गरिमा के अनुरूप सिद्ध होता। लेकिन, अफसोस की बात यह है कि उपर्युक्त दोनों रिपोर्टों में से किसी पर कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

इस बीच, भारत सरकार (जीओआई) 2014 में स्मार्ट पुलिस (SMART Police) की अवधारणा के साथ सामने आई – जिसके अनुसार, पुलिस सख्त और संवेदनशील, आधुनिक और गतिशील, सतर्क और उत्तरदायी, विश्वसनीय और जिम्मेदार, तकनीक-समझदार और प्रशिक्षित होगी। हालांकि, इस अवधारणा को वास्तविक बनाने के लिए एमएचए द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

राज्य निश्चित रूप से अनिश्चित थे। पुलिस में व्यवस्थित सुधारों के लिए राज्यों की उदासीनता का दीर्घकालिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, यह कहना गलत नहीं होगा कि यही उचित समय है कि भारत सरकार संविधान की 'समवर्ती सूची' में पुलिस को भी शामिल करे।

3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक छोटा कदम है, क्योंकि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देश के अनुसार राज्यों ने सुरक्षा आयोगों का गठन किया है, लेकिन इसके संयोजन को कमजोर बना दिया गया और इसके विशेषाधिकार को संक्षिप्त कर दिया गया।

कार्मिक विभाग द्वारा पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड के संबंध में न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है और इस तथ्य के अलावा पहले से गठित बोर्ड न्यायिक निर्देशों के अनुसार नहीं हैं। क्षेत्र में अधिकारियों को साल भर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कानून और व्यवस्था कार्यों से जांच को अलग करने में शिथिलता है। शिकायत अधिकारी आमतौर पर निष्क्रिय ही रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य इन संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, यहाँ पुलिस में भारी रिक्तियों को भरने और आवास, परिवहन, संचार और फोरेंसिक के संदर्भ में इसके बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

यह सब हासिल करने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन त्रासदी यह है कि कार्यकारी ने पुलिस सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखायी है। हमारे राजनेताओं को यह समझने की जरूरत है कि विकास को अच्छे कानून और व्यवस्था की ठोस नींव की आवश्यकता होती है।

हाल के अनुमान के मुताबिक, अपराध, आतंकवाद और बाहरी खतरों से आर्थिक विकास पर भारी गिरावट आई है और इनकी कीमत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत है, जो कि एक बहुत ही उच्च आंकड़ा है, जो चीन में 4 प्रतिशत और जापान में 3 प्रतिशत है।

अगर भारत अपनी स्थिति को एक महान शक्ति के रूप में हासिल करना चाहता है, तो यह बिल्कुल जरूरी है कि पुलिस का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जाए। दुर्भाग्यवश, ऐसे राजनेता हैं जो पुलिस के बिना अपने बेक और कॉल पर जीवित रहने के बारे में सोच नहीं सकते हैं।

ऐसे नौकरशाह हैं जिनके लिए पुलिस पर जोर देना एक लत बन गया है, वे हारने के लिए तैयार नहीं हैं। मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के समर्थन के साथ इन निहित हितों को सार्वजनिक राय के संयुक्त दबाव से गिना जाना चाहिए।

देश को एक और जमीनदारी प्रथा के उन्मूलन की जरूरत है जिसमें पुलिस बल को दमघोंटू कार्यकारी से मुक्त करते हुए कानून के शासन को लागू करने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त शासक पुलिस है और आज हमें नागरिकों के लिए पुलिस की जरूरत है। इसलिए परिवर्तन अतिदेय है।

* * *

GS World टीम...

पुलिस सुधार

पुलिस व्यवस्था क्या है?

- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
- पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पुलिस राज्य सूची (सूची II, भारतीय संविधान की अनुसूची 7) के तहत एक विशेष विषय है।

पुलिस सुधारों की जरूरत क्यों?

- अवसंरचनात्मक कमियाँ
- कार्यबल में कमी
- फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता
- अत्याधुनिक हथियारों की कमी
- वाहनों व संचार साधनों की कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की संवेदनहीनता
- विभिन्न समितियों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश
- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

इतिहास और संबंधित समितियां

- पहला पुलिस आयोग 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किया गया था। 1861 के पुलिस अधिनियम का अधिनियमन।
- 1902 में दूसरा पुलिस आयोग एएचएल फ्रेजर द्वारा भारत में पुलिस सुधार हेतु किया गया था।
- आजादी के बाद 1959 में केरेला ने पुलिस सुधार समिति की स्थापना की थी।
- पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी,
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग,
- पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति,
- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभाई कमेटी,
- प्रकाश सिंह बनाम संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार हेतु निर्देश
- सोलि सोराबजी समिति
- अपेक्षित सुधार
- भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में बदलाव
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 में बदलाव की आवश्यकता

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में पहला पुलिस आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था।
2. गोरे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है।
3. रिबेरो समिति पुलिस सुधार से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 2

(b) 1 और 3

(c) 2 और 3

(d) इनमें से कोई भी नहीं

Q. Consider the following statements-

1. First Police Commission in India was established after the Revolt of 1857.
2. Gore Committee is related to election reform.
3. Ribeiro Committee is related to Police reform.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2

(b) 1 and 3

(c) 2 and 3

(d) None of these

नोट : 04 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''अगर भारत अपनी स्थिति को एक महान शक्ति के रूप में हासिल करना चाहता है, तो यह बिल्कुल जरूरी है कि पुलिस का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जाए।'' इस कथन के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"If India wants to establish itself as a great Power, it is very important to reorganise and modernise the Police." In the reference of this statement which expected steps should be taken by the government to bring transparancy in the Police System? Discuss.

(250 Words)

पुलिस सुधार

Source - Indian Express Editorial
(5 July, 2018)

IAS
PCS

एक नजर में ...

पुलिस सुधार

पुलिस व्यवस्था

- पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकारित व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है।
- पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल को राज्य की रक्षा में शामिल सैन्य या अन्य संगठनों से अलग बल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- पुलिस राज्य सूची (सूची II, भारतीय संविधान की अनुसूची 7) के तहत एक विशेष विषय है।

इतिहास और संबंधित समितियाँ

- पहला पुलिस आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किया गया था। 1861 के पुलिस अधिनियम का अधिनियमन।
- 1902 में दूसरा पुलिस आयोग एएचएल फ्रेजर द्वारा भारत में पुलिस सुधार हेतु किया गया था।
- आजादी के बाद 1959 में केरल ने पुलिस सुधार समिति की स्थापना की थी।
- पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी,
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग,
- पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति,
- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभाई कमेटी,
- प्रकाश सिंह बनाम संघ- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधार हेतु निर्देश
- सोली सोराबजी समिति

आवश्यकता क्यों?

- असांरचनात्मक कमियाँ
- कार्यबल में कमी
- अत्याधुनिक हथियारों की कमी
- वाहनों व संचार साधनों की कमी
- पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- पुलिस की संवेदनहीनता
- फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता

अपेक्षित सुधार

- भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में बदलाव
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 197 में बदलाव की आवश्यकता
- लोकपाल कानून की जरूरत
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस को SMART अर्थात् संवेदनशील (SENSITIVE), आधुनिक (MODERN), सतर्क व जिम्मेदार (ALERT and ACCOUNTABLE), विश्वसनीय (RELIABLE) तथा तकनीकी क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित (TECHNO & SAVY and TRAINED) बनाने का आह्वान किया है।

विभिन्न समितियों एवं SC द्वारा दिये गए निर्देश

- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ" का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रस्तावित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

चुनौतियाँ

- भारत में पुलिस के पास खुफिया आंकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
- राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
- पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, निम्न स्तरीय एवं अप्रचलित किस्म के हैं।
- पुलिस को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है। अत: वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
- विभिन्न पुलिस विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है।
- पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।

विधायिका की शक्ति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

6 जुलाई, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
श्रवन फरसैट (अधिवक्ता)

''सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली सरकार के सभी क्षेत्रों में एलजी की भूमिका को सीमित कर दिया है।''

संवैधानिक खंडपीठ निर्णय मौलिक रूप से सरकारों के मार्ग को निर्धारित और बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के फैसले ने ठीक ऐसा ही किया है। पांच न्यायाधीशों ने तीन अलग-अलग निर्णयों के माध्यम से बात की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने खुद के लिए लिखा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, जबकि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपनी अलग राय लिखी, जो अंत में सीजेआई की राय से व्यापक रूप से सहमत था।

सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि 69वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 239एए को पेश करते हुए दिल्ली को विशेष दर्जा देने का उद्देश्य एक निर्वाचित विधायिका को कानून बनाने और प्रशासन की शक्तियों और इस तरह के विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की परिषद पर नियंत्रण देना था।

न्यायाधीशों ने स्पष्ट और दृढ़तापूर्वक से कहा कि दिल्ली में मंत्रियों की निर्वाचित परिषद है जिसे राज्य के सभी क्षेत्रों में कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, इसलिए भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है।

न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कहा कि मंत्रियों की परिषद के कार्यवाही के फैसले के लिए एलजी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल एलजी को निर्णय की जानकारी देना है, जिसे संवैधानिक बोल-चाल में 'सहायता और सलाह' (Aid and Advise) कहा जाता है। मंत्रियों की परिषद की यह सहायता और सलाह एलजी पर बाध्यकारी होगी। न्यायाधीश भी इस बात से सहमत हैं कि एलजी की अपनी कोई शक्ति नहीं है।

जबकि तीन विचार उन मामलों की बारीकियों पर भिन्न हैं जिन्हें एलजी द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया जा सकता है, वे सभी सहमत हैं कि यह नियमित मामलों में नहीं हो सकता है लेकिन मामला गंभीर और महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस तरह के संदर्भ लेखन और कारणों के आधार पर होना चाहिए।

इसके अलावा, जब निर्णय में नहीं कहा गया है, तो एलजी द्वारा कोई भी राष्ट्रपति संदर्भ संवैधानिक प्राधिकरण के किसी भी अन्य आदेश की तरह न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली में संवैधानिक शासन के तीन रूप हैं। पहले चरण में, 1950 से 1956 तक, जहाँ दिल्ली एक मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में भाग सी (Part C) राज्य था, जो प्रासंगिक अधिनियम के तहत सरकार के निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रियों की परिषद के साथ सरकार का नेतृत्व करती थी।

भाग सी राज्य अधिनियम, 1950 सरकार के तहत, मुख्य आयुक्त, जब उपस्थित थे, मंत्रियों की परिषद की बैठकों का हिस्सा बनना था। इसके अलावा, नई दिल्ली के संबंध में कोई भी निर्णय मुख्य आयुक्त की पूर्व सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता था।

दूसरे चरण में, 1956 से 1991 तक, जहाँ दिल्ली संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत एक प्रशासक के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति द्वारा शासित एक साधारण संघ क्षेत्र था। दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में एक कार्यकारी परिषद और अर्ध निर्वाचित मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जोड़ा गया, लेकिन एक केंद्रीय क्षेत्र के रूप में दिल्ली की समग्र स्थिति कायम रही।

तीसरा चरण, जो 1991 में 69वें संशोधन के साथ शुरू हुआ और आज तक जारी है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या ने दूसरे चरण में कार्यकारी परिषद की स्थिति या पहले चरण में मुख्य आयुक्त की परिषद को निर्वाचित सरकार प्रदान की थी, जो केवल सलाहकार निकाय थे, उन्हें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रदान नहीं थी।

संविधान बेंच ने संवैधानिक संतुलन बनाते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है।

सीजेआई ने अपने बहुमत के फैसले में यह भी कहा है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 239एए(3)(ए) से स्पष्ट रूप से बाहर किए गए प्रविष्टियों के संबंध में मामलों को छोड़कर राज्य में उल्लिखित मामलों और समवर्ती सूची तक विस्तारित किया गया है।

जैसा कि 'सेवाएं' अनुच्छेद 239एए (3) (ए) के तहत ऐसे बहिष्कृत मामलों में से एक नहीं है, इसलिए एनसीटी की सरकार के साथ सेवा करने वाले सिविल कर्मचारी भी दिल्ली की निर्वाचित सरकार के विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण में आएंगे। उपराज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे और मतांतर होने पर मामला राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है।

उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल के हर फैसले की सूचना दी जाएगी, लेकिन उसमें उनकी सहमति जरूरी नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल को संविधान का मंतव्य समझाते हुए मिल-जुलकर समन्वय से काम करने की नसीहत दी है।

इस प्रकार, केंद्र सरकार की 2015 अधिसूचना का आधार जिसने दिल्ली में निर्वाचित सरकार के डोमेन से 'राज्य सेवाओं' को बाहर करने की मांग की है, को चार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा अनिश्चित शर्तों में पूर्ववत कर दिया गया है। संविधान बेंच का निर्णय काफी सराहनीय और महत्वपूर्ण हैं।

केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्रालय को 2015 की अधिसूचना पर किसी भी स्थिति में 'सेवाओं' से संबंधित होने से पहले अटॉर्नी जनरल जैसे वरिष्ठ कानून अधिकारी की राय लेनी चाहिए। अब उम्मीद की जा रही है कि, सहकारी संघवाद की वास्तविक भावना के साथ दिल्ली अपने प्रशासन को शुरू करेगा, जिसकी उम्मीद संवैधानिक पीठ को भी है।

* * *

GS World टीम...

अनुच्छेद 239एए

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या करते हुए साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल दिल्ली के मुखिया जरूर हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं।
- पांच जजों के बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि असली ताकत मंत्रिपरिषद के पास है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों से उप-राज्यपाल को निश्चित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें उप-राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।

क्या है?

- इसके तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है और इसके प्रशासक उपराज्यपाल है।
- दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्र से अलग है।
- केंद्र शासित क्षेत्र होते हुए भी दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जहां अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित सीटों का प्रावधान है। विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है।
- दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है, जो विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।
- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं।
- दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं हैं। वह इनसे जुड़े कानून नहीं बना सकती है।
- ये तीनों अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं।
- केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाती है तो केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होगा।
- अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं।
- इमरजेंसी की स्थिति में उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं।

अनुच्छेद 239-AB क्या है?

- यह इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है।
- अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए।
- भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है।
- फैसले में संविधान के अनुच्छेद 239AA का बार-बार जिक्र किया गया और दोनों पक्षों को याद दिलाया गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, न कि राज्य।
- देश के सात केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है।

1991 का संविधान संशोधन

- 1991 में संविधान में 69वां संशोधन कर किया गया था, जिसके बाद अनुच्छेद 239AA और 239AB को लाया गया।
- दिल्ली एक आंशिक राज्य है, यह पूर्ण राज्य नहीं है। 1991 में संविधान में संशोधन से दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी।
- संविधान के हिसाब से दिल्ली के प्रमुख उपराज्यपाल हैं।1993 से दिल्ली में जो भी सरकार बनी, उसमें से किसी ने भी उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती नहीं दी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल के साथ अपनी शक्तियों को शेयर करना ही पड़ता है।
- दिल्ली जैसे आंशिक राज्य के मुकाबले दूसरे पूर्ण राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **संविधान का अनुच्छेद 239AA किस राज्य के प्रशासन से संबंधित है?**
   (a) नागालैण्ड
   (b) नई दिल्ली
   (c) उत्तर प्रदेश
   (d) गुजरात

2. **दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है?**
   (a) प्रशासक
   (b) उपराज्यपाल
   (c) मुख्य आयुक्त
   (d) राष्ट्रपति

3. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. दिल्ली के संदर्भ में अनुच्छेद 239AB का प्रावधान आपातकालीन स्थिति में लागू होता है।
   2. दिल्ली एक पूर्ण राज्य है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Article 239AA of the Constitution is related to the administration of which state?**
   (a) Nagaland
   (b) New Delhi
   (c) Uttar Pradesh
   (d) Gujarat

2. **By which name the Constitutional head of Delhi in known?**
   (a) Administrator
   (b) Lieutenant Governor
   (c) Cheif Commissioner
   (d) President

3. **Consider the following statements-**
   1. Provisions of Article 239AB relating to Delhi is applicable in the state of emergency.
   2. Delhi is a full state.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट : 05 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. दिल्ली के संदर्भ में 69वें संवैधानिक संशोधन की असफलता का मुख्य कारण राजनैतिक है ना कि संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर क्या आप ऐसा मानते हैं कि अब दिल्ली के प्रशासन में संवैधानिक तत्व ही हावी रहेंगे? अपने तर्क का औचित्य पेश कीजिए।

(250 शब्द)

The main reason of failure of 69th Constitutional Amendement relating to Delhi is politcal not Constitutional. Do you think on the basis of decisions of the Supreme Court that now only constitutional elements will dominate in the administration of Delhi? Provide the justification of your reasons.

(250 Words)

अनुच्छेद – 239एए

स्रोत– इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल
'6 जुलाई, 2018'

IAS
PCS

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या करते हुए साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल दिल्ली के मुखिया जरूर हैं, लेकिन उनके अधिकार सीमित हैं।
- पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि असली ताकत मंत्रिपरिषद के पास है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों से उप-राज्यपाल को निश्चित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें उप-राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।

1991 का संविधान संशोधन

- 1991 में संविधान में 69वां संशोधन कर दिया गया था, जिसके बाद अनुच्छेद 239AA और 239AB को लाया गया।
- दिल्ली एक आंशिक राज्य है, यह पूर्ण राज्य नहीं है। 1991 में संविधान में संशोधन से दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी।
- संविधान के हिसाब से दिल्ली के प्रमुख उपराज्यपाल हैं। 1993 से दिल्ली में जो भी सरकार बनी, उसमें से किसी ने भी उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती नहीं दी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल के साथ अपनी शक्तियाँ को शेयर करना ही पड़ता है।
- दिल्ली जैसे आंशिक राज्य के मुकाबले दूसरे पूर्ण राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है।

GS WORLD

एक नजर में ...

क्या है?

- इसके तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है और इसके प्रशासक उपराज्यपाल हैं।
- दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्र से अलग है।
- केंद्र शासित क्षेत्र होते हुए भी दिल्ली की अपनी विधानसभा है, जहां अन्य राज्यों की तरह सुरक्षित सीटों का प्रावधान है। विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है।
- दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है, जो विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।
- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अन्य राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं।
- दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के पास पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं हैं। वह इनसे जुड़े कानून नहीं बना सकती है।
- ये तीनों अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं।
- केंद्र और दिल्ली की सरकार अगर किसी एक मुद्दे पर कानून बनाती हैं तो केंद्र का कानून क्षेत्र में लागू होगा।
- अगर सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कोई मतभेद होते हैं तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकते हैं।
- इमरजेंसी की स्थिति में उपराज्यपाल फैसले ले सकते हैं।

GS WORLD

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए।
- भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है।
- फैसले में संविधान के अनुच्छेद 239AA का बार-बार जिक्र किया गया और दोनों पक्षों को याद दिलाया गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है न कि राज्य।
- देश के सात केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है।

GS WORLD

अनुच्छेद 239AB क्या है?

- यह इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है।
- अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।

अनुच्छेद – 239एए

GS WORLD

द हिन्दू

''एमएसपी में भारी वृद्धि से सभी किसानों को फायदा नहीं होगा, इसके लिए कृषि में सुधार की आवश्यकता हैं।''

खरीफ गर्मी की फसल के लिए केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जहाँ पिछले सीजन में अनाज रागी के लिए 52.5% और यूरद के लिए मामूली 3.7% तक की वृद्धि देखी गयी थी।

एनडीए सरकार का कहना है कि यह किसानों को उत्पादन की लागत का कम से कम 150% मूल्य प्रदान करने का वादा करता है। माना जाता है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इस साल के बजट में घोषित कृषि क्षेत्र की रणनीति के अनुरूप इस लागत-प्लस -50% सिद्धांत को अपनाते हुए आगे बढ़ा है।

गणना करते समय, यह वास्तव में किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली इनपुट लागत और क्षेत्र में लगे अवैतनिक पारिवारिक श्रम के लागू मूल्य के अनुमानों पर निर्भर था। फिर भी, कुछ फसलों के लिए घोषित अंतिम वृद्धि भी अधिक हैं जैसे बाजरे के लिए एमएसपी अनुमानित लागत से 97% अधिक है।

औसतन, 17 खरीफ फसलों के लिए अधिसूचित एमएसपी वृद्धि लगभग 25% अधिक है और 2013-14 के बाद से सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, यह घोषणा उन किसानों को मनाने की एक योजना है, जिन्होंने पिछले साल ग्रामीण संकट पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।

साथ ही देखा जाये तो, आम चुनाव के लिए एक साल से भी कम समय बचा है, एनडीए सरकार ने एमएसपी को तय करते समय प्रचुर मात्रा में, मुद्रास्फीति पर सावधानी बरतते हुए एक अच्छा विकल्प चुना है। वास्तव में, 2014 में कार्यालय संभालने के तुरंत बाद, उसने एमएसपी के ऊपर और बोनस देने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी थी।

यह देखते हुए कि एमएसपी तंत्र मुख्य रूप से गेहूं और धान के लिए आधिकारिक खरीद के माध्यम से लागू किया जाता है, अन्य फसलों के लिए कम कीमतों की घोषणा किसानों को रिटर्न प्रदान करने में पर्याप्त होगी, इसकी संभावना कम ही है।

इसका अनुमान लगाते हुए, बजट में वादा किया गया था कि नीति आयोग केंद्र और राज्यों के साथ एक तंत्र स्थापित करने के लिए काम करेगा ताकि किसानों को एमएसपी के नीचे गिरने पर पर्याप्त पारिश्रमिक मिल सके।

यह सरकारी खरीद या अंतर-वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से ही हो सकता है जिससे एमएसपी और बाजार की कीमतों के बीच अंतर किसानों को स्थानांतरित कर देता है। इसलिए, इस प्रयास के बारे में या इस साल के लिए केंद्र की खरीद रणनीति पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जैसे-जैसे कीमतें बढ़ेंगी, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर इस वृद्धि का प्रभाव 2018-19 के अंत तक 0.5% और 1% के बीच भिन्न होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, केंद्र के वित्तीय अंकगणित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, अगर खरीद पर इसका व्यय लगभग 15,000 करोड़ रुपये है, जो जीडीपी का लगभग 0.1% है।

लेकिन ये लागत खरीद रणनीति और एमएसपी प्रवर्तन के लिए नई तंत्र के आधार पर समस्या पैदा कर सकती है। जबकि इस आय-अनुकूल संकेत से ग्रामीण आय बढ़ सकती है, एमएसपी के कारण किसानों के विकल्पों पर विरूपणकारी प्रभाव को रोकने के लिए कृषि बाजारों को मुक्त करने के लिए संगत सुधार महत्वपूर्ण साबित होगी।

आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के तहत भारी स्टॉकहोल्डिंग सीमा को आसान बनाना और कृषि निर्यात पर लगातार प्रतिबंधों से बचना महत्वपूर्ण है।

* * *

GS World टीम...

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।
- खरीफ की सभी फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, धान, मूंगफली और कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा।
- धान का समर्थन मूल्य पहले 1,550 रुपए क्विंटल था, अब इसे 1,750 रुपए क्विंटल किया गया।
- 2012-13 में इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
- 2008-09 में धान पर एमएसपी में 155 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।

क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्यजिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है?
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है?
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है?
- मांग और आपूर्ति की स्थि ति क्या है?
- अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाता है।
2. देश में 25-26 कृषि उत्पादों पर समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 8 तिलहन के अलावा जटा वाले और छिले नारियल, कपास, जूट और तम्बाकू शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Q. Consider the following statements-

1. Minimum Support Price is fixed by the government on the recommendation of Commission for Agricultural Costs and Prices.
2. Government declares the support price for 25-26 agricultural products in the country which includes 7 Cereals, 5 Pulses, 8 Oilseeds and Coired and grated Coconut, Cotton, Jute and Tobacco.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट : 06 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(b), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लाभ को आधार बनाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जो किसानों के हित में कम और चुनावी चालबाजी अधिक मालूम पड़ती है।'' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

"Recently Central Government has increased the Minimum Support Price basing the profit of the farmers, which seems less in the interest of farmers and more on the electoral gains." Critically analyse the sentence.

(250 Words)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'7 जुलाई, 2018'

IAS
PCS

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

एक नजर में ...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।
- खरीफ की सभी फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, धान, मूंगफली और कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा।
- धान का समर्थन मूल्य पहले 1,550 रुपए क्विंटल था, अब इसे 1,750 रुपए क्विंटल किया गया
- 2012-13 में इसमें 170 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई थी।
- 2008-09 में धान पर एमएसपी में 155 रुपए क्विंटल की बढ़ोत्तरी हुई थी।

क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति।
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है।
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है।
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है।
- उत्पादन की लागत क्या है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

09 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसे फिर से बेहतर बनाने की कोशिश में जितना विलंब होगा, उतना ही ये दूसरे देशों को प्रभावित करता रहेगा।''

व्यापार युद्ध अंततः शुरू हो गया है। पिछले कुछ महीनों में कई खतरों का आदान-प्रदान करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने पिछले शुक्रवार को 34 बिलियन डॉलर के आयात पर 25% की टैरिफ लागू की थी।

यह चीन के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा व्यापार युद्ध के रूप में आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित करता है। निश्चितरूप से यदि व्यापार युद्ध व्यापक होता है, तो विश्व अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है।

ऐसा मालूम पड़ता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने साल की शुरुआत आयातित सौर पैनलों और वाशिंग मशीनों पर टैरिफ लगाकर की थी, ने संभवतया यू.एस. में सभी चीनी उत्पादों पर आयात कर लगाने की प्रतिज्ञा कर ली है, जो पिछले साल 500 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है।

चीन के खिलाफ श्री ट्रम्प द्वारा टैरिफ वृद्धि संभावित रूप से उन मतदाताओं के लिए है जो अपने 'अमेरिका फर्स्ट' अभियान में विश्वास करते हैं और चीन के साथ व्यापार घाटे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के नुकसान के रूप में देखते हैं।

हांलाकि, चीन ने भी सोयाबीन और ऑटोमोबाइल जैसे अमेरिकी निर्यात को लक्षित करके जवाब दे दिया है और यह एक ऐसा कदम है जो अमेरिकी राज्यों में नौकरी के नुकसान का कारण बन सकता है और साथ ही श्री ट्रम्प के मतदाता आधार को समायोजित कर सकता है।

यूरोपीय संघ, मेक्सिको और कनाडा जैसे अन्य प्रमुख अमेरिकी व्यापार भागीदारों ने भी विभिन्न अमेरिकी सामानों पर प्रतिशोध शुल्क बढ़ा दिया है।

एक वैश्वीकृत दुनिया में, कोई भी देश अगर टैरिफ में मनमाना वृद्धि करता है तो उसे ये भी समझना होगा कि इससे वह अपने आर्थिक हितों को भी प्रभावित कर रहा है।

अपने उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा, इन्हें कुछ सामानों के लिए उच्च कीमतों का भी भुगतान करना होगा और साथ ही यह टैरिफ उत्पादकों की आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित करेगा जो विदेशी आयात पर भरोसा करते हैं।

इसलिए यू.एस. और चीन दोनों, जो चल रहे व्यापार युद्ध के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, वे इस जैसे को तैसा वाले टैरिफ युद्ध में शामिल होकर अपने आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं।

व्यापार युद्ध से आने वाले समय में वैश्विक कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। चीन ने वर्ष 2017 में अमेरिका से 130 अरब डॉलर के उत्पादों का आयात किया था, जबकि अमेरिका ने चीन से 506 अरब डॉलर के सामान मंगवाए थे।

विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक 2017 में वैश्विक उत्पाद निर्यात 11 फीसदी वृद्धि के साथ 17.2 लाख करोड़ डॉलर रहा था। इस संदर्भ में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने का असर पड़ना लाजिमी है।

यू.एस. फेडरल रिजर्व जून नीति बैठक के कुछ मिनटों से पता चलता है कि व्यापार युद्ध के कारण आर्थिक अनिश्चितता पहले से ही अमेरिका में निजी निवेश को प्रभावित कर रही है, कई निवेशकों ने अपनी निवेश योजनाओं को वापस करने या देरी करने का फैसला किया है।

चीन, जो आर्थिक मंदी से लड़ रहा है, इसे भी उतना ही प्रभाव झेलना पड़ेगा। चल रहे व्यापार युद्ध नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी असर डालते हैं जो दशकों से देशों के बीच व्यापार विवादों को अच्छी तरह से संभालने में कामयाब रहा है।

यह यू.एस. को भी अलग कर सकता है, जिसने गंभीर बातचीत के माध्यम से मतभेदों को सुलझाने से इंकार कर दिया हैं। उदाहरण के लिए मार्च में 11 एशिया-प्रशांत देश अमेरिका छोड़ते हुए ट्रांस-पैसिफिक व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े थे।

विश्व अर्थव्यवस्था, जो रिकवरी के धीमे रास्ते पर है, उसे ऐसे अनावश्यक झटके से जल्द निकाला जाना चाहिए।

* * *

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- चीन और अमेरिका के बीच 6 जुलाई को व्यापार युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने करीब 70 अरब डॉलर मूल्य के एक-दूसरे के सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया।
- अमेरिका ने 6 जुलाई को 34 अरब डॉलर मूल्य के चीन के 818 सामानों पर कर लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने यह कदम चीन के कथित तौर पर व्यापार कार्यो में चालाकी और अमेरिकी कंपनियों पर चीन में व्यापार करने के लिए अपनी तकनीकी को सौंपने के दबाव के मद्देनजर सजा के तौर पर उठाया है।

भारत ने क्यों उठाया यह कदम?

- भारत ने स्टील-एल्युमिनियम पर शुल्क से राहत की मांग की थी, अमेरिका नहीं माना।
- भारत ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की मांग की थी, अमेरिका ने खारिज की।
- सुरेश प्रभु व्यापार वार्ता को जून में अमेरिका गए थे, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा।

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- विश्व के लिए व्यापार युद्ध कभी भी अच्छी नहीं रही है। पिछली बार दुनिया ने व्यापार युद्ध को 1930 के दशक में देखा था, जब देशों ने अपने व्यापार अधिशेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। नतीजतन दुनिया भर में भारी मंदी, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
- हांलाकि, पिछले 80 वर्षो में, एक पूर्ण व्यापार युद्ध का कभी प्रयास नहीं किया गया है। भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद, व्यापार युद्ध की कोई घटना नहीं हुई है।

भारत पर प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिशोध करना चुनता है तो 2022 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कमी 2.3 प्रतिशत तक हो सकती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचेगा और मुद्रास्फीति का कारण बनेगा, जिससे भारत की क्रय शक्ति और निवेश पर असर पड़ेगा।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति के कड़े होने से भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने के बदले भारत की पूंजीगत बहिर्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारतीय रुपये के मूल्य में कमी और राजनीतिक जोखिम से भारत की पूंजीगत प्रवाह पर असर पड़ सकता है।

लाभ

- अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध के कारण कम समय के लिए ही मगर व्यापार परिप्रेक्ष्य से ब्राजील और भारत जैसे देशों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- उदाहरण के लिए सोयाबीन के मामले में भारत के लिए अन्य बाजारों में प्रवेश करने के लिए खोलने के मामले में एक प्रभावशाली प्रभाव हो सकता है
- यूएस-चीन व्यापार युद्ध संक्रमण में तेजी ला सकता है। अमेरिकी कंपनियां जो चीन से आयात पर निर्भर करती हैं, उन्हें टैरिफ के आसपास अपनी आपूर्ति श्रृंखला को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर होना होगा।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनके आपूर्तिकर्ता चीन के बाहर वैकल्पिक सुविधाओं की तलाश करेंगे। यह चीन के लिए बुरी खबर है लेकिन भारत को लाभ पहुंचा सकता है।
- नई आपूर्ति श्रृंखलाओं की तलाश में भारत को चीन से बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं

- इस ट्रेड वॉर से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक रफ्तार कमजोर होगी और ट्रेडिंग सहयोगियों के आपस में रिश्ते बिगड़ेंगे। इस वॉर के कारण चीन, हॉन्ग- कॉन्ग और जापान के शेयर बाजारों में 3 फीसदी तक की गिरावट आई है, वहीं भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी कमजोर हुए हैं, जो निश्चित तौर पर नकारात्मक संदेश है।
- अमेरिका का यह कदम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ से भारत सहित कई देशों के लिए स्टील और ऐल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने के बाद उठाया गया है। जर्मनी, जापान या कोरिया सभी मुख्य ट्रेड सहयोगियों के साथ 2017 में अमेरिका ने व्यापार घाटा झेला है।
- वहीं इन दोनों देशों के बीच इस समय भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में हमें अमेरिकी प्रशासन के साथ सही दिशा में बने रहने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत की ओर से अमेरिकी फर्म को किए जा रहे निर्यात सेवा पर बुरा असर पड़ेगा।

* * *

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन ट्रेड वार के परिणाम नहीं हो सकते है?

(a) बेरोजगारी घटेगी

(b) आर्थिक रफ्तार कमजोर होगी

(c) बेरोजगारी बढ़ेगी

(d) इनमें से कोई नहीं

2. अमेरिका द्वारा भारत के विरूद्ध लगाए गए टैरिफ के क्या परिणाम हो सकते हैं?

(a) भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचेगा

(b) मुद्रास्फीति बढ़ेगी

(c) भारत में क्रय शक्ति और निवेश प्रभावित हो सकती है।

(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद व्यापार युद्ध की कोई घटना नहीं हुई है।
2. विश्व में 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन (महान आर्थिक मंदी) आया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

1. Which of the following cann't be the result of trade war?

(a) Decline in Unemployment

(b) Economic growth will become weak

(c) Rise in Unemployment

(d) None of these

2. What could be the result of tariff levied against India by America?

(a) Indian export will occur loss

(b) Inflation will rise

(c) Purchasing power and investment in India can get affected

(d) All of the above

3. Consider the following statements-

1. There had been no incident of tradewar for India atleast after our independence.
2. Great depresion happened in the world in the decade of 1930s.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

नोट : 07 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आप ऐसा मानते है कि अमेरिकी-चीनी व्यापार युद्ध के कारण विश्व पुनः एक बार आर्थिक मंदी की चपेट में जा सकता है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Do you consider that world can again be grippled by economic crisis due to America-China trade war? Discuss.

(250 Words)

व्यापार युद्ध : यू.एस.–चीन

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'9 जुलाई, 2018'

IAS
PCS

व्यापार युद्ध : यू.एस.–चीन — एक नजर में...

क्या है?

- जब दो या अधिक देश व्यापारिक कर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा देते हैं तो इसे व्यापार युद्ध (ट्रेड वार) कहते हैं।
- इससे आयात होने वाली चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जिससे वे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। इससे उनकी बिक्री घट जाती है।

चर्चा में क्यों?

- चीन और अमेरिका के बीच 6 जुलाई को व्यापार युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने करीब 70 अरब डॉलर मूल्य के एक-दूसरे के सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया।
- अमेरिका ने 6 जुलाई को 34 अरब डॉलर मूल्य के चीन के 818 सामानों पर कर लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने यह कदम चीन के कथित तौर पर व्यापक कार्यों में चालाकी और अमेरिकी कंपनियों पर चीन में व्यापार करने के लिए अपनी तकनीकों को सौंपने के दबाव के मद्देनजर सजा के तौर पर उठाया है।

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

- विश्व के लिए व्यापार युद्ध कभी भी अच्छी नहीं रही है। पिछली बार दुनिया ने व्यापार युद्ध को 1930 के दशक में देखा था जब देशों ने अपने व्यापार अधिशेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। फलस्वरूप दुनिया भर में भारी मंदी, जिसके परिणामस्वरूप 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन हुआ।
- हालांकि, पिछले 80 वर्षों में, एक पूर्ण व्यापार युद्ध का कभी प्रयास नहीं किया गया है। भारत के लिए, कम से कम अपनी आजादी के बाद, व्यापार युद्ध की कोई घटना, नहीं हुई है।

भारत ने क्या किया?

- भारत के निर्यात पर अमेरिका द्वारा शुल्क में बढ़ोतरी का करारा जवाब देते हुए भारत ने भी वहां से आयात किए जाने वाले 29 उत्पादों पर टैक्स में वृद्धि करने का फैसला किया है।
- इनमें से 28 उत्पादों पर यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी, जबकि आर्टेमिया (एक प्रकार का झींगा) पर वृद्धि 4 अगस्त से प्रभावी होगी।
- भारत ने पिछले हफ्ते ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को उन 30 उत्पादों की सूची सौंपी थी जिन पर वह 50 फीसदी तक शुल्क बढ़ा सकता है।
- भारत ने स्टील और एल्युमिनियम में उच्चतर शुल्क को लेकर अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में भी घसीटा है।
- भारत हर साल 1.5 अरब डॉलर मूल्य का स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका को निर्यात करता है। भारत का 2016-17 में अमेरिका को निर्यात 42.21 अरब डॉलर और आयात 22.3 अरब डॉलर रहा।

भारत पर प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिशोध करना चुनता है तो 2022 तक भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कमी 2.3 प्रतिशत तक हो सकती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारतीय निर्यात को नुकसान पहुँचेगा और मुद्रास्फीति का कारण बनेगा, जिससे भारत की क्रय शक्ति और निवेश पर असर पड़ेगा।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति के कड़े होने से भारत की वित्तीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने के कारण भारत की पूंजीगत खाते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारतीय रुपया के मूल्य में कमी और राजनीतिक जोखिम से भारत की पूंजीगत प्रवाह पर असर पड़ सकता है।

अन्य देशों द्वारा उठाया गया कदम

- ब्रिटेन ने कहा है कि इस्पात पर 25% आयात शुल्क अनुचित करना अवांछित है इससे सहयोगी देशों में बदले की भावना से की गई कार्रवाई का भय व्याप्त और दूरियाँ बढ़ेंगी।
- EU ने 10 पन्नों की लिस्ट जारी की है। इस पर उन अमेरिकी उत्पादों का जिक्र है जिन पर टैक्स लगाने की चेतावनी दी गई है। EU ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में भी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है।
- कनाडा 1 जुलाई से 13 बिलियन डॉलर की कीमत के अमेरिकी उत्पादों पर 25% शुल्क लगा सकता है।
- मेक्सिको भी अमेरिका से आयात होने वाले स्टील, पोर्क, सेब, अंगूर और पनीर पर टैरिफ लगा सकता है।

GS WORLD

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
प्रशान्त भूषण (अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट)

''सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई द्वारा मामलों के आवंटन में किये जा रहे शक्ति के दुरुपयोग को खत्म करने और इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने का मौका खो दिया है।''

मामलों की सुनवाई करने के लिए बेंच आवंटित करने के संबंध में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की भूमिका 'रोस्टर के मास्टर' के रूप में हाल ही में और विवादास्पद हो गया है, खासकर तब, जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस वर्ष की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजेआई पर संवेदनशील मामलों में बेंच आवंटित करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करते हुए सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि सीजेआई इस संस्था के प्रमुख हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं।

इस आरोप में उन्होंने जज लोया मामले का उल्लेख किया था। साथ ही उन्होंने सीजेआई को लिखे गये पत्र को भी जारी किया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन के संबंध में मामले का उल्लेख किया था।

संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और इसमें 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे, जब तक कि संसद द्वारा कानून लाकर इनकी संख्या में बदलाव नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 145 नियमों को फ्रेम करने की शक्ति पूरे अदालत को प्रदान करता है। इस प्रकार, संविधान मुख्य न्यायाधीश को विशेष रूप से यह तय करने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच कार्य और मामलों को कैसे आवंटित किया जाना चाहिए।

जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि न्यायपालिका के बारे में लोगों के मन में अगर धारणा कमजोर होती है तो यह न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं, जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समृद्ध परंपरा रही है। समय-समय पर यह सही साबित हुई है। लिहाजा, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।

हालांकि, अभी के फैसले के अनुसार यह बात सामने आई है कि सीजेआई ही रोस्टर का मालिक है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच मामलों को आवंटित करेगा।

ज्यादातर उच्च न्यायालयों में, मुख्य न्यायाधीश अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को प्रत्येक कार्यकाल के लिए रोस्टर बनाने के लिए सलाह देते है, जिससे मामलों का विभाजन होता है जिसके द्वारा प्रत्येक खंडपीठ को उन मामलों के विषय-वार क्षेत्राधिकार दिया जाता है, जिनकी वो सुनवाई करेंगे।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने कथित रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में विशेष समर्थकों के व्यक्तिगत मामलों के लिए रोस्टर के मास्टर के रूप में अपने प्रशासनिक अधिकार का दुरुपयोग किया था।

इस पृष्ठभूमि में शांति भूषण ने याचिका दायर की थी (जिसे अब रोस्टर याचिका के मास्टर के रूप में जाना जाता है) कि मामलों के आवंटन को अकेले सीजेआई द्वारा मनमाने ढंग से तय नहीं किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश, इस फैसले ने उस तथ्य को खारिज कर दिया जिसके द्वारा न्यायाधीशों के मामलों ने मुख्य न्यायाधीशों के अर्थ को नियुक्तियों के मामलों में वरिष्ठ न्यायाधीशों के 'कॉलेजियम' का अर्थ दिया था और इस प्रकार कॉलेजियम के विस्तार ने एससी में मामलों के रोस्टर को भी निर्धारित किया था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई द्वारा मामलों के आवंटन में किये जा रहे शक्ति के दुरुपयोग को खत्म करने और इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने का मौका खो दिया है। एक व्यक्ति के हाथों में इस शक्ति का होना लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है।

* * *

मास्टर ऑफ रोस्टर

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने सीनियर वकील शांति भूषण द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ आदेश दिया कि मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर है और विभिन्न पीठों को कब कौन सा मामला आवंटित किया जाएगा, इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

क्या है?

- मुख्य न्यायाधीश का ऐसा विशेषाधिकार, जिसके तहत वह मामलों की सुनवाई के लिये संवैधानिक पीठों का गठन करता है।
- जहाँ तक मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का प्रश्न है तो मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जजों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं।

क्या था आरोप?

- याचिकाकर्त्ता ने मुकदमों के आवंटन में सीजेआई पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इसमें कॉलेजियम के चार अन्य सदस्यों की सहमति को जरूरी बनाने का अनुरोध किया था।
- याचिकाकर्त्ता ने सीजेआई के मुकदमों के आवंटन के अधिकार पर भी सवाल खड़े किये थे।

पृष्ठभूमि

- जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस एम.बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के आवंटन संबंधी गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
- इसके बाद एक फरवरी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर जारी किया गया।
- उनका आरोप था कि चयनात्मक तरीके से मामलों का आवंटन हो रहा है, साथ ही उन्होंने कुछ न्यायिक आदेशों पर भी सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम आदेश

- मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर है और विभिन्न पीठों को कब कौन सा मामला आवंटित किया जाएगा, इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
- परपंरागत रूप से और बाद के फैसलों में सभी के द्वारा माना गया है कि चीफ जस्टिस बराबरी में सबसे पहले हैं।
- बेंच ने अशोक पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है कि चीफ जस्टिस एक संस्थान के रूप में हैं।
- सीजेआई ही केसों का बँटवारा करें, यह सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि अगर केसों के बँटवारे को कॉलेजियम तय करेगा तो कई जज कहेंगे कि यह केस उन्हें दिया जाए और इससे हितों का टकराव होगा।
- खंडपीठ ने 'कैम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबलिटी एंड रिफॉर्म्स' तथा अशोक पांडे से संबंधित मामले के फैसले को उचित ठहराया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ द रोस्टर की भूमिका कौन निभाता है?

(a) मुख्य न्यायाधिश
(b) न्यायधिशों का समूह
(c) प्रधानमंत्री
(d) राष्ट्रपति

2. निम्नलिखित में से संविधान का कौन-सा अनुच्छेद नियमों को फ्रेक करने की शक्ति पूरे अदालत को देता है?

(a) अनुच्छेद-124
(b) अनुच्छेद-127
(c) अनुच्छेद-142
(d) अनुच्छेद-145

3. निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा?

(a) अनुच्छेद-127
(b) अनुच्छेद-142
(c) अनुच्छेद-145
(d) अनुच्छेद-124

नोट : 09 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आसप ऐसा मानते है कि सीजेआई (सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश) द्वारा मास्टर ऑफ रोस्टर की भूमिका निभाने से सुप्रीम कोर्ट का लोकतांत्रिक चरित्र समाप्त हो जाएगा?

(250 शब्द)

Do you think that the democratic character of the Supreme Court will be lost if the CJI (Cheif Justice of the Supreme Court) plays the role of master of roster.

(250 Words)

मास्टर ऑफ रोस्टर

स्रोत– इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल
'10 जुलाई, 2018'

IAS PCS

एक नजर में ...

मास्टर ऑफ रोस्टर

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने सीनियर वकील शांति भूषण द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और विभिन्न पीठों को काम सौंपा या मामला आवंटित किया जाएगा, इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

क्या है?

- मुख्य न्यायाधीश का ऐसा विशेषाधिकार, जिसके तहत वह मामलों की सुनवाई के लिये संवैधानिक पीठों का गठन करता है।
- जहाँ तक मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने का प्रश्न है तो मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जजों को एक समान अधिकार प्राप्त है।

क्या था आरोप?

- याचिकाकर्ता ने मुकदमों के आवंटन में सीजेआई पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इसमें कॉलेजियम के चार अन्य सदस्यों की सहमति को जरूरी बनाने का अनुरोध किया था।
- याचिकाकर्ता ने सीजेआई के मुकदमों के आवंटन के अधिकार पर भी सवाल खड़े किये थे।

पृष्ठभूमि

- जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस एम.बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ द्वारा 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के आवंटन संबंधी गड़बड़ी का आरोप लगाया था।
- इसके बाद एक फरवरी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर जारी किया गया।
- उनका आरोप था कि चयनात्मक तरीके से मामलों का आवंटन हो रहा है, साथ ही उन्होंने कुछ न्यायिक आदेशों पर भी सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम आदेश

- मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर है और विभिन्न पीठों को काम सौंपा या मामला आवंटित किया जाएगा, इसका अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास ही रहेगा।
- परंपरागत रूप से और बाद के फैसलों में सभी के द्वारा माना गया है कि चीफ जस्टिस बराबरों में सबसे पहले हैं।
- बेंच ने अशोक पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है कि चीफ जस्टिस एक संस्थान के रूप में हैं।
- सीजेआई ही बेंचों का फैसला करें, यह सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि अगर बेंचों के फैसले को कॉलेजियम पर छोड़ा तो कई जज चाहेंगे कि वह केस उन्हें दिया जाए, और इससे हितों का टकराव होगा।
- खंडपीठ ने 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स' तथा अशोक पांडे से संबंधित मामले के फैसलों को उचित ठहराया।

द हिन्दू

''एक साथ चुनाव कराने पर ध्यान देने से अच्छा चुनावी सुधार पर ध्यान देना ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है।''

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि आखिर क्यों लोकसभा और राज्य सभाओं के चुनाव साथ-साथ आयोजित करने के विचार पर राजनीतिक दल पूरी तरह से विभाजित हैं। भारत के कानून आयोग द्वारा शुरू की गई परामर्श के दौरान, नौ पक्षों ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों तथा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और इसलिए यह अव्यवहारिक है।

चार पार्टियों ने इस अवधारणा का समर्थन किया। बीजेपी ने विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए समय मांगा है, हालांकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो इस विचार की वकालत कर रहे हैं।

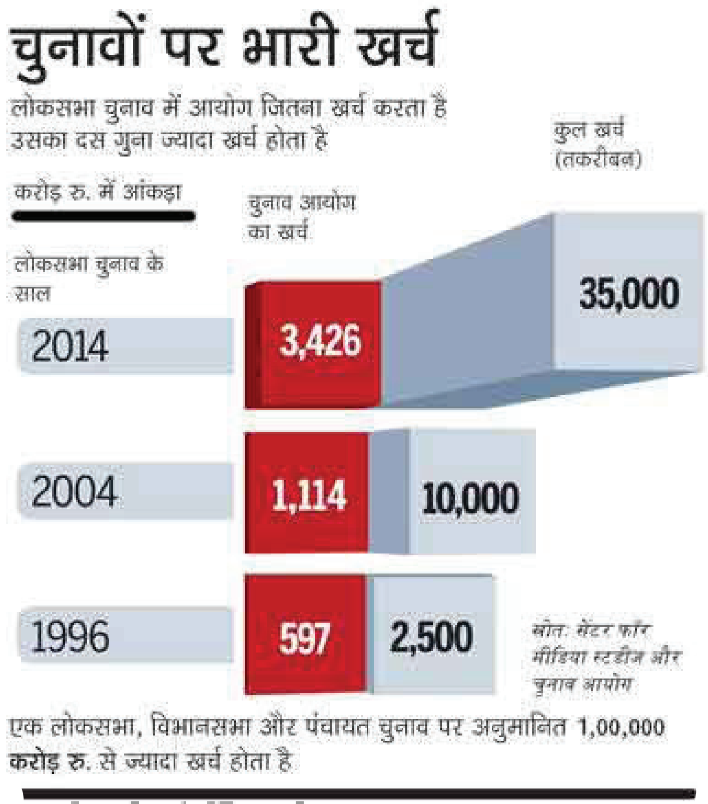

कांग्रेस ने प्रस्ताव के खिलाफ बात की है। सैद्धान्तिकरूप में, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विचार के स्पष्ट फायदे हैं - चुनाव व्यय में भारी कटौती होगी और सत्तारूढ़ व्यवस्था हमेशा अभियान मोड में रहने के बजाए कानून और शासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकेगी।

हालांकि, जैसा कि कई नेताओं ने इंगित किया है कि यह विचार व्यावहारिक कठिनाइयों से भरा हुआ है। साथ ही, कुछ पक्षों को डर है कि एक साथ चुनाव, विशेष रूप से इस युग में जहां समाचार आसानी से और व्यापक रूप से प्रसारित हो जाता है, क्षेत्रीय लोगों पर राष्ट्रीय मुद्दों का असर होने में वक्त नही लगेगा या तथ्य इसके विपरीत भी हो सकता है।

मुद्दा यह है कि समकालीन में सदन के कार्यकाल की कमी या विस्तार शामिल होगा - जिसमें कानूनी स्वामित्व संदिग्ध है।

चुनाव 2019 में एक समूह के लिए और 2024 में दूसरे के लिए आयोजित किए जा सकते है ताकि बाद के चुनावों को सिंक्रनाइज किया जा सके। या, चुनाव 2019 के चुनाव के साथ एक समूह के लिए आयोजित किया जा सकता है और शेष 30 महीने बाद, ताकि हर ढाई साल पर चुनावों का दौर चलता रहे।

बहुमत की कमी के कारण गिरने वाले सरकार की समस्या को हल करने का प्रयास 'कन्स्ट्रक्टिव वोट फॉर नो-कॉन्फिडेंस' के प्रस्ताव के साथ किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक शासन में विश्वास की कमी व्यक्त करने के प्रस्ताव को पारित करते समय, विधायकों को जरूरी विकल्प का प्रस्ताव पहले रखना होगा।

यदि मध्य-अवधि के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे सदन की अवधि केवल अपने कार्यकाल के शेष ही होगी। ये दो सिफारिशें द्रमुक द्वारा उठाए गए प्रश्न को आंशिक रूप से संबोधित करती हैं, जहाँ उन्होंने पूछा था कि क्या लोकसभा को समय-समय पर भंग करने से सभी असेंबली भंग हो जाएंगी?

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सभी पार्टियों के लिए चुनाव में अपना समय और संसाधन निवेश करने के लिए यह सुखद होगा जो उन्हें केवल एक कम अवधि के लिए जीत देगा।

हालांकि, इन सुधारों को एक साथ चुनाव के बिना भी अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, चुनाव में कई सुधारों की भी आवश्यकता है जिसमें चुनाव के समय काले धन के उपयोग को रोकना शामिल है।

ऐसे में 'एक देश, एक चुनाव' की बात करने वालों को इस बाबत भी अपना पक्ष साफ करना चाहिए कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होंगे तो वे इस आत्मा की रक्षा कैसे करेंगे? खासकर, जब इन दोनों चुनावों के न प्रत्याशी एक होते हैं, न परिस्थितियां और न मुद्दे। भावनाएं अलग-अलग होती हैं, सो अलग।

'एक देश, एक चुनाव'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विधि आयोग द्वारा पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने हेतु सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका।
- विधि आयोग के इस प्रस्ताव पर छह दल खुलकर इसके पक्ष में आए, वहीं नौ दलों ने इसका विरोध किया है।
- इनके अनुसार, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को खारिज करते हुए इसे देशवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

आवश्यक क्यों?

- स्थिरता और आर्थिक विकास प्रभावित
- आदर्श आचार संहिता का मुद्दा
- सुरक्षा का मुद्दा
- चुनाव: एक अविराम प्रक्रिया
- पक्ष में तर्क
- चुनावों पर होने वाले भारी व्यय में कमी
- चुनावों में होने वाले काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगेगा
- कर्मचारियों के प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन
- लोगों के सार्वजनिक जीवन में कम होंगे व्यवधान
- सीमित आचार संहिता के कारण सक्षम प्रशासन
- सांसदों और विधायकों का कार्यकाल एक ही होने के कारण उनके बीच समंवय बढ़ेगा
- विपक्ष में तर्क
- संवैधानिक प्रावधान कमी
- नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का लोप संभव

संघीय ढाँचे के विरुद्ध

- चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्राप्त होता है। एक साथ चुनाव कराए जाने से बेरोजगारी में वृद्धि होगी।
- यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन परिस्थितियों में भी चुनाव आवश्यक हो जाता है।
- देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
- एकीकृत चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।

चुनाव प्रणाली में ये 5 बदलाव करना चाहती है सरकार

1. प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी मदद मिलेगी।
2. बीजेपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है श्वन नेशन, वन इलेक्शन सिस्टम के तहत सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा। ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है।
3. स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है, अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है।
4. रिपोर्ट में हर साल होने वाले चुनावों की वजह से पब्लिक लाइफ पर पड़ने वाले असर की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। रिपोर्ट देश में दो चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश करती है।
5. नीति आयोग की ओर से दिए गए विमर्श पत्र के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने के पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ 2019 में कराए जाएं और फिर 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एकीकृत चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को नुकसान होना अनिवार्य है।
2. भारत में सिर्फ 1962 में एक साथ चुनाव कराए गए थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-कौन एक साथ चुनाव कराने के फायदे है?

(a) भारी न्याय में कमी
(b) सार्वजनिक जीवन में कम समाधान
(c) आर्थिक विकास प्रोत्साहित
(d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोकसभा का विघटन होता है पर राज्यसभा का विघटन नहीं होता।
2. लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. In integrated elections regional parties are bound to sufer loss than national parties.
2. In India, simultaneous election held only in 1962.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Which fo the following is the benefit of simultaneous election?

(a) Reduction in heavy expenditure
(b) Less disturbance in public life
(c) Encouragement of economic development.
(d) All of the above

3. Consider the following statements-

1. Lok Sabha is elected whereas Rajya Sabha is not elected.
2. The minimum age for Lok Sabha members is 21 years.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

नोट : 10 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. यद्यपि एक साथ चुनाव के अनेक लाभ है, परन्तु इसके नुकसान से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए।
(250 शब्द)

Though there are many benefits of simultaneous election, but its losses also cannot be rejected. Comment.
(250 Words)

‘एक देश, एक चुनाव’

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
‘11 जुलाई, 2018’

IAS
PCS

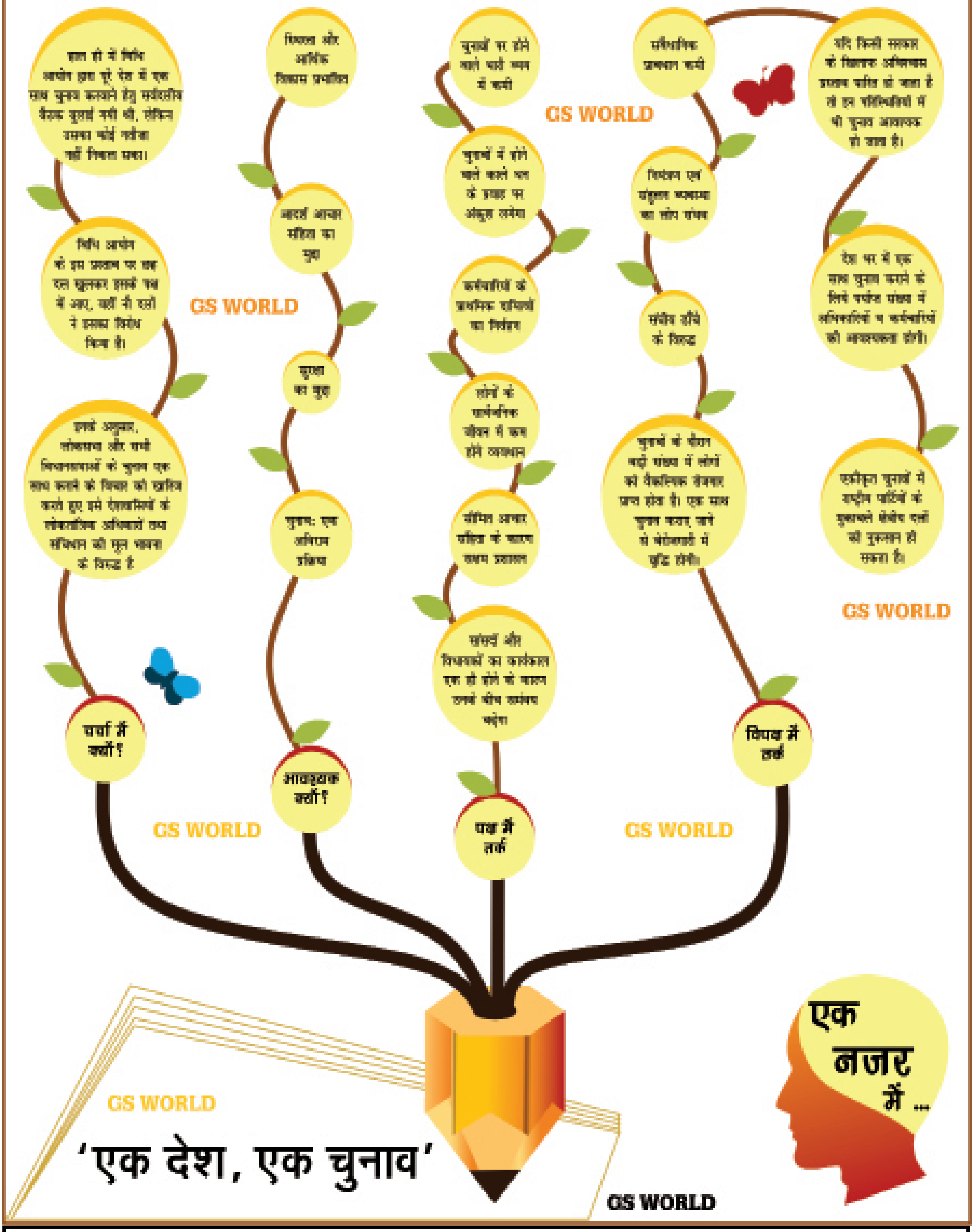

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

द हिन्दू

''केंद्र सरकार ने धारा 377 पर कोई स्टैंड न लेकर फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को केवल समलैंगिक यौन संबंधों को खत्म करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।''

हाल ही में समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार और रोचक बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई से यह संकेत मिलता है कि इनके प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव और सामाजिक कलंक अब जल्द ही खत्म हो जाएगा।

गौरतलब हो कि वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध के दायरे से मुक्त करने के फैसले को पलट दिया था। इस महीने इस मुद्दे पर शुरू हुए सुनवाई पर केंद्र का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हांलाकि, देखा जाये तो केंद्र सरकार इस मुद्दे का समर्थन बड़ी सावधानी से कर रही है, लेकिन एक निरपेक्ष कदम लेने से पीछे हटाना इसे संदेह के घेरे में ला रही है। धारा 377 की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़कर, केंद्र ने संकेत दिया है कि यह तब तक समान-सेक्स संबंधों के विघटन के विरोध में नहीं है जब तक कि यह निजी रूप से वयस्कों के बीच सहमति के कार्यों तक ही सीमित है।

साथ ही, इसकी स्थिति इस संभावना के खिलाफ है कि संविधान पीठ, वर्तमान में धारा 377 की वैधता को बनाए रखने के न्यायालय के 2013 के फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है, जहाँ इनके विवाह और इनके सम्मान से संबंधित एलजीबीटी के अन्य अधिकारों को शामिल किया जा सकता है।

इस मामले में जहाँ न्यायालय इससे जुड़े मुद्दों और अधिकारों पर पुनर्विचार का सोच रही है, अब समय आ गया है कि कोर्ट एक विस्तृत और स्पष्ट निर्णय दे ताकि इन्हें भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके।

भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत बेंच के न्यायाधीशों द्वारा किए गए अवलोकन से संकेत मिलता है कि ये अपना ध्यान केवल धारा 377 पर ध्यान केंद्रित कर रहे है।

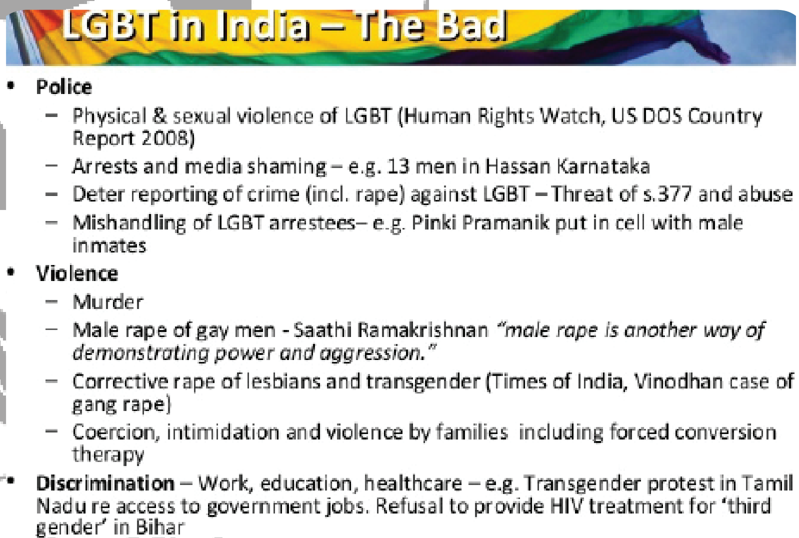

हालांकि, इनमें से एक न्यायाधीश ने पाया है कि इस मुद्दे से जुड़े प्रश्न केवल सेक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार और रिश्तों में उन लोगों की गोपनीयता के अधिकार से सम्बंधित है। वर्तमान में, पिछले साल के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारतीय संघ के मामले में नौ सदस्यीय बेंच के फैसले की पृष्ठभूमि के खिलाफ सुनवाई हो रही है, जहाँ कहा गया था कि गोपनीयता का अधिकार और यौन उन्मुखीकरण की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के मूल में निहित है।

हांलाकि, कुछ धार्मिक और रूढ़िवादी वर्गों द्वारा समलैंगिकता के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया चिंता का कारण बना हुआ है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि यदि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया जाता है तो, इससे समलैंगिक भागीदारों के बीच समान-सेक्स विवाह और इसे वैध बनाने की मांग की जा सकती है।

साल 2013 के दिसंबर में सुरेश कुमार कौशल ने सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच के सामने ये याचिका दायर की थी। ये याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के साल 2009 में दिए गए फैसले के विरोध में डाली गई थी।

कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि दो समान लिंग वाले लोगों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंध को अपराध नहीं माना जाएगा। बाद में याचिकाकर्ता ने पांच जजों की बेंच के सामने प्रार्थनापत्र दिया और इस मामले की सुनवाई में दखल की अपील की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पुरुषों को समलैंगिक संबंध बनाने की अनुमति देने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के अपराधीकरण से जुड़ी धारा 377 पर सुनवाई के दौरान कहा है कि सहमति से समलैंगिक यौन रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर करते ही एलजीबीटी समुदाय कलंक मुक्त हो जाएगा और उसके प्रति सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा।
- बतौर कोर्ट, एलजीबीटी समुदाय से भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाला है।

क्या है?

- इस धारा के तहत स्त्री या पुरुष के साथ अननैचुरल संबंध बनाने पर दस साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
- यह आईपीसी की धारा 377 के प्रकाकृतिक (अननैचुरल) यौन संबंध को गैरकानूनी ठहराता है।
- सहमति से 2 पुरुषों, स्त्रियों और समलैंगिकों के बीच सेक्स भी इसके दायरे में आता है।
- धारा 377 के तहत अपराध गैर जमानती है।
- इस अपराध में गिरफ्तारी के लिए वॉरंट की जरूरत नहीं होती
- 1862 में यह कानून लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा ऐसे लोगों के साथ भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाला है।
- पीठ ने मानसिक स्वास्थ देखभाल कानून के प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भी इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि लैंगिक रुझान के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से समलैंगिक समुदाय के साथ सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट से सिद्धांत तय करने की मांग की।
- कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका फैसला 'पब्लिक ओपिनियन' (समाज की अवधारणा) पर नहीं बल्कि कानून की वैधानिकता पर करेंगे।
- कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रहेंगे तो इससे जुड़ा सामाजिक कलंक और भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह धारा 377 (समलैंगिकता) के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यह धारा अप्राकृतिक यौनाचार को दंडनीय घोषित करती है।

मामले की पृष्ठभूमि

- दरअसल, आईपीसी की धारा 377 'अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों' और 'समलैंगिकता' को परिभाषित करती है और ऐसे संबंध बनाने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा दिये जाने की बात करती है।
- विदित हो कि वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहमति से बनाये गए समलैंगिक संबंधों को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
- लेकिन दिसंबर, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दोबारा इस धारा को इसके मूल स्वरुप में ला दिया। इसके बाद से ही इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठती रही है।

क्या है नैतिकता का मुद्दा?

- समलैंगिकता को वैध बनाने के विचार से असहमति रखने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि यह समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। हालाँकि इसके पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि नैतिकता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं बन सकती।
- दरअसल, किसी कृत्य के वैधानिक तौर पर गलत होने का निहितार्थ यह है कि वह नैतिक तौर पर भी गलत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो नैतिक तौर पर गलत है वह वैध ानिकता की दृष्टि से भी गलत हो। नैतिक तौर पर गलत कृत्य तभी वैधानिक तौर पर गलत हो सकता है, जब यह समाज को प्रभावित करता हो।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'धारा-377' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. यह आईपीसी की धारा-377 के अप्राकृतिक यौन संबंध को गैर-कानूनी ठहराता है।
   2. इसके तहत अपराध गैर-जमानती है।
   3. इस कानून को 1892 में लागू किया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 1 और 3
   (c) केवल 3
   (d) इनमें से कोई नहीं

2. धारा-377 का मुद्दा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
   (a) जीवन का अधिकार
   (b) गोपनीयता का अधिकार
   (c) आपसी सहमती का अधिकार
   (d) उपरोक्त सभी

3. न्यायमूर्ति के.एस. पुटुस्वामी बनाम भारतीय संघ का विवाद किससे संबंधित हैं?
   (a) अति पिछड़ा वर्ग
   (b) दलित वर्ग
   (c) एलजीबीटी समुदाय
   (d) महिलाएं

4. न्यायमूर्ति के.एस. पुटुस्वामी बनाम भारतीय संघ के निर्णयों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. गोपनीयता का अधिकार और यौन-उन्मुखीकरण की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद-14, 15 और 21 द्वारा गारण्टीकृत मौलिक अधिकारों के मूल में निहित है।
   2. यह निर्णय 9 जजों के बेंच द्वारा दिया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements about Section-377 :
   1. Section-177 of IPC declare unnatural sexual relation as illegal.
   2. The crime committed under it is non-bailable.
   3. This law was charted in 1892.

   Which of the above statements is/are incorrect?
   (a) Only 1 and 2
   (b) Only 1 and 3
   (c) Only 3
   (d) None of these

2. The case of Section-377 is related to which of the following?
   (a) Right to life
   (b) Right to privacy
   (c) Right to mutual consent
   (d) All of the above

3. The case of justice K.S. Puttaswamy v/s Union of India is related to-
   (a) Extreme Backward Caste
   (b) Dalit Class
   (c) LGBT Community
   (d) Women

4. Consider the following statements regarding the decision of the case of justice R.S. Puttaswamy v/s Union of India-
   1. Right to privacy and safety of sexual orientation are inherent in the core of guranteed fundamental rights under the article-14, 15 and 21 of the Constitution.
   2. This decision was given by a nine judge bench.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट : 12 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. एलजीबीटी (lesbian, gay, bisexual, and transgender) समुदाय के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ है? क्या समलैंगिक संबंधों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाना चाहिए? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और संविधान के अनुच्छेद 21 के विशेष संदर्भ के साथ समझाइये। (250 शब्द)

What are the challenges facing the LGBT community (lesbian, gay, bisexual, and transgender)? Should gay relations be decriminalized? Explain with section 377 of Indian Penal Code and special reference to Article 21 of the Constitution. (250 Words)

संदिग्ध प्रतिष्ठा की एक सूची

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था, शिक्षा) से संबंधित है।

14 जुलाई, 2018

द हिन्दू

लेखक-
पुलपरे बालकृष्णन (प्रोफेसर, अशोका विश्वविद्यालय)

''उच्च शिक्षा के लिए सरकार का अदूरदर्शी दृष्टिकोण की झलक इसकी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सूची में दिख जाता है, जो पूरी तरह से समाजशास्त्र की उपेक्षा करता है।''

सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए भारत के संस्थानों के बीच 'उत्कृष्ट संस्थानों' (आईओई) की एक सूची की घोषणा की है। इसका निर्माण शैक्षिक संस्थान को एक डरावनी नियामक के झुंड से बचाए जाने के उद्देश्य से किया गया है।

हमारे पास सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम मौजूद हो इसके लिए नियामक का गठन किया जाता हैं, लेकिन भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में विपरीत परिणाम देखने को मिले है। गौरतलब हो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने आधी शताब्दी से अधिक समय तक इस जगह को एक अकल्पनीय स्तर पर सूक्ष्म रूप से प्रबंधित किया है।

जिसके नतीजे के रूप में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालय सामने आये है, जो अंधेरे गुफाओं के कचरे में फसे हुए हैं। साथ ही यह हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को कम करते हैं और निम्न स्तर के 'ज्ञान' प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में भारत के उच्च शिक्षा नियामक की भूमिका के साक्ष्य को देखा जा सकता है। आईओई का दर्जा पाने के लिए देश भर से कुल 114 संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया था, जिसमें से 74 सरकारी और 40 निजी क्षेत्र के थे।

इनमें 11 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 27 राज्य विश्वविद्यालय, 10 राज्यों के निजी विश्वविद्यालय और 'इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉरटेंस', डीम्ड यूनिवर्सिटी, (तकनीकी डिप्लोमा आदि देने वाले) स्टैंड-अलोन संस्थानों के अलावा यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखने वाले संगठन भी शामिल थे।

यूजीसी के कामकाज पर सार्वजनिक क्रोध से सभी अवगत है, पिछले दशक में दो सरकारों ने उच्च शिक्षा के लिए नियामको की स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। नवीनतम पेशकश भारत के प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के रूप में है।

विचारों के साथ जुड़ाव

इस व्यवस्था ने पूर्वाग्रह की संभावना को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से सरकार अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों के अनुसार संस्थानों को पुरस्कृत करने के अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकती है। हालांकि यह लोकतंत्र में हमेशा से मौजूद खतरे है, लेकिन कोई संस्थागत व्यवस्था के सिद्धांत में नहीं हो सकता है, जिससे निर्वाचित सरकार धन आवंटित करने का अधिकार उपयोग करती है।

कोई भी केवल अपने हित में निष्पक्ष और उत्तरदायी होने के लिए इसपर दबाव डाल सकता है। भले ही इसे मापना असंभव ही क्यों न हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्कृष्टता को पहचानना मुश्किल है।

यहां तक कि जब हम एचईसीआई की प्रगति का निरीक्षण करते हैं, तो हम पाएंगे कि यह एक नई बोतल में पुरानी शराब से अधिक नहीं है। सरकार ने इस स्थिति के लिए तीन सार्वजनिक और तीन निजी संस्थानों का चयन किया है।

उत्कृष्ट संस्थानों को सार्वजनिक, निजी और ग्रीनफील्ड श्रेणी में बांटा गया है। इसके लिए 8 महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे और सरकार को 114 आवेदन मिले थे। वित्त मंत्री द्वारा 2016-17 के बजट भाषण के उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने की बात कही गई थी।

तब उन्होंने कहा कि 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों को विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए उन्हें नियामकीय ढांचा मुहैया कराया जाएगा।

सार्वजनिक संस्थान से भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू और दिल्ली और मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं। निजी क्षेत्र से बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी, जियो इंस्टीट्यूट और मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन शामिल हैं।

हम समझते हैं कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की कम उपस्थिति को सुधारना है, लेकिन देखा जाये तो यह सूची विश्वसनीयता की गंभीर कमी से ग्रस्त है।

विश्वविद्यालयों को नजरअंदाज करना

परिभाषा के अनुसार विश्वविद्यालय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान को शामिल करता हैं। ऐसा संभव है कि प्रारंभिक यूरोपीय विश्वविद्यालय कला अकादमियों के रूप में शुरू हुए होंगे, लेकिन जल्द ही वे मेडिसिन और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में शामिल हो गये जिसके बाद उन्होंने सब को पीछे छोड़ दिया।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक व्यापक क्षितिज में ज्ञान की गहराई पर जोर दिया गया था। भारत में हम इसी चीज को खो चुके हैं और यहाँ इंजीनियरिंग स्कूलों का प्रभुत्व साफ तौर देखा जा सकता हैं। इन इंजीनियरिंग स्कूलों में, विशेष रूप से आईआईटी, ने हमें गर्वांवित किया जरूर है, लेकिन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो पाया है जो यह दर्शाता है कि वे एक संकीर्ण डोमेन पर केंद्रित हैं।

साथ ही, यदि आईओई के पीछे का विचार यह है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा और उन्नत वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो हमे यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हाल तक आईआईटी में कोई दखल नहीं दी गयी थी और न ही वे संसाधनों के भूखे हैं।

आईआईएससी निश्चित रूप से आईआईटी की तुलना में व्यापक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और मानविकी को नही अपनाता है, जिसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक समझा जाता है।

यदि देश में प्रतिष्ठित संस्थानों की एक सूची की जरूरत है, तो आईओई की पहली सूची से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की अनुपस्थिति हजम नहीं होती है। यदि विचारों के वैश्विक क्षेत्र के साथ जुड़ाव का मानदंड स्वीकार किया जाता है तो जेएनयू भारत के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक के रूप में गिना जाना चाहिए।

अगर कोई भारतीय संस्था है जो वैश्विक कॉमन्स में बराबर है तो यह जेएनयू है। जेएनयू के शोध ने इतिहास से लेकर अर्थशास्त्र तक के ज्ञान के वैश्विक पूल में तैरने वाले विचारों को अपनाया है। इसके संकाय ने भारतीय छात्रों के लिए दुनिया के कई प्रमुख विचार सामने लाए हैं।

ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान में इसी तरह के प्रयास भारत में कहीं और नहीं हुए हैं, लेकिन जेएनयू ने शायद लंबे समय तक विश्वविद्यालय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी है।

आईओई की एक सूची तैयार करने के इस प्रकरण में हम यह देखने में सक्षम हैं कि एचईसीआई कोई अंतर ला पायेगा या नहीं। इसकी सदस्यता भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थागत वास्तुकला से अधिक मायने रखती है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3 सहित प्रतिष्ठित छह संस्थानों (आईओईएस) को सूचीबद्ध किया गया है।
- जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र से भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी, दिल्ली शामिल है।
- निजी क्षेत्र से जिओ इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन), पुणे;बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी, राजस्थान; और मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन;मणिपाल, कर्नाटक शामिल है।

शामिल होने से लाभ?

- उत्कृष्ट संस्थान की श्रेणी में शामिल होने से जियो यूनिवर्सिटी और दूसरे विश्वविद्यालयों की पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित होगी और उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद मिलेगी।
- वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों से बंधे नहीं होंगे। फीस निर्धारण और नए पाठ्यक्रमों के लिए उन्हें यूजीसी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
- वे यूजीसी की नियमित निगरानी से भी दूर रहेंगे। ये संस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- सरकार ने इनमें से प्रत्येक संस्थान के लिए 15 साल की एक योजना मंजूर की है।

विवाद में क्यों?

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) की तरफ से छह इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस) का दर्जा देने को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
- कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कॉरपोरेट फ्रेंड्स (उद्योगपति दोस्त) को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।
- एचआरडी मंत्रालय ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है।
- रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च की स्थापना कंपनी कानून 2013 की धारा 8 के तहत की गई है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एकल नियामक संस्था होगी जो केंद्रीय, निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिये सभी प्रकार के नियम तय करेगी।
- मंत्रालय केवल वित्तीय कामकाज संभालेगा, जिसके तहत विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान देना, स्कॉलरशिप राशि आदि का भुगतान करना भी शामिल रहेगा।
- आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा शुल्क के निर्धारण हेतु मानदंडों और प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करेगा और सभी के लिये शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को सलाह दे सकता है।
- अन्य नियामक संस्थाओं, मुख्य रूप से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के प्रमुखों को सम्मिलित करने से आयोग और मजबूत होगा।
- उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोकने के लिये पहली बार एचईसीआई एक्ट 2018 में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर सीपीसी के तहत तीन साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है।

संरचना

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कार्यकारी सदस्य, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और उद्योग जगत का एक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होगा।

GS World Committed To Excellence

- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें नेतृत्व क्षमता, संस्थानों का विकास करने की प्रमाणित योग्यता और उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यों की गहरी समझ होगी।
- आयोग का एक सचिव भी होगा, जो सदस्य सचिव के रुप में काम करेगा। सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- देश में मानकों के निर्धारण और उनमें समन्वय के लिये आयोग को सलाह देने के लिये एक सलाह समिति होगी।
- इसमें राज्यों की उच्च शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा की जाएगी।
- आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करेगा कि वे शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियों का विकास करें।

प्रमुख कार्य

- शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में असफल संस्थानों की निगरानी करना।
- शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिये मानक तय करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना।
- शैक्षिक मानकों को बनाए रखना।

शक्तियाँ

- यह आयोग फर्जी एवं मानकों पर खरा न उतरने वाले संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है।
- आदेश नहीं मानने वाले के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
- नए नियामक संस्थान को शैक्षणिक गुणवत्ता तय करने का अधिकार होगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 4 प्रतिष्ठित संस्थानों का चयन किया गया है।
2. सरकार ने इनमें से प्रत्येक संस्थान के लिए 12 वर्ष की एक योजना को मंजूरी दी है।
3. रिलायंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च की स्थापना कम्पनी कानून, 2013 की धारा-6 के तहत की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 2 और 3
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) इनमें से कोई नहीं

Q. Consider the following statements regarding Institute of eminence-

1. Three prestigious institutes from public sector and four prestigious institutes from private sector have been selected for it.
2. Government has approved a 12-year project for every institute among these.
3. Reliance foundation Institute of Education and Research has been established under section-6 of Companies.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 2 and 3
(b) Only 2
(c) 1 and 3
(d) None of these

नोट : 13 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c), 4(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3 सहित प्रतिष्ठित छह संस्थानों (आईओईएस) को सूचीबद्ध किया है। जिसके बाद से यह विवादों का सामना कर रहा है। क्या सरकार द्वारा जियो इंस्टीट्यूट को इस सूचि में रखने का निर्णय पक्षपात पूर्ण है? अपने मत के पक्ष में तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये।

(250 शब्द)

Recently, the government has listed the six prestigious institutions (IOEs), including three from the public sector and 3 from the private sector. Since then, it is facing disputes. Is the decision taken by the government to keep Jio Institute in this list is discriminatory? Present the answer with reason in favor of your thinking.

(250 Words)

स्वागत योग्य पहल : भारत के नेट न्यूट्रैलिटी नियमों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

16 जुलाई, 2018

द हिन्दू

लेखक-

पुलपरे बालकृष्णन (प्रोफेसर, अशोका विश्वविद्यालय)

''भारत अब सबसे मजबूत नेट न्यूट्रैलिटी नियमों में से एक है।''

दूरसंचार आयोग ने नेट न्यूट्रैलिटी पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय जो देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए सेवाओं के लाइसेंस तक पहुंचने के लिए संशोधन के लिए कॉल करने वाले कदमों का समर्थन करके आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेट न्यूट्रैलिटी के किसी भी उल्लंघन को लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। इसने कहा है कि वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) जैसी कुछ विशेष और उभरती सेवाओं को गैर-भेदभाव सिद्धांतों से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये इंटरनेट एक्सेस की समग्र गुणवत्ता की लागत पर नहीं हो सकते हैं।

इस स्वीकृति को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखे तो हम पाएंगे कि ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा सेवाओं के लिए अलग-अलग दरों को चार्ज करने से रोक दिया है (उदाहरण के लिए शून्य रेटिंग), जिससे भारत अब सबसे मजबूत नेट न्यूट्रैलिटी नियमों में से एक देश बन गया है। यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए।

नेट न्यूट्रैलिटी एक ओपन इंटरनेट का मूल सिद्धांत है जो आईएसपी द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। उपयोगकर्ता आईएसपी द्वारा किसी भी भेदभाव के बिना उसी भुगतान के जरिये किसी भी वेब लोकेशन तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र है।

इस प्रावधान ने इंटरनेट को प्रजातंत्रीय बनाने में मदद की है और कंप्यूटर की नेटवर्क प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाया है जो ई-कॉमर्स, सोशल इंटरैक्शन, ज्ञान प्रवाह और मनोरंजन जैसे अन्य कार्यों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है।

इंटरनेट मार्ग-निर्माता, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/आईपी प्रोटोकॉल सह-आविष्कारक विंट सेर्फ समेत ने लगातार कहा है कि नेट न्यूट्रैलिटी का सिद्धांत इंटरनेट की संरचना में ही बना है।

अन्य देशों में नेट न्यूट्रैलिटी से जुड़ा क्या है प्रावधान?

देश	प्रावधान
रूस 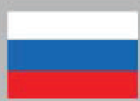	2016 में रूसी दूरसंचार नियंत्रण संस्था ने नियम बनाया कि कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी किसी वेबसाइट को रोकने या ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करेगी। सिर्फ उन साइटों को ब्लॉक किया जाएगा जिन्हें केंद्रीय दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी व मीडिया मंत्रालय ने रोक लगाई है।
अमेरिका 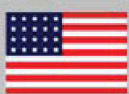	यहां नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। 2015 में जब यह बहस छिड़ी थी तो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में अपना मत रखते हुए नियम बनाए थे। बीते दिनों वहां की दूरसंचार नियामक संस्था एफसीसी ने इंटरनेट की आजादी छीनते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के हित में फैसला सुनाया।

नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए परतें और प्रोटोकॉल इस तरह से बनाए गए हैं कि नेटवर्क के भौतिक आधारभूत संरचना की प्रकृति के बावजूद पहुंच निर्बाध है। इसका श्रेय दूरसंचार आयोग और ट्राई को जाना चाहिए जिन्होंने इस सिद्धांत को भारत में कायम रखा।

इसके विपरीत, अमेरिका में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने बराक ओबामा द्वारा शुरू किये गए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को रद्द कर दिया था।हालांकि सबूत बताते हैं कि इस तरह के निवेश नियमों से प्रभावित नहीं थे।

इसे रद्द करने के लिए तर्क यह दिया गया कि आज इंटरनेट बहुत अलग है और कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जो पहले अधिक समतावादी वातावरण के विपरीत है और इसलिए, यह सिद्धांत अब अनावश्यक है।

यह भ्रामक है। उदाहरण के लिए, भारत में, इंटरनेट एक्सेस और उपयोग में तेज वृद्धि ने नई सेवाओं को बढ़ने में मदद की है। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों का पालन किया जाए।

* * *

नेट न्यूट्रैलिटी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दूरसंचार आयोग ने इंटरनेट के मामले में भेदभाव नहीं होने को लेकर (नेट न्यूट्रैलिटी) नियमों को मंजूरी दे दी है।
- ये नियम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर किसी सामग्री और सेवा के साथ किसी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाते हैं।
- साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दी जा चुकी है।

क्या है?

- नेट न्यूट्रैलिटी एक सिद्धांत है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी तरह के डाटा को एक ही तरह से तवज्जो देते हैं।
- साथ ही यह सिद्धांत यूजर, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन आदि पर लगने वाले अलग-अलग चार्ज को खत्म करता है।
- इंटरनेट के कंटेंट बिना भेदभाव सबको मिलें।
- इंटरनेट कंपनियां किसी भी कंटेंट के लिए शुल्क नहीं ले सकती।
- बिजली, पानी की तरह मूलभूत सुविधा हो नेट।
- पसंदीदा ग्राहकों को तरजीह नहीं दे सकतीं इंटरनेट कंपनियां।
- अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं देना होगा।
- यह शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टिम वू द्वारा 2003 में प्रथम बार उपयोग किया गया था।

लाभ

- कंपनियों द्वारा इंटरनेट की स्पीड कम करने की घटना इस सिद्धांत के आने के बाद खत्म हो जाएगी।
- कंपनियों द्वारा यूजर्स से अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग चार्ज लेने पर रोक।
- टेलिकॉम कंपनियां ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाली सर्विसेस को ब्लॉक या स्लो नहीं कर पाएंगी।
- कंपनियां किसी ऐसी एप के लिए फ्री डाटा नहीं दे पाएंगी जो कंपनी को अलग से पैसे देती है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- कंपनियाँ किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने, धीमा या अधिमान्य गति प्रदान करने जैसे कार्य नहीं कर पाएंगी।
- यह फैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा।
- दूरसंचार आयोग (दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा आठ माह पहले सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को मंजूरी दी है।
- कुछ उभरती और महत्त्वपूर्ण सेवाओं को इन मानदंडों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है।
- इन महत्त्वपूर्ण सेवाओं की जाँच करने के लिये दूरसंचार विभाग (Department of Telecom-DoT) के तहत एक अलग समिति की स्थापना की गई है। इनमें स्वायत्त वाहन, डिजिटल हेल्थकेयर सेवाएँ या आपदा प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. नेट न्यूट्रैलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी तरह के डाटा के एक ही तरह से तवज्जें देते है।
2. इस शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 2003 में किया गया था।
3. इसमें अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) 2 और 3
(b) केवल 3
(c) केवल 1
(d) 1 और 2

Q. Consider the following statements regarding Net Neutrality-

1. It is a theory in which, Internet Service Provider treats all types of data as same.
2. This word was first used in 2003.
3. Different charges have to be paid for different service in it.

Which of the above statements is/are incorrect?

(a) 2 and 3
(b) Only 3
(c) Only 1
(d) 1 and 2

नोट : 14 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. नेट न्यूट्रैलिटी के संदर्भ में दूरसंचार आयोग के हाल ही के फैसले के संदर्भ में बताएं कि आप नेट न्यूट्रैलिटी से क्या समझते है? भारत के संदर्भ में यह इतना क्यों महत्वपूर्ण है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

In the context of recent decision taken by the Telecom Commission regarding Net Neutrality, what do you mean by net neutrality? Why is it important in the context of India today? Discuss. (250 Words)

GS World Committed To Excellence

नेट न्यूट्रेलिटी

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'16 जुलाई, 2018'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दूरसंचार आयोग ने इंटरनेट के मामले में भेदभाव नहीं होने को लेकर (नेट न्यूट्रैलिटी) नियमों को मंजूरी दे दी है।
- ये नियम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर किसी सामग्री और सेवा के साथ किसी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाते हैं।
- साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दी जा चुकी है।

क्या है?

- नेट न्यूट्रैलिटी एक सिद्धांत है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी तरह के डाटा को एक ही तरह से तवज्जो देते हैं।
- साथ ही यह सिद्धांत यूजर, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफार्म, एप्लीकेशन आदि पर लगने वाले अलग-अलग चार्ज को खत्म करता है।
- इंटरनेट के कंटेंट बिना भेदभाव सबको मिले
- इंटरनेट कंपनियां किसी भी कंटेंट के लिए शुल्क नहीं ले सकती
- बिजली, पानी की तरह मूलभूत सुविधा हो नेट
- चयनित ग्राहकों को तवज्जो नहीं दे सकतीं इंटरनेट कंपनियां
- अलग-अलग सेवा के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं देना होगा
- यह शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टिम वु द्वारा 2003 में प्रथम बार उपयोग किया गया था।

लाभ

- कंपनियों द्वारा इंटरनेट की स्पीड कम करने की घटना इस सिद्धांत के आने के बाद खत्म हो जाएगी।
- कंपनियों द्वारा यूजर्स से अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग चार्ज लेने पर रोक।
- टेलिकॉम कंपनियां ग्राहक द्वारा कंज्यूम करने वाली सर्विसेज को ब्लॉक या स्लो नहीं कर पाएंगी।
- कंपनियां किसी ऐसी एप के लिए फ्री डाटा नहीं दे पाएंगी जो कंपनी को अलग से पैसे देती है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रकार के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- कंपनियां किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने, धीमा या अधिमान्य गति प्रदान करने जैसे कार्य नहीं कर पाएंगी।
- यह फैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडरों, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा।
- दूरसंचार आयोग (दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा आठ माह पहले सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को मंजूरी दी है।
- कुछ उभरती और महत्वपूर्ण सेवाओं को इन मानदंडों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है।
- इन महत्वपूर्ण सेवाओं की जाँच करने के लिये दूरसंचार विभाग (Department of Telecom & DoT) के तहत एक अलग समिति की स्थापना की गई है। इसमें स्वचालित वाहन, डिजिटल हेल्थकेयर सेवाएँ या आपदा प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं।

GS WORLD

अतिदेय सुधार : कम्पनी अधिनियम की समीक्षा पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

17 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''कंपनी अधिनियम के अत्यधिक कठोर प्रावधानों पर फिर से समीक्षा करने का फैसला बेहतर साबित हो सकता है।''

केंद्र ने कंपनी अधिनियम, 2013 के कई प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में दस सदस्यों की एक समिति का गठन करने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें कठोर दंड शामिल है और कुछ मामलों में, निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए जेल के प्रावधान को भी शामिल करता है।

इस कंपनी अधिनियम, 2013 ने देश के मौजूदा आर्थिक माहौल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 को कुछ हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013; नए उद्यमियों को ज्यादा अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कंपनियों को अपने संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अब, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा नियुक्त इस 10 सदस्यीय समिति को यह जांचने का काम सौंपा गया है कि कुछ अपराधों को अपराधीकरण किया जा सकता है या नहीं।

कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे अपराधों का निपटारा आंतरिक प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, जहां चूक के दृष्टांतों में दंड लगाए जा सकते हैं।

पैनल, जिसमें शीर्ष बैंकर उदय कोटक शामिल हैं, को यह पता लगाने के लिए 30 दिन दिए गए हैं कि कुछ उल्लंघन जो कारावास को आकर्षित कर सकते हैं (जैसे निर्देशकों द्वारा लिपिक विफलता उनके हितों के बारे में पर्याप्त खुलासा करने के लिए) क्या उसे मौद्रिक जुर्माना के साथ नहीं बदला जा सकता है।

यह भी जांच करेगा कि यदि अपराध जुर्माना या कारावास के साथ दंडनीय है तो नागरिक कृत्यों को आकर्षित करने वाले कृत्यों के रूप में फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति से एक निर्वाचन तंत्र के लिए व्यापक रूप से सुझाव देने के लिए कहा गया है जो अधिकारियों को न्यूनतम विवेकाधिकार के साथ मामूली उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की बात कहता है। वास्तव में, कानून में कुछ प्रावधान इतने कठोर हैं कि एक वर्तनी गलती या टाइपोग्राफिकल त्रुटि भी धोखाधड़ी के रूप में समझा जाता है।

सरकार चाहती है कि नियामक शासन में ऐसे बदलाव के बाद ट्रायल कोर्ट गंभीर अपराधों पर अधिक ध्यान दे। देखा जाये तो 2013 कानून में कॉर्पोरेट दुर्व्यवहारियों के लिए कठोर दंड और जेल की शर्तों को शामिल किया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय देश में प्रचलित उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी प्रवचन से प्रभावित था।

दूसरी यूपीए सरकार के दौरान क्रोनी पूंजीवाद (Crony Capitalism) के कई मामलों के अलावा, भूतपूर्व सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज जैसी सम्मानित फर्मों ने बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की है, जो निवेशकों और अन्य हितधारकों को कॉर्पोरेट इंडिया की किताबों और प्रशासन मानकों की विश्वसनीयता को कमजोर बनाया।

जब मई, 2014 में एनडीए सत्ता में आई, तो कंपनी अधिनियम की व्यापक समीक्षा उद्योग की इच्छा सूची के शीर्ष पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साधन के रूप में थी।

उद्योग के कप्तानों ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस और सामान्य रूप से निवेशक भावनाओं पर ऐसे प्रावधानों के प्रभाव को फिर से ध्वजांकित किया था। एक उम्मीद है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव मोड में फिसल जाने से पहले इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 पर समीक्षा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कंपनी कानून के तहत दंड के प्रावधानों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है।
- यह समिति कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने की जांच करेगी। श्री पियूष गोयल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।

क्या है?

- संसद द्वारा पारित कंपनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।
- कंपनी अधिनियम, 2013; भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस और निगरानी प्रक्रियाओं को विश्व में प्रचलित अच्छे मापदंडों के अनुसार बनाना चाहता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 को 30 अगस्त को भारत में लागू किया गया था।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 470 वर्गों में से 326 अनुभागों को अधिसूचित कर दिया है, जबकि बाकी 144 अनुभागों को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कंपनी मामले मंत्रालय का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उन अपराधों की समीक्षा करना है जहाँ डिफॉल्ट की स्थिति में आर्थिक दंड लगाए जाते हैं।
- यह न्यायालयों को गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अधिक ध्यान देने में भी सक्षम बनाएगा।
- समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि क्या किसी समाधान निषिद्ध अपराध को क्षमायोग्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है या नहीं।
- समिति एक आंतरिक तंत्र स्थापित करना चाहती है जहाँ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय-21 प्रणाली द्वारा संचालित तरीके से जुर्माना लगाया जा सकता है ताकि विचारशीलता को कम किया जा सके।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय-21 कंपनी के अधिनियम के तहत हितधारकों के लिये वैधानिक फाइलिंग जमा करने हेतु एक पोर्टल है।

सदस्य

- इंजेती श्रीनिवास, कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव (अध्यक्ष)
- लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं बीएलआरसी के अध्यक्ष (सदस्य)
- उदय कोटक, एमडी, कोटक महेंद्रा बैंक (सदस्य)
- शार्दुल एस श्रॉफ, कार्यकारी अध्यक्ष, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी (सदस्य)
- अजय बहल, संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबीएंड पार्टनर्स (सदस्य)
- अमरजीत चोपड़ा, सीनियर पार्टनर, जीएसए एसोसिएट (सदस्य)
- अरघ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (सदस्य)
- सिद्धार्थ बिड़ला, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की (सदस्य)
- सुश्री प्रीति मल्होत्रा, पार्टनर एवं स्मार्ट ग्रुप की कार्यकारी निदेशक (सदस्य)
- संयुक्त सचिव (पॉलिसी), कंपनी मामले मंत्रालय (सदस्य-सचिव)

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है?

(a) श्री इंजेती श्रीनिवास (b) नारायणमूर्ति
(c) उदय कोटक (d) रतन टाटा

2. निम्नलिखित में से कौन क्रोनी पूँजीवाद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है?

(a) पूंजीवाद का समावेशी चरित्र
(b) पूँजीवाद का लोक कल्याणकारी चरित्र
(c) पूँजीपतियों द्वारा उनके हितों की रक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. कोटक पैनल किससे संबंधित है?

(a) कृषि क्षेत्र से
(b) कॉर्पोरेट प्रशासन से
(c) सेवा क्षेत्र से
(d) परिवहन क्षेत्र से

नोट : 16 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल के दिनों में कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार के अनेक मामले देखे गए हैं। कोटक पैनल की सिफारिशें इसे दूर करने में कहाँ तक सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently, numerous matters of corruption are visible in the corporate governance system. To what extent the recommendations of Kotak Panel is helpful in tackling this? Discuss. (250 Words)

कंपनी अधिनियम, 2013 पर समीक्षा

IAS PCS

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'17 जुलाई, 2018'

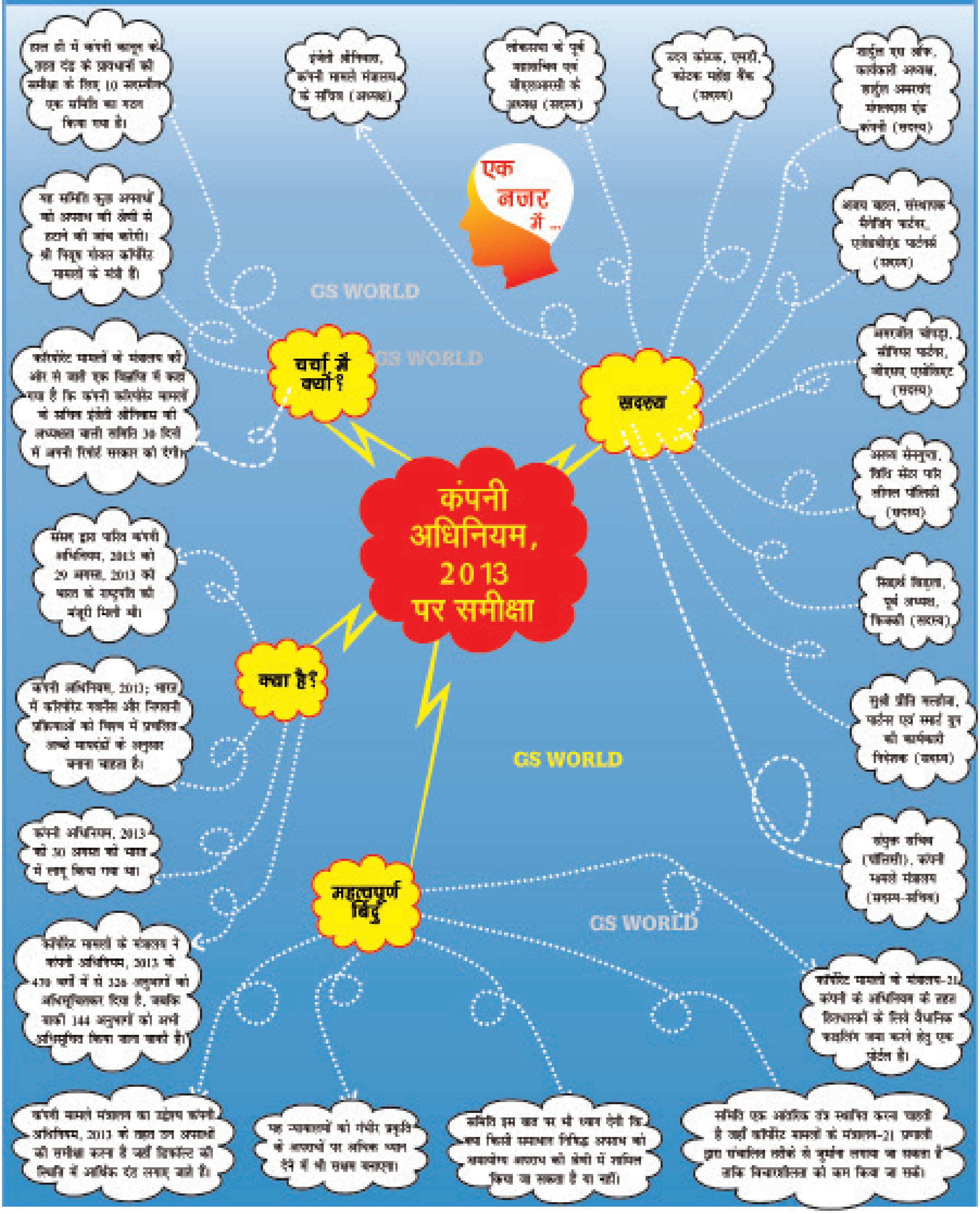

मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताएं

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

18 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''जून के लिए थोक मूल्य सूचकांक डेटा एक व्यापक समष्टि आर्थिक जांच की मांग करता है।''

थोक मूल्य सूचकांक मूल्य लाभ के एक उपाय के रूप में फिर से चर्चा में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून में थोक मुद्रास्फीति तेजी से वृद्धि दर्शाते हुए 54 महीने के अपने उच्चतम स्तर अर्थात 5.77% के नवीनतम आंकड़े पर पहुँच गया है जो एक गंभीर चिंता का विषय हैं।

देखा जाये तो डब्ल्यूपीआई अब भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण दृष्टिकोण में मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए प्राथमिक फोकस का विषय नहीं रहा है, क्योंकि इसकी भूमिका अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निभा रहा है। इसके बावजूद यह आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है।

थोक मूल्य लाभ का माप औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में महत्वपूर्ण अपस्फीतिकारक है और वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

जून के लिए डब्ल्यूपीआई आंकड़ों पर एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि कई दबाव बिंदु करीब मैक्रो-इकोनॉमिक जांच की मांग करते हैं।

न केवल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही मुद्रास्फीति को लगातार प्रभावित कर रही हैं, (जून में 214 आधार अंकों के महीने-दर-महीने वृद्धि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देकर) बल्कि ईंधन और बिजली समूह में तेजी से दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

ईंधन और बिजली समूह में मुद्रास्फीति फरवरी के बाद से हर महीने बढ़ती रही है अर्थात जहाँ फरवरी में यह 4.55% था वही जून में यह 16.18% पहुँच गया था।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति इस साल मई में 4.43% और पिछले साल जून में 0.9% था। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से जारी डेटा में इसका उल्लेख है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं के वर्ग में महंगाई जून, 2018 में 1.80% रही जो मई में 1.60% थी। सब्जियों के भाव सालाना आधार पर 8.12% ऊंचे रहे।मई में सब्जियों की कीमतें 2.51% बढ़ी थीं।

इस दौरान आलू की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 99.02% ऊंची चल रही थीं। मई में आलू में महंगाई 81.93% थी। इसी प्रकार प्याज की महंगाई दर जून में 18.25% रही है जो इससे पिछले महीने 13.20% थी। दालों के दाम में गिरावट बनी हुई है।

जून में दाल दलहनों के भाव सालाना आधार पर 20.23% घट गए थे। सरकार ने अप्रैल की थोक मूल्य महंगाई को संशोधित कर 3.62% कर दिया है। प्रारंभिक आंकड़ों में इसके 3.18% रहने का अनुमान लगाया गया था।

विनिर्मित उत्पाद जो 64.2% के सबसे बड़े वजन के साथ डब्ल्यूपीआई का तीसरा प्रमुख समूह-स्तर घटक है, चिंताजनक व्यापक मुद्रास्फीति प्रवृत्ति की भी संकेत दे रहे हैं।

यह उपभोक्ता मूल्य लाभ के माध्यम से फीड कर सकता है, जो जून में पांच महीने के उच्चतम 5% तक पहुंच गया था। 564 वस्तुओं में फैले इस समूह में मुख्य मुद्रास्फीति जून में लगातार तीसरे महीने तक 4.17% हो गई थी।

मिश्र धातु इस्पात कास्टिंग से स्टेनलेस स्टील ट्यूबों, स्टेनलेस स्टील ट्यूबों से तांबे की प्लेटों और एल्यूमीनियम शीट्स में वस्तुओं की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें मई में 15.79% की बढ़ोतरी हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए, मूल्य लाभ को प्रतिकूल आधार प्रभाव के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जून 2017 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति सिर्फ 0.9% थी।

लेकिन यहाँ नीति निर्माताओं में सतर्कता की कमी देखी गयी हैं, खासतौर पर खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और समग्र कृषि उत्पादन पर इस साल मानसून के स्थानिक प्रभाव के संदर्भ में।

बढ़ती महंगाई दर रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक ही है। बैंक ने अपने ताजा अनुमान में अक्टूबर- मार्च छमाही में खुदरा महंगाई दर 4.7% रहने का अनुमान जताया है।

इससे पहले उसका पूर्वानुमान 4.4% था। मौद्रिक नीति समीक्षा की पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोत्तरी की थी। केंद्रीय बैंक ने चार साल बाद नीतिगत दर में वृद्धि की है।

आखिरकार, उच्च डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की निरंतर प्रवृत्ति न केवल आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने के लिए दबाव डालेगी, बल्कि जीडीपी विकास की गति को भी कमजोर कर सकती है।

GS World Committed to Excellence

GS World टीम...

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में थोक महंगाई दर में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। जून महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गया है।
- महंगाई दर में इजाफे की वजह महंगी सब्जियां और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा बताया गया है।
- ये आंकड़े पिछले 4 साल में सर्वाधिक है।
- पिछले महीने थोक महंगाई दर का आंकड़ा 4.43 प्रतिशत था। जबकि पिछले साल ये आंकड़ा मात्र 0.90 प्रतिशत था।

क्या है?

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किये गए भुगतान के आधार पर की जाती है।
- इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किये गए मूल्यों की गणना की जाती है।
- भारत में मुद्रास्फीति की गणना इसी सूचकांक के आधार पर की जाती है।
- भारत में इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- इसमें प्राथमिक वस्तुएं अर्थात ईंधन और बिजली के आंकड़े साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। अन्य सभी वस्तुओं पर या ओवरआल एक महीने में किये जाते हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे अन्य समष्टिगत आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष के साथ इसे संरेखित करने के लिये मई 2017 में अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- खाद्य वस्तुओं के वर्ग में मुद्रास्फीति जून, 2018 में 1.80 फीसदी रही जो मई में 1.60 फीसदी थी।
- सब्जियों के भाव सालाना आधार पर 8.12 फीसदी ऊंचे रहे। मई में सब्जियों की कीमतें 2.51 फीसदी बढ़ी थीं।
- बिजली और ईंधन क्षेत्र की मुद्रास्फीति दर जून में बढ़कर 16.18 फीसदी हो गई जो मई में 11.22 फीसदी थी।
- आलू की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 99.02 फीसदी थी। मई में आलू में मुद्रास्फीति 81.93 फीसदी थी।
- बैंक ने अपने ताजा अनुमान में अक्टूबर-मार्च छमाही में खुदरा महंगाई दर 4.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले उसका पूर्वानुमान 4.4 फीसदी था।
- मौद्रिक नीति समीक्षा की पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी।
- मौद्रिक नीति समिति की अगली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 30 जुलाई से एक अगस्त के बीच होगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक; घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आटा, दाल, चावल, ट्यूशन फीस आदि पर जो खर्च करते हैं; इस पूरे खर्च के औसत को ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से दर्शाया जाता है।
- इसमें 8 प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है।
- ये हैं शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य एवं पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा खर्च।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में 2004-05 है।
2. इसे हेडलाईन मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में किस प्रकार के खर्चे को शामिल किया जाता है?

(a) संचार (b) परिवहन
(c) कपड़े (d) उपरोक्त सभी

3. थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

(a) श्रम ब्यूरो (b) आर्थिक सलाहकार कार्यालय
(c) डाक विभाग (d) भारतीय रिजर्व बैंक

नोट : 17 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c), 3(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित जारी किए गए आंकड़े भारत में एक व्यापक समष्टि आर्थिक जांच की आवश्यकता पर बल देता है।'' चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Recently released data related to wholesale Price Index emphasize on the need of an extensive macro-economic enquiry. Discuss. (250 Words)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

IAS PCS

सोत– द हिन्दू आर्टिकल
'18 जुलाई, 2018'

एक नजर में...

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

GS WORLD

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में थोक महंगाई दर में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। जून महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गया है।
- महंगाई दर में इजाफे की वजह महंगी सब्जियां और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा बताया गया है।
- ये आंकड़े पिछले 4 साल में सर्वाधिक है।
- पिछले महीने थोक महंगाई दर का आंकड़ा 4.43 प्रतिशत था। जबकि पिछले साल ये आंकड़ा मात्र 0.90 प्रतिशत था।

GS WORLD

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)?

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अनाज, दाल, चावल, ट्यूशन फीस आदि पर जो खर्च करते हैं; इन पूरे खर्च के औसत को ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से दर्शाया जाता है।
- इसमें 8 प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है।
- ये हैं शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य एवं पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा खर्च।

GS WORLD

क्या है?

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किये गए भुगतान के आधार पर की जाती है।
- इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किये गए मूल्यों की गणना की जाती है।
- भारत में मुद्रास्फीति की गणना इसी सूचकांक के आधार पर की जाती है।
- भारत में इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- इसमें प्राथमिक वस्तुएं अर्थात ईंधन और बिजली के आंकड़े साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। अन्य सभी वस्तुओं पर ये आंकड़ा एक महीने में किये जाते हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जैसे अन्य समष्टिगत आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष के साथ इसे संरेखित करने के लिये मई 2017 में अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है।

GS WORLD

महत्वपूर्ण बिंदु

- मौद्रिक नीति समिति की अगली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 30 जुलाई से एक अगस्त के बीच होगी।
- मौद्रिक नीति समीक्षा की पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
- बैंक ने अपने ताजा अनुमान में अक्टूबर-मार्च छमाही में खुदरा महंगाई दर 4.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले उसका पूर्वानुमान 4.4 फीसदी था।
- आलू की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 99.02 फीसदी थी। मई में आलू में मुद्रास्फीति 81.93 फीसदी थी।
- बिजली और ईंधन क्षेत्र की मुद्रास्फीति दर जून में बढ़कर 16.18 फीसदी हो गई जो मई में 11.22 फीसदी थी।
- सब्जियों के भाव सालाना आधार पर 8.12 फीसदी ऊंचे रहे। मई में सब्जियों की कीमतें 2.51 फीसदी बढ़ी थीं।
- खाद्य वस्तुओं के वर्ग में मुद्रास्फीति जून 2018 में 1.80 फीसदी रही जो मई में 1.60 फीसदी थी।

GS WORLD

GS WORLD

द हिन्दू

लेखक-
डी.एन. देवी (साहित्यिक आलोचक और एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता)

''हालिया जनगणना डेटा अपर्याप्त रूप से भारत की भाषाई रचना को प्रतिबिंबित करता है और वैश्विक विचारों के साथ असंगत मालूम पड़ता है।''

जब कोई भाषा गायब हो जाती है तो इसके साथ सदियों से इकट्ठा हुए ज्ञान भी हमेशा के लिए चली जाती है। यह काफी चिंता की बात है। संस्कृति के बड़े हिस्से सशस्त्र संघर्षों के मुकाबले नीतिगत उपकरणों में मामूली बदलावों के माध्यम से खत्म हो जाते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति की रचनाओं को नष्ट करने के लिए सुनामी की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार संस्कृति का विनाश किसी नौकरशाह के सौहार्दपूर्ण निर्णय से समाप्त हो सकता है। यहां तक कि एक जानबूझ किये गये भाषा की जनगणना बहुत कुछ नुकसान पंहुचा सकते हैं।

पिछले कई दशकों में, हर सरकार द्वारा प्रत्येक 10 साल पर जनगणना की जाती रही है। 1931 में किये गये जनगणना का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इस जनगणना में यह भी पता लगाया था कि किस जाति और और किस समुदाय के कितने लोग भारत में मौजूद है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण वर्ष में 1941 में यह जनगणना प्रभावित हुई थी। वर्ष 1951 में हुए जनगणना में भी भाषाओं की गिनती नहीं गयी थी। वर्ष 1961 में हुए जनगणना में भाषाओं की गिनती हुई और पता चला कि 1652 मातृभाषा है।

वर्ष 1971 में हुए जनगणना के अनुसार, यह संख्या घट कर केवल 109 थी।जहाँ तर्क यह दिया गया था कि 10,000 लोगों से कम बोली जाने वाली भाषाओं को नहीं शामिल किया जायेगा। हांलाकि, इस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और न ही यह एक उचित निर्णय था, लेकिन इसे मान्यता मिल गयी और यह अभी तक कायम है।

हिट्स और मिस

भाषा गणना हर दशक के पहले वर्ष में होती है। निष्कर्ष सात साल बाद सार्वजनिक किए गए हैं, क्योंकि भाषा डेटा की प्रसंस्करण आर्थिक या वैज्ञानिक डेटा को संभालने में कहीं ज्यादा समय ले रही है। इस महीने की शुरुआत में, भारत की जनगणना ने 2011 की जनगणना के आधार पर भाषा डेटा सार्वजनिक किया। जनगणना कार्यालय का भाषा विभाजन प्रशंसनीय, लेकिन प्रस्तुत किया गया डेटा कई प्रश्नों को जन्म देता है।

जनगणना के दौरान, नागरिकों से उनकी मातृभाषा पूछने पर पता चला कि देश के नागरिकों के द्वारा 19,569 भाषा बोली जाती है, हांलाकि, ये तथ्य तकनीकी रूप से ठोस नहीं है। पिछली भाषाई और सामाजिक जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने फैसला किया कि इनमें से 18,200 को भाषा नहीं कहा जा सकता है।

कुल 1,369 भाषाओं को ही भाषा का नाम दिया गया है। चुने गये 1,369 'मातृभाषा' नामों के अलावा, 1,474 अन्य मातृभाषा के भी नाम शामिल थे। इन्हें अन्य की श्रेणी में रखा गया था।

1,369 को कुल 121 'समूह लेबल' के तहत समूहीकृत किया गया है, जिन्हें 'भाषा' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से 22 संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं, जिन्हें 'अनुसूचित भाषा' कहा जाता है। शेष 99 'अनुसूचित भाषाएं' हैं।

एक विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश समूहों को जबरदस्ती बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, 'हिंदी' भाषा के तहत, लगभग 50 अन्य भाषाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए भोजपुरी (5 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और इस भाषा का अपने स्वयं का सिनेमा, रंगमंच, साहित्य, शब्दावली और शैली है) 'हिंदी' के अंतर्गत आती है।

इसके अलावा, राजस्थान को हिंदी के तहत शामिल किया गया है जिसकी खुद की अपनी भाषा है और इसे लगभग 3 करोड़ लोगो द्वारा बोला जाता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 52,83,47,193 लोग अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है। ये जो आंकड़े है उसे बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है।

अंग्रेजी का उपयोग

इसके विपरीत, अंग्रेजी का उपयोग दूसरी भाषा के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से नहीं देखा जाता है। हम शिक्षा, कानून, प्रशासन, मीडिया और स्वास्थ्य देखभाल में अंग्रेजी के व्यापक उपयोग को देखते हैं। कुछ हद तक यह हमारे बहुभाषी देश में एकीकरण की भाषा है।

जनगणना के अनुसार कुल 2,59678 भारतीय अपनी ष्मातृभाषाष के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है।

फोकस पॉइंट

समय-समय पर, यूनेस्को शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, आजीविका की रक्षा और संस्कृति और ज्ञान परम्पराओं को संरक्षित करने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने की कोशिश करता है। 1999/2000 में, इसके द्वारा 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया और हर वर्ष मनाये जाने लगा, जबकि वर्ष 2001 में 'सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा' ने मानवता की भाषाई विरासत की रक्षा और अभिव्यक्ति, निर्माण और प्रसार में समर्थन देने के सिद्धांत को स्वीकार किया।

इस प्रयास में, यूनेस्को ने भाषाओं विविधता नेटवर्क लॉन्च किया है और इसके लिए अनुसंधान में समर्थन भी किया है। आने वाले दिनों में यूनेस्को विश्व में खतरे में जा रहे भाषाओँ के लिए एक एटलस भी जारी करेगा, जिससे हम जान सकेंगे कि कौन सी भाषा खतरे में है और फिर उसका बचाव किया जा सकेगा। लेकिन दु:ख की बात यह है कि हमारी भाषा जनगणना यूनेस्को के इन विचारों और सिद्धांतों को नहीं मानती है?

एक उम्मीद करता है कि भारत में जनगणना को देश की भाषाई संरचना को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह अच्छा अभ्यास नहीं है जब डेटा न तो शिक्षकों और न ही नीति निर्माताओं या भाषाओं के वक्ताओं की मदद करता है।

जनगणना में, अधिक समय, ऊर्जा और धन का खर्च होता है, इसलिए हमारे भाषा जनगणना को चाहिए कि वह सभी समुदायों के संस्कृति को शामिल करे और हमारे इस अमूर्त विरासत को संरक्षित रखे।

* * *

GS World टीम...

भाषा की सही गणना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी हुए जनगणना डेटा के अनुसार, भारत में भाषा घट रही है, जो कि एक गंभीर समस्या है।
- तकनीकीकरण के इस दौर में तकरीबन 42 ऐसी भाषाएँ अथवा बोलियाँ है जिनका अस्तित्व संकट में है, हालाँकि इन भाषाओं अथवा बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं हैं।
- ये भारत की विशाल एवं प्राचीनतम संस्कृति की द्योतक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि

- 1872 से ही हर 10 सालों में जनगणना होती है।
- 1931 में किये गये जनगणना का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इस जनगणना में यह भी पता लगाया था कि किस जाति और किस समुदाय के कितने लोग भारत में मौजूद है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण वर्ष में 1941 में यह जनगणना प्रभावित हुई थी।
- वर्ष 1951 में हुए जनगणना में भी भाषाओं की गिनती नहीं की गयी थी।
- वर्ष 1961 में हुए जनगणना में भाषाओं की गिनती हुई और पता चला कि 1652 मातृभाषा है।
- वर्ष 1971 में हुए जनगणना के अनुसार, यह संख्या घट कर केवल 109 थी।

अन्य अध्ययनों के अनुसार

- जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाओँ के साथ-साथ तकरीबन 100 गैर-आधिकारिक भाषाएँ बोली जाती हैं।
- इन 42 संकटग्रस्त भाषाओं अथवा बोलियों में से 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं।
- इन भाषाओं में ग्रेट अंडमानीज, जरावा, लामोंगजी, लुरो, मियोत, ओंगे, पु, सनेन्यो, सेंतिलीज, शोम्पेन और तकाहनयिलांग हैं।
- विश्व की तकरीबन 6,000 भाषाओं में से 4,000 भाषाएँ विलुप्तिकरण के खतरे से जूझ रही हैं। इन 4,000 भाषाओं में से 10% भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं।
- अन्य शब्दों में कहा जाए तो, भारत में बोली जाने वाली कुल 780 भाषाओं में से लगभग 400 भाषाएँ विलुप्त होने की कगार पर हैं।

संविधान के अनुसार

- संविधान की आठवीं सूची में निहित अनुच्छेद 344 (1) और 351 के तहत राजभाषा हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
- ये हैं- असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
- इसके अलावा, देश में 100 से अधिक गैर-सूचीबद्ध भाषाएँ और बोलियाँ भी हैं।
- जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओँ को सूचीबद्ध किया गया है, ये देश की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- इनके अतिरिक्त, देश में 31 अन्य भाषाएँ भी हैं जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- जनगणना के आँकड़ों के अतिरिक्त देश में 1635 भाषाएँ तार्किक रूप से मातृभाषा हैं। जबकि 234 अन्य मातृभाषाओं की पहचान की गई है।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा सामान्यतः हमारे बहुभाषी देश में एकीकरण की भाषा है?
   (a) अंग्रेजी
   (b) संस्कृत
   (c) हिन्दी
   (d) उर्दू

2. निम्न में कौन-सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
   (a) हिन्दी
   (b) संस्कृत
   (c) सिंधी
   (d) भोजपुरी

3. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है?
   (a) 22 फरवरी
   (b) 21 फरवरी
   (c) 23 फरवरी
   (d) 20 फरवरी

1. Which of the following language is the language of integration in the country?
   (a) English
   (b) Sanskrit
   (c) Hindi
   (d) Urdu

2. Which of the following language is not included in Schedule VIII of the Constitution?
   (a) Hindi
   (b) Sanskrit
   (c) Sindhi
   (d) Bhojpuri

3. International Mother Tongue day is celebrated on?
   (a) 22 Feb
   (b) 21 Feb
   (c) 23 Feb
   (d) 20 Feb

नोट : 18 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(d), 3(b) होगा।

GS World Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भारत की भाषायी विविधिता की सुंदरता वैश्विकरण के युग में धुमिल हो रही है। चर्चा कीजिए। इसे संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से उपाए किये जा रहे है?

(250 शब्द)

The linguistic diversity of India is getting blurred in the age of globalization? Discuss. What efforts have been made by the government to preserve it?

(250 Words)

IAS PCS

भाषा की सही गणना

स्रोत– द हिन्दू आर्टिकल
'19 जुलाई, 2018'

GS WORLD

एक नजर में ...

भाषा की सही गणना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी हुए जनगणना डेटा के अनुसार, भारत में भाषा घट रही है, जो कि एक गंभीर समस्या है।
- तकनीकीकरण के इस दौर में तकरीबन 42 ऐसी भाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं जिनका अस्तित्व संकट में है, हालांकि इन भाषाओं अथवा बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।
- ये भारत की विरासत एवं प्रागैतिहासिक संस्कृति की द्योतक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि

- 1872 से ही हर 10 सालों में जनगणना होती है।
- 1931 में किये गये जनगणना का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इस जनगणना में यह भी पता लगाया था कि किस जाति और किस समुदाय के कितने लोग भारत में मौजूद हैं।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण वर्ष में 1941 में यह जनगणना प्रभावित हुई थी।
- वर्ष 1951 में हुए जनगणना में भी भाषाओं की गिनती नहीं की गयी थी।
- वर्ष 1961 में हुए जनगणना में भाषाओं की गिनती हुई और पता चला कि 1652 मातृभाषा हैं।
- वर्ष 1971 में हुए जनगणना के अनुसार, यह संख्या घट कर केवल 109 थी।

संविधान के अनुसार

- संविधान की आठवीं सूची में निहित अनुच्छेद 344 (1) और 351 के तहत राजभाषा हिंदी समेत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है।
- ये हैं- असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
- इसके अलावा, देश में 100 से अधिक गैर-सूचीबद्ध भाषाएँ और बोलियाँ भी हैं।
- जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, ये देश की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- इसके अतिरिक्त, देश में 31 अन्य भाषाएँ भी हैं जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

अन्य अध्ययनों के अनुसार

- जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं के साथ-साथ तकरीबन 100 गैर-आधिकारिक भाषाएँ बोली जाती हैं।
- इन 42 संकटग्रस्त भाषाओं अथवा बोलियों में से 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं।
- इन भाषाओं में ग्रेट अंडमानीज, जरावा, लामोंगसे, लूरो, मियोत, ओंगे, पु, सानेन्यो, सेंटिलीज, शोम्पेन और तकाहानयिलांग हैं।
- विश्व की तकरीबन 6,000 भाषाओं में से 4,000 भाषाएँ विलुप्तिकरण के खतरे से जूझ रही हैं। इन 4,000 भाषाओं में से 10% भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं।
- अन्य शोधों में कहा गया है की, भारत में बोली जाने वाली कुल 780 भाषाओं में से लगभग 400 भाषाएँ विलुप्त होने की कगार पर हैं।
- जनगणना के आँकड़ों के अतिरिक्त देश में 1635 भाषाएँ तार्किक रूप से मातृभाषा हैं, जबकि 234 अन्य मातृभाषाओं की पहचान की गयी है।

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph. : 011- 27658013, 9868365322

एमएसपी से संबंधित भ्रम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

20 जुलाई, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक-
अजय वीर जाखड़ (अध्यक्ष पंजाब राज्य किसान और फार्म श्रमिक आयोग)

''खरीफ फसलों की खरीद कीमतों में बढ़ोतरी केवल किसानों को झूठी आशा देगी।''

क्या किसानों की असंतोष की सर्दी दो सप्ताह पहले खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एक शानदार गर्मी में बदल गई है? देखा जाये तो इस बढ़ोतरी में ग्रामीण अशांति को रोकने की क्षमता नहीं है जो सत्तारूढ़ गठबंधन के वोटबैंक को हिला के रख सकती है। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उन्हीं सरकारी कार्यक्रमों का रक्षा करना पड़ता है जो बेकार हो चुके है।

हमे यह जाने में कोई फायेदा नहीं है कि पीएमओ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में किए गए कार्यक्रमों का इरादा संदिग्ध था या नहीं। हांलाकि, किसानों के बढ़ते रोष को दूर करने के लिए, सरकार ने आखिरकार अनाज के आयात पर टैरिफ लगाकर कीमतों को किनारे लगाते हुए पहला विश्वसनीय कदम जरूर उठासर है। हालांकि, इसे घोषित हुए काफी देर हो चुकी है।

किसान संगठन मांग करते रहे हैं कि लागत मूल्य का मानक सी2 रखा जाए, लेकिन मोदी सरकार ने फिलहाल खरीफ फसलों का जो मूल्य घोषित किया है उसका आधार एफ2+एफएल लागत है। जानकारों के मुताबिक एमएसपी की लागत में एफ2+एफएल का सूत्र लगाया गया है जो यूपीए सरकार के मूल्य निर्धारण के तरीके पर कोई खास फर्क नहीं डालता है।

फिलहाल, सरकार ने अब एक उच्च एमएसपी की घोषणा की है, जो एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग के सिफारिशों (सी 2 + 50 प्रतिशत) से बहुत कम है, खासकर 2014 के चुनावों में बीजेपी द्वारा किये गये वादों में से।

नेशनल सैंपल सर्वे 2013 की रिपोर्ट खुद मानती है कि देश के केवल 33 फीसद किसान ही एमएसपी के बारे में जागरूक हैं।यह भी कि देश के केवल छह फीसदी किसान ही अपना उत्पाद समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं।

देखा जाये तो किसानों को हमेसा से धोखा दिया जाता रहा है, क्योंकि जीएसटी के कारण 20 फीसदी से ज्यादा इनपुट लागत और डीजल और उर्वरकों की कीमतों में पिछले साल की बढ़ोतरी में यह पूरी तरह से कारक सिद्ध नहीं हो पाई है। घोषित एमएसपी में सभी फसलों को खरीदने की प्रतिबद्धता भी भ्रामक है, क्योंकि सरकार सी 2 + 50 प्रतिशत मार्जिन प्रदान करेगी। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

उच्च एमएसपी पर सरकार का खुद को बधाई देने का रवैया एक गलत राजनीतिक रणनीति है। यह वास्तविक खरीद और मुनाफे के लिए किसानों की अपेक्षाओं को बढ़ाता है। अवास्तविक उम्मीदें तब असंतोष की आग में ईंधन का काम करती हैं।

किसानों के लिए मुख्य समस्या यह है कि फसलों की कीमतें जिनके लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है (आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन) पिछले एक साल में ऊचें दामों को छु चूका था और इससे केवल 10 प्रतिशत किसानों को फायदा हुआ। साथ ही सरकार को इस तथ्य को भी समझना होगा कि किसानों की समस्या सोशल मीडिया पर या जोरदार प्रचार से निपटाना संभव नहीं है।

उदाहरण के लिए, मक्का के पिछले साल का एमएसपी 1,425 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन बिहार के किसानों ने इसे 900 रुपये की औसत कीमत के पर बेच दिया।

एक एकड़ में लगभग 30 क्विंटल पैदा हुए और अब कीमत 19 फीसदी बढ़कर 1,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यदि बाजार मूल्य वही रहता है (जिसकी संभावनाअधिक है), जिससे किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक का नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अन्य फसलों के लिए समान हानि का भी सामना करना पड़ेगा।

पिछले साल दालों की खरीद के प्रशंसनीय रिकॉर्ड के बावजूद,वास्तविकताओं में बदलाव नहीं आया है। देखा जाये तो, सरकार को भी काफी नुकसान हुआ है। इसका एक आदर्श उदाहरण मूंग है। पिछले साल इसका एमएसपी 5,575 रुपये प्रति क्विंटल था।

सरकार अब खरीद के शेयरों को 4,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में कमी आ गयी। इस तरह के बड़े पैमाने पर खरीद के एक पैकेज में एक घटक होना चाहिए जहां खरीद पर अनुमान, अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर तत्काल डंप हो जाएं, भले ही इसमें नुकसान क्यों न हो।

GS World Committed To Excellence

विशेषज्ञों का एक तबका इस बात से चितिंत है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से महंगाई बढ़ सकती है और सरकारी खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा।

किसान कल्याण के लिए अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों ने वांछित परिणाम नहीं दिए हैं। बड़े टिकट सुधारों को चुनने के बजाय, सरकार को मामूली सुधार देखने की जरूरत है। ये, यदि समय के साथ लगातार लागू होते हैं, तो आवश्यक परिवर्तन प्रदान करेंगे।

प्रणाली में अपनी अक्षमता का निदान करने के लिए कौशल की कमी है। सरकारी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए किसानों का एक स्वतंत्र आयोग गठित किया जाना चाहिए, जो कृषि समुदाय को लाभान्वित करे।

भारतीय किसानों ने लंबे समय से यह सुनिश्चित किया है कि देश को किसी भी खाद्य कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंततः प्रधानमंत्री को यह बात घोषित करने का समय आ गया है- 'मुझे विश्वास है कि भारतीय किसान देश को समृद्ध बना सकते हैं, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम को रद्द करता हूं।'

तथ्य यह है कि भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कोई पैसे कि जरूरत नहीं है। इसे हासिल करने के लिए कुछ कठिन परिश्रम की आवश्यकता है।

* * *

GS World टीम...

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।
- खरीफ की सभी फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, धान, मूंगफली और कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा।
- धान का समर्थन मूल्य पहले 1,550 रुपए क्विंटल था, अब इसे 1,750 रुपए क्विंटल किया गया।
- 2012-13 में इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
- 2008-09 में धान पर एमएसपी में 155 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।

क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्यजिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- उत्पाद की लागत क्या है?
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है?
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है?
- मांग और आपूर्ति की स्थि ति क्या है?
- अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नेशनल सैंपल सर्वे, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 33% किसान ही एमएसपी के बारे में जागरूक है।
2. साथ ही देश के केवल 6% किसान ही अपना उत्पाद समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्न में से किस फसलों के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है?

(a) टमाटर
(b) प्याज
(c) लहसुन
(d) उपरोक्त सभी

3. **उच्च न्यूनतम मूल्य के परिणाम क्या हो सकते हैं?**

(a) महँगाई बढ़ सकती है।
(b) राजकोषीय घाटा बढ़ सकती है।
(c) बाह्य निर्यात कम हो सकती है।
(d) उपरोक्त सभी

1. Consider the following statements-

1. According to National Sample Survey 2013, only 33 percent farmers of India is aware of MSP.
2. Along with it, only six percent farmers are able to sell their product at minimum support price.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. For which of the following crop there is no supporting price?

(a) Tomato
(b) Onion
(c) Garlic
(d) All of the above

3. What can be the result of high minimum support price?

(a) Inflation can rise
(b) Revenue loss can rise
(c) export can decline
(d) All of the above

नोट : 19 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% की बढ़ोत्तरी किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने में एक सराहनीय कदम हैं, परन्तु इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सुनिश्चित नहीं होने पर यह भी एक दिवा:स्वपन ही साबित होगा। चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Although 50 % increase in minimum support price is a comendable step towards doubling income of farmers by 2022, but if its better implementation is not assured, it will also proved to be a dream. Discuss.

(250 Words)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

स्रोत– इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल | '20 जुलाई, 2018'

IAS
PCS

एक नजर में ...

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।
- खरीफ की सभी फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, धान, मूंगफली और कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ेगा।
- धान का समर्थन मूल्य पहले 1,550 रुपए क्विंटल था, अब इसे 1,750 रुपए क्विंटल किया गया
- 2012-13 में इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।
- 2008-09 में धान पर एमएसपी में 155 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी।

एमएसपी के निर्धारक कारक

- अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिति।
- मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है।
- बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है।
- इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है।
- उत्पाद की लागत क्या है।

क्या है?

- ऐसा न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिये तैयार रहती है।
- जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है।

एमएसपी का नया फार्मूला

- स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए लागत में डीजल के अलावा खाद-बीज, कर्ज पर ब्याज को शामिल करने को कहा था।
- साथ ही किसान का एक दिन का पारिश्रमिक तय कर इसे भी लागत में जोड़ने की सिफारिश की थी। इस हिसाब से लागत के 150 फीसदी तक एमएसपी रखने की सिफारिश की गई थी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।

एक 'ऐतिहासिक' निर्णय में दोष

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

21 जुलाई, 2018

द हिन्दू

लेखक-
डी. श्याम बाबू (वरिष्ठ फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली)

''एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम पर फैसले कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए संवैधानिक योजना के पतन को दर्शाता है।''

6 जुलाई को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के दिन, न्यायमूर्ति ए के. गोयल ने 20 मार्च, 2018 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी व्यक्ति से निपटने के तरीके के बारे में दिए गये फैसले का बचाव किया था।

उन्होंने कहा था कि कभी भी एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। समाज में आतंक का साया नहीं पनपना चाहिए ... हम नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जाति) / अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के किसी भी सदस्य को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए।

इस कहानी के फीके पड़ने से पहले हमे यह समझना होगा कि कैसे श्री गोयल का फैसला समाज के कमजोर वर्गों के साथ-साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के लिए उच्च पदों पर स्थित व्यक्तियों के एक निश्चित असहिष्णुता का प्रतीक है।

इस अधिनियम के तहत उन झूठे आरोपियों की रक्षा के लिए 'एक अंतर्निहित प्रावधान' की मांग पहली बार दिसंबर 2014 में एक संसदीय समिति द्वारा उठाई गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2018 में इस संदर्भ में अपना फैसला दे दिया था।

देश के सभी तीन अंग संविधान के पत्र और भावना दोनों के प्रति निष्ठा की कमी को दर्शाते हैं जो कमजोर वर्गों के अधिकारों से संबंधित है।

यह निर्णय अधिनियम के दुरुपयोग से सरकार और निजी क्षेत्रों में निर्दोष अधिकारियों और कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए अधिनियम के सीमित पहलू से संबंधित है (विशेष रूप से मामला पेटेंट झूठा या गलत इरादे से दायर की गयी हो तो)।

लेकिन, अफसोस की बात यह है कि निर्णय एक झूठे और खतरनाक संदेश को व्यक्त कर रहा है कि अत्याचार अधिनियम ष्शोषण या उत्पीड़न के लिए एक चार्टर और ब्लैकमेल का एक साधन या व्यक्तिगत प्रतिशोध को खत्म करने के लिए है।

अल्पसंख्यक अवरोध

संक्षेप में, ये फैसले उस पर आधारित है जिसे हम जानते तक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब अदालत ने अत्याचार मामलों में बड़ी संख्या में इन मामलों को गलत माना है, तो इसका कारण पुलिस उदासीनता, आरोपी की सामाजिक और आर्थिक शक्ति और उन अभियुक्तों पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों की निर्भरता, भी हो सकती है।

इसी तरह, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा इस अधिनियम के दुरुपयोग और सीमा पर कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। एससी/एसटी कर्मचारियों द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग के ये मामलें दर्जनों, सैकड़ों या हजारों में हैं।

क्या होता है जब एक अदालत निर्धारित करती है कि अत्याचार मामला झूठा है और इसे गलत इरादे से दायर किया गया था? अदालत ने कैसे पाया कि भारतीय दंड संहिता (धारा 191 से 195) के प्रावधान, जो साक्ष्य के गलत साबित होने पर दंड का निर्धारण करते हैं, अत्याचार मामलों में अपर्याप्त है? हमें इन सारे प्रश्नों का जवाब मालूम नहीं है और ना ही हम इसे जानना चाहते है।

क्या गृह मंत्रालय (अधिनियम के आपराधिक न्याय पहलू के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा नियमों के लिए नोडल मंत्रालय है) सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते है? हमें इसका भी ज्ञान नहीं है।

चूंकि खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से अधिनियम के दुरुपयोग के व्यापक पैटर्न को देखा है, इसलिए इस मुद्दे की जांच स्वप्रेरणा से करने या मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए उसके पास सभी शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया।

यह अदालत के साथ-साथ सरकार को प्रासंगिक तथ्यों और डेटा में पहुंच सुनिश्चित करने में सक्षम बना सकता था। लेकिन अदालत ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमें ये भी नहीं पता।

GS World Committed To Excellence

प्रक्रियात्मक चूक-

'समाज में आतंक' को समाप्त करने के लिए अदालत के सिंगल माइंडेड मिशन ने एससी / एसटी को प्रभावित करने वाली नीतियों को बनाने में संवैधानिक प्रक्रिया को गुमराह किया है। अनुच्छेद 338 का खंड 9 यह निर्धारित करता है कि संघ और हर राज्य सरकार अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग (अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग) से परामर्श करेगी।

अनुच्छेद 338 ए, जिसने अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया, अनुसूचित जाति के मामले को भी धारा 9 के अनुसार एक ही प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए, जब अदालत एससी/एसटी से संबंधित मामलों में नीति बनाने की बात करती है, तो यह भी इन आयोगों से परामर्श करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

20 मार्च के फैसले के खिलाफ सहज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन इस निर्णय को अस्थिरता प्रदान करता है। दूसरा और अधिक वास्तविक औचित्य यह हो सकता है कि 1950 से किसी भी सरकार ने इस प्रक्रिया का पालन करने की परवाह नहीं की है, इसलिए इस तरह के पुरातन प्रावधान के साथ शीर्ष अदालत फिर क्यों परेशान हो रही है?

देखा जाये तो यह केवल अनुच्छेद 338 नहीं है बल्कि संविधान का भाग-XVI भी है, जो अनुच्छेद का एक हिस्सा है, जिसे लंबे समय से लगातार सरकारों द्वारा कमजोर बनाया जाता रहा है।

इस कहानी में एक नया मोड़ संविधान (123 वां संशोधन) है जो एक नए अनुच्छेद 338 बी के तहत पिछड़े वर्ग के लिए नया राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहता है।

लेकिन, यहाँ सरकार को कम से कम यह समझना चाहिए कि वो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए परामर्श प्रक्रिया की नकल क्यों कर रहा है जो पहले से ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मामले में एक मृत बनी हुई है।

झूठे आरोपों का सामना करने वाले निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करने और अत्याचार अधिनियम को वैधता प्रदान करने के लिए करुणा, समानता, संविधान और जागरूकता के प्रति सम्मान की आवश्यकता है ताकि शीर्ष अदालत द्वारा बिना सोचे समझे की गई टिप्पणियों के भी कानूनी शक्ति प्राप्त हो सके। टिप्पणियों को अयोग्य तरीके से कानून की शक्ति प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश, 20 मार्च के फैसले ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया है।

GS World टीम...

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

क्या था मामला

- इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, वह डॉ.सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया था।
- महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी।
- इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया।
- यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 का संशोधित प्रारूप है।

क्या कहा न्यायालय ने?

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।
- सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले।
- इन नियमों का पालन न करने की स्थिती में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्यवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है।
- अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी किया जा सकेगा।
- गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत रखा जाना चाहिये या नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।

GS World Committed To Excellence

उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है।
- जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया।
- इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया।
   2. भारतीय संविधान का 123वां संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए नए आयोग बनाने से है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया जाएगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत झूठे आरोपियों की रक्षा के लिए 'एक अंतर्निहित प्रावधान' की माँग पहली बार दिसम्बर, 2014 में एक संसदीय समिति द्वारा उठायी गई।
   2. न्यायमूर्ति ए.के. गोयल का निर्णय अधिनियम के दुरूपयोग से सरकार और निजी क्षेत्रों में निर्दोष अधिकारियों और कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए अधिनियम के सीमित पहलू से संबंधित हैं।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**
   1. A Nation scheduled tribes commission has been established for scheduled tribes under the article-338B of the Indian Constitution.
   2. 123rd Amendment of the Indian Constitution is related to the formation of a commission for backward caste, which will be named National Backward Caste Commission.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. **Which of the following statements is/are correct?**
   1. The demand for "an inbuilt provision" to protect these falsely accused under the scheduled caste and the scheduled tribes Act was first raised by a parliamentary committee in 2014.
   2. The decision of justice A.K. Goel is related to the limited aspect of the act for protecting innocent officers and employees in government and private sectors from the misuse of the act.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 20 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम पर दिया गया फैसला कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए संवैधानिक योजना के पतन को दर्शाता है।" चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"Recent verdict on the SC/ST Atrocities Act by a justice marks the csllapse of the constitutional scheme to protect the weaker sections." Discuss.

(250 Words)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

23 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''अविश्वास प्रस्ताव केवल 2019 के राजनीतिक मंथन की शुरुआत है।''

कभी-कभी किये गये प्रयास अपने हिसाब से इनाम देते है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है। न तो टीडीपी, जिसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया और न ही कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से एक वर्ष पहले नरेंद्र मोदी सरकार को कम आंकने की आशा की होगी। कांग्रेस और इसके अभी तक नए अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए, यह प्रदर्शित करने का अवसर था कि वास्तव में विपक्षी दल एक विकासशील राजनीतिक का अनुसरण कर रहे है। देखा जाये तो इनमें से कई के पास सरकार के खिलाफ वोट देने के अलग-अलग कारण थे और वे सभी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर उत्सुक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, टीडीपी बीजेपी के साथ अपने स्पष्ट ब्रेक को सिग्नल करने के लिए इस प्रस्ताव का उपयोग करना चाहता था, क्योंकि बीजेपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर रहा है और इसी मुद्दे पर अगले साल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जबकि शिवसेना, जो सरकार में एक भागीदार है, वोटिंग से दूर रहा, बीजेडी और टीआरएस अन्य विपक्षी दलों के साथ इस दौर में शामिल नहीं हुए। बीजेपी सेना इस विद्रोह से कैसे भी निपटे, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र में एक-दूसरे की जरूरत है।

देखा जाये तो राहुल गांधी ने राफेल डील का मुद्दा उठाकर साफ छवि वाली मोदी सरकार पर सवाल खड़े किये हैं। वहीं कई विपक्षी दल एक साथ आये और बैंकिग घोटाला, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

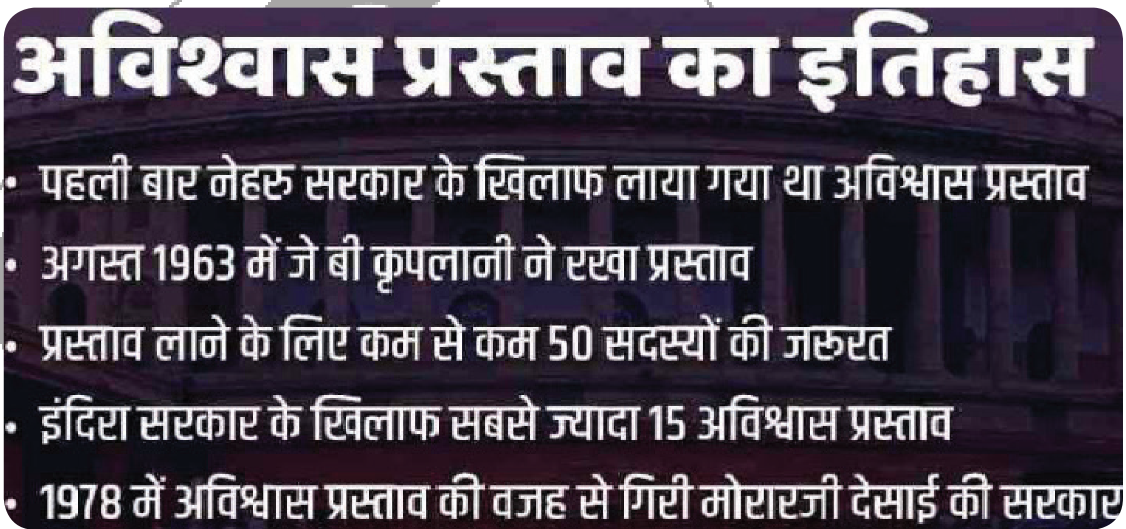

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है वो लोकसभा चुनाव में भी एजेंडा होंगे।

यदि बीजेपी की गठबंधन की चिंता महाराष्ट्र पर केंद्रित है, तो कांग्रेस का गठबंधन ज्यादातर अन्य राज्यों में कड़ी मेहनत करेंगे। यहां तक कि टीडीपी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा है, इसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी जो विभाजन के बाद काफी कमजोर होने के बावजूद आंध्र प्रदेश में सत्ता के लिए एक प्रतियोगी बना हुआ है। यद्यपि तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष के साथ मतदान किया, फिर भी ममता बनर्जी भाजपा के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय दलों के संघीय मोर्चा की बात कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कई राज्यों में गठबंधन की शर्तों को निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में, एसपी और बीएसपी प्रमुख खिलाड़ी हैं; बिहार में, आरजेडी अन्य विपक्षी दलों के साथ किसी भी वार्ता में अग्रणी स्थान लेगा। कर्नाटक में, जेडी (एस) एक मजबूत पहल करने के स्थिति में है; और तमिलनाडु में, डीएमके अग्रणी भागीदार है। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव क्षेत्रीय दलों के गैर-कांग्रेस, गैर-बीजेपी गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि वह कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के साथ अधिक सहज है, जो उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। बीजेडी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को विरोधियों के रूप में मनाता है और ओडिशा में कोई बड़ी गठबंधन देखने की संभावना नहीं है। 2019 के लिए दृश्य स्थापित करने के बजाय, अविश्वास प्रस्ताव केवल 2019 के राजनीतिक मंथन की शुरुआत है।

* * *

अविश्वास प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद इस संदर्भ में हुए मतदान में सरकार की जीत हुई।
- मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था।

क्या है अविश्वास प्रस्ताव?

- अविश्वास का प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जिसे विपक्ष द्वारा संसद में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है।
- यह प्रस्ताव संसदीय मतदान (अविश्वास का मतदान) द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है।
- इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं होता है।
- इसे लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है उनकी मंजूरी के बाद दस दिनों के अंदर इस पर चर्चा होती है।

क्या है नियम?

- संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है।
- अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है।
- अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की जरूरत होती है।
- अविश्वास प्रस्ताव जीतने में अगर सत्ता पक्ष नाकामयाब हो जाता है तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है और पार्टी का जो भी सदस्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर होता है उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है।
- अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल हर देश में किया जाता है, लेकिन हर देश में इसका प्रारूप अलग-अलग होता है।
- जैसे स्पेन, जर्मनी और इजरायल में अविश्वास प्रस्ताव के साथ विपक्ष को ऐसे व्यक्ति को भी नामित करना पड़ता है जो अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद सत्ता प्रमुख नियुक्त हो सकें।

पृष्ठभूमि

- भारत में सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरु की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था।
- दुनिया में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1782 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था।
- वर्ष 2003 के बाद यह पहली बार है जब विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

अब तक कुल कितने प्रस्ताव?

- वर्ष 1963 में समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी ने जवाहर लाल नेहरू सरकार के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
- अब तक के अविश्वास प्रस्ताव की संख्या कुल 27 हो गयी है।

सबसे ज्यादा किसके खिलाफ प्रस्ताव?

- इसका रिकॉर्ड इंदिरा गांधी सरकार के नाम है जिसके कार्यकाल में 15 बार प्रस्ताव पेश किया गया।
- 1966 से 1975 के बीच 12 बार और 1981 एवं 1982 में तीन बार उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया।

कितनी बार सरकारें गिरी

- अब तक सिर्फ तीन बार सरकार गिरी है।
- वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह सरकार, 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई।
- अब तक लोकसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिनमें पांच प्रधानमंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
   1. यह केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है।
   2. यह संसदीय मतदान द्वारा अस्वीकार या पादित किया जाता है।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   1. भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ आया था।
   2. पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के खिलाफ 2018 में छोड़कर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्न में से किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ था?

   (a) वी.पी. सिंह

   (b) एच.डी. देवेगौड़ा

   (c) अटल बिहारी वाजपेयी

   (d) इंदिरा गाँधी

नोट : 21 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. संसदीय लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव के महत्व को रेखांकित कीजिए। भारतीय अनुभवों के आधार पर यह बताये कि यह कितना सफल रहा है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Underline the importance of no-confidence motion in parliamentary democracy. Based on Indian experience, explain how much successful it has been? Discuss.

(250 Words)

बच्चों के लिए एक कानून

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

24 जुलाई, 2018

द हिन्दू

लेखक-
कैलाश सत्यार्थी
(बाल अधिकार कार्यकर्ता, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, 2014)

''संसद को नाबालिगों की सुरक्षा के लिए मानव तस्करी विधेयक, आपराधिक कानून संशोधन जल्द ही पारित करना होगा।''

यहाँ बदलाव की जरूरत है और परिवर्तन संसद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लाखों लोगों का वेश्यावृत्ति, घरों में और कारखानों में अंतहीन हिंसा के साथ शोषण किया जाता है। हजारों बच्चों को बचाने के बाद, मैं (लेखक) यह कह सकता हूं कि हमारे बच्चे अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं।

मैंने इस दलदल से बचाई गयी युवा लड़कियों से बात कि जिनका कहना था की उन्हें भैंस की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया था।

हाल ही में, दिल्ली में जींस कारखाने से मुक्त किये गये कुछ बच्चे मुश्किल से अपनी आंखें खोल सकते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले तीन वर्षो से सूर्य नहीं देखा था। उचित भोजन के बिना लंबे समय तक बैठकर काम करने से, वे अपंग बन गये थे।

ये अलग-अलग कहानियां नहीं हैं और इसलिए इसे राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाना चाहिए, जहां आठ बच्चे हर घंटे गायब हो रहे हैं; चार यौन शोषण के शिकार हो रहे है और दो बलात्कार का शिकार हो रहे हैं।

अब इस संदर्भ में आशा की एक किरण मानव तस्करी के खिलाफ एक मजबूत कानूनी तंत्र की स्थापना है और भारत एक ऐसे कानून के साथ आने के बहुत करीब है जो तस्करी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने में सक्षम साबित होगी। लोकसभा में व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पेश किया गया है।

यह विधेयक 12 लाख भारतीयों के लिए एक नैतिक जीत है जिन्होंने पिछले साल 12,000 किलोमीटर भारत यात्रा में मेरे (लेखक) साथ मार्च में बाल तस्करी और बच्चों के यौन शोषण पर युद्ध स्तर पर विरोध करने की घोषणा की थी।

तस्करी जैसे एक संगठित अपराध को ऐसे कानून की आवश्यकता होती है जो तस्करी करने वालों के जटिल कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दे।

प्रस्तावित बिल अवैध व्यापार के रूप में तस्करी के बड़े अर्थव्यवस्था के लिए ठोस झटका साबित होगा जो काले धन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तस्करी दुनिया का सबसे बड़ा अवैध व्यापार है जो 150 अरब डॉलर के पार है। मानव तस्करी से अर्जित हर पैसा काले धन ही है।

विधेयक अपराधियों के खिलाफ परीक्षणों के समयबद्ध पूरा होने का प्रस्ताव करता है, जिसमें मजबूत आर्थिक दंड जैसे संपत्ति और अपराध की आय को जब्त करना शामिल है।

इसके अलावा, कठोर कारावास और भारी जुर्माना इस संगठित अपराध को अपंग बना देगा। एंटी-तस्करी बिल भी दृढ़ विश्वास के बावजूद, समय-समय पर पुनर्वास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

विधेयक पहली बार तस्करी के बचे हुए लोगों के लिए एक केंद्रीय और राज्य स्तरीय पुनर्वास निधि के निर्माण की मांग करता है।

हाल ही में, चेन्नई में एक अपार्टमेंट परिसर में कई हफ्तों तक एक 11 वर्षीय लड़की के साथ 17 लोगों द्वारा बलात्कार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में एक करीबी रिश्तेदार ने 14 महीने की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था। ऐसी घटनाएं एक निवारक कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति में बढ़ रही हैं।

इस परेशानी और बढ़ती घटना का मुकाबला करने के लिए, आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार के अपराधियों के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान करता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ राज्यों में बलात्कार के मामलों का निपटान करने के लिए वर्तमान लापरवाही 50 से 100 साल तक अधिक है।

GS World Committed To Excellence

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विधेयक सभी जिलों में सभी फास्ट ट्रैक कोर्टों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करके त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अप्रैल में आये अध्यादेश की जगह इस विधेयक को एंटी-तस्करी विधेयक के साथ संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में भी पेश किया जाएगा।

पिछले 10 वर्षों में, भारत ने कानून के कई टुकड़ों को लागू करने और संशोधित करने में असाधारण प्रगति की है जो कि अपने बच्चों के अधिकारों को कायम रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगा - उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), पॉक्सो अधिनियम (2012) , किशोर न्याय अधिनियम (2015), 2016 का नया बाल श्रम कानून। इसके अलावा, पिछले दशक के दौरान कई अवसरों पर, न्यायपालिका ने लापता बच्चों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय, मानव तस्करी इकाइयों की स्थापना भी शामिल है। एक मजबूत एंटी-तस्करी कानून की अनुपस्थिति में, राज्य इन कानूनों और निर्णयों के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहा है।

तस्करी के बचे लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम होने के लिए, सांसदों को मानव तस्करी (बचाव, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 और आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक को त्वरित और निर्बाध मार्ग के साथ सुनिश्चित करना होगा।

* * *

GS World टीम...

मानव तस्करी (बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करों की कैद से आजाद हुए लोगों ने सांसदों और सामाजिक संगठनों से मिलकर मानव तस्करी (बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018 को संसद के इस मानसून सत्र में जल्द पारित कराने का अनुरोध किया।
- उन्होंने सरकार से अपील की है कि बिल में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वयस्क श्रमिकों को कार्य के लिए प्रेरित करने वालो को इस नए कानून के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

मानव तस्करी क्या है?

- इसमें किसी से भी जबरदस्ती मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिये किसी व्यक्ति को रासायनिक पदार्थ या हार्मोन देना, विवाह के लिये या विवाह के बहाने से या विवाह के बाद महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना शामिल है।
- मानव तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता के लिये जाली प्रमाण-पत्र बनाने, छापने और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिये जालसाजी करने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- यह तस्करी के बढ़ते रूपों को ध्यान में रखता है।
- पीड़ितों के पुनर्वास और त्वरित सुरक्षा के लिये प्रावधान
- इसमें पीड़ितों, गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
- पीड़ितों की गोपनीयता को उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करके बनाए रखा जाएगा।
- इससे सीमा पार और अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
- इस विधेयक में पहली बार पुनर्वास कोष स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिये किया जाएगा।
- इसमें पीड़ितों की शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास आदि शामिल हैं।
- समयबद्ध अदालती सुनवाई और संज्ञान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पीड़ितों को वापस अपने मूल स्थान पर भेजा जाएगा।
- पीड़ित को शारीरिक, मानसिक आघात से निपटने के लिये 30 दिनों के अन्दर अंतरिम राहत का और चार्जशीट दाखिल होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर उचित सहायता पाने का अधिकार होगा।
- पीड़ित का पुनर्वास अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने या मुकदमे के फैसले पर निर्भर नहीं करेगा।
- इसमें 10 वर्ष के सश्रम कारावास की न्यूनतम सजा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तथा कम-से-कम एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।
- इसमें मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिये प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का गठन किया गया है।

नोडल एजेंसी एवं संस्थागत ढाँचा

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो की तरह कार्य करेगी। इसके लिये NIA अधिनियम को अलग से संशोधित किया जाएगा।
- NIA को महिलाओं की सुरक्षा के लिये मानव तस्करी की जाँच करने हेतु एक सेल स्थापित करने के लिये निर्भया फंड के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- विधेयक जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर समर्पित संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है।
- यह तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा जाँच और पुनर्वास कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्न में से कौन शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए है?

(a) मदर टेरेसा

(b) कैलाश सत्यार्थी

(c) अमर्त्य सेन

(d) उपरोक्त सभी

2. कैलाश सत्यार्थी किस एन.जी.ओ. से जुड़े है?

(a) बचपन बचाओं आंदोलन

(b) अक्षयपात्र फाउडेंशन

(c) C.R.Y.

(d) इनमें से कोई नहीं

3. पॉक्सो अधिनियम कब पारित किया गया था?

(a) 2006

(b) 2004

(c) 2012

(d) 2009

1. Which of the following have not been awarded with Noble Peace Prize?

(a) Mother Teresa

(b) Kailash Satyarthi

(c) Amartya Sen

(d) All of the above

2. Kailash Satyarthi is associated with which NGO?

(a) Bachpan Bachao Andolan

(b) Akshaypatra Foundation

(c) C.R.Y.

(d) None of these

3. When was POCSO Act was passed?

(a) 2006

(b) 2004

(c) 2012

(d) 2009

नोट : 23 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(c), 3(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''पिछले 70 साल के लोकतंत्र में भारत बच्चों के गरीमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने में असफल रहा है।'' यह किन कारणों से हुआ है। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए आप कौन-से कदम उठाएंगे ताकि बच्चों की गरिमापूर्ण जीवन को स्थापित किया जा सके। चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"India has been unsuccessful in ensuring dignified life to children in its 70 years of democracy." What are the reasons for it. What steps would you take to ensure dignified life to children. Discuss.

(250 Words)

द हिन्दू

"बैंकों के लिए तनावग्रस्त संपत्ति बेचना अब आसान होगा, लेकिन फिर भी अन्य मुश्किलों के मुद्दे बने रहेंगे।"

भारतीय बैंक अपनी तनावग्रस्त संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अब पार करने में सिर्फ एक बाधा रह गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों सहित बैंकों के एक समूह ने सोमवार को अंतर-लेनदेन समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि वे अपने बैलेंस शीट पर गैर-निष्पादित ऋण (नॉन परफॉरमिंग एसेट्स यानी फंसे कर्ज) के त्वरित समाधान के लिए आगे बढ़ सकें।

अंतर-लेनदेन समझौते का उद्देश्य ऋण खातों के संकल्प के उद्देश्य से 50 करोड़ और उससे अधिक के आकार के साथ है जो उधारदाताओं के समूह के नियंत्रण में हैं।

यह बैड लोन को हल करने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 'सशक्त' योजना का हिस्सा है। इस करार के तहत कंसोर्टियम में शामिल मुख्य बैंक को ज्यादा शक्तियाँ दी गई हैं।

किसी रेजोल्शून प्लान को मंजूरी तब ही दी जाएगी, जब कंसोर्टियम में शामिल 66 फीसदी बैंक और वित्तीय संस्थाएं इसके लिए हामी भरें।

आईसीए के मुताबिक मुख्य बैंक को रेजोल्यूशन प्लान तैयार करने का अधिकार होगा। उसे इन्हें देनदारों के सामने पेश करना होगा।

इस करार के तहत कम से कम 50 करोड़ रुपये तक के एनपीए के मामले शामिल हैं। रेजोल्यूशन के लागू होने के बाद मुख्य बैंक अगले 180 दिनों के भीतर इस प्लान को लागू करेगा।

इसके बाद लीड बैंक विशेषज्ञों और इंडस्ट्री विशेषज्ञों को साथ लेकर इस प्लान को बेहतर तरीके से लागू करने का काम करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने खातों में समस्याग्रस्त संपत्तियों को पहचानने के लिए मजबूर किया है, लेकिन उनका संकल्प एक चुनौती बनी हुई है। बैंकर सुनील मेहता के मुताबिक, जिन्होंने योजना की सिफारिश की एक पैनल की अध्यक्षता की थी, संयुक्त उधारदाताओं के बीच तनावग्रस्त संपत्तियों को हल करने में व्याप्त असहमति सबसे बड़ी समस्या है।

इस तरह का एक समझौता बैंकों को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक संकल्प योजना पर कार्य शुरू करने के लिए राजी कर सकता है।

रिजॉल्यूशन प्लान काफी हद तक दिवालिया प्रक्रिया की तरह होगा। बड़ा फर्क यह होगा कि दिवालिया प्रक्रिया में जाने के बाद कंपनी का कामकाज प्रमोटर के हाथ में नहीं रहता, इसमें रहेगा।

कर्ज लेने वाले के सभी एसेट या उसके कुछ हिस्से की बिक्री या ट्रांसफर किया जा सकता है।

यह पिछले मॉडल के संदर्भ में एक सुधार है, जो लेनदारों के बीच सर्वसम्मति से पहुंचने के लिए पूरी तरह से संयुक्त उधारदाताओं पर निर्भर था।

यह उधारदाताओं के हितों के खिलाफ काम करेगा जो उनकी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही, अक्सर लेनदारों के बहुमत के हित में अक्सर उनकी संपत्तियों को निकालने का समय लगता है।

इस बीच, बैड लोन संकल्प में सबसे बड़ी बाधा खरीदारों की अनुपस्थिति है जो बैंकों से तनावग्रस्त संपत्तियां खरीदेंगे। जब तक सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती है, तब तक कुछ समय के लिए बैड लोन की समस्या अनसुलझी रहने की संभावना है।

* * *

GS World टीम...

प्रोजेक्ट सशक्त

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सरकारी बैंकों के लिए गले की फांस बन चुके एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए देश के 85 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने सोमवार को इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया।
- एग्रीमेंट करने वालों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक समेत 22 सरकारी, 19 निजी और 32 विदेशी बैंक और एलआईसी जैसे 12 बड़े वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
- यह एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 'सशक्त' योजना का हिस्सा है।
- प्रोजेक्ट सशक्त को सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
- इस योजना के तहत 5 सूत्री फॉर्मूला लागू होंगे।

क्या है?

- 50 करोड़ रुपये तक के फंसे कर्ज खातों के निपटारे के लिए हर बैंक में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।
- इससे फायदा छोटी व मझोली कंपनियों को सबसे ज्यादा होगा कि उन पर ही 50 करोड़ रुपये तक का एनपीए है।
- समिति 90 दिनों के भीतर इन सभी खातों के बारे में फैसला करेगी कि इन्हें और ज्यादा कर्ज देने की जरुरत है या इनके खाते को बंद करने की जरुरत है।
- 50 से 500 करोड़ रुपये तक के एनपीए खाता के लिए लीड बैंक की अगुवाई में फंसे कर्जे के निपटारे का फैसला किया जाएगा।
- इस श्रेणी के खाताधारकों को एक से अधिक बैंक कर्ज देते हैं इसलिए एक कर्ज देने वाले बैंकों के बीच एक समझौता किया जायेगा।
- 500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के अन्य एनपीए खाते जिनका निपटारा ।ड॰ के जरिए भी नहीं हो सकेगा उन्हें दिवालिया कानून के तहत ही सुलझाया जाएगा।
- इसे लागू करने के लिए इन बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति भी गठित होगी जो यह देखेगी कि तय नियमों का पालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है या नहीं।

लाभ

- ग्राहकों से ऋण वसूलने का काम बैंकों पर नहीं रहेगा।
- एएमसी पूरी तरह से बाजार आधारित होंगे और देश में एक से ज्यादा एएमसी का गठन होगा।
- इसमें देशी-विदेशी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं।
- AMC द्वारा 60 दिनों के भीतर एनपीए का निपटारा किया जा सकेगा।

इसकी पांच-प्रवृत्त रणनीतियां

1. एसएमई प्रस्ताव प्रवेश
2. बैंक नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश
3. AMC/AIF नेतृत्व वाले प्रस्ताव प्रवेश
4. NCLT/IBC प्रवेश
5. एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

सुनील मेहता समिति

- जून, 2018 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई में समिति का गठन किया था।
- इसकी अध्यक्षता सुनील मेहता को सौंपी गई थी।
- इस समिति को 'बैड बैंक' जैसी संरचना की व्यावहारिकता परखने एवं दो सप्ताह में संपत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के गठन के लिए सिफारिश देने के लिए कहा गया था।
- इस समिति में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ोदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एस जयकुमार तथा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सी.वेंकट नागेश्वर शामिल थे।

* * *

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. प्रोजेक्ट सशक्त के निम्न में से कौन-से उद्देश्य है?

(a) एनपीए की समस्या का समाधान करना

(b) किसानों की समस्या का समाधान करना

(c) उद्योगपतियों की समस्या का समाधान करना

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. सुनील मेहता समिति किससे संबंधित है?

(a) कृषि से

(b) उद्योगों से

(c) सेवा क्षेत्र से

(d) बैंकों से

3. निम्न में से कौन से प्रोजेक्ट सशक्त के लाभ हैं?

(a) ग्राहकों से ऋण वसूलने का काम बैंकों पर नहीं रहेगा।

(b) इससे बैंकों के एनपीए की समस्या हल हो सकती है।

(c) बैंकों की कार्यप्रणाली में सुदृढ़ता आएगी।

(d) उपरोक्त सभी

1. Which of the following is the objective of Project Sashakt?

(a) Solving the problem of NPA

(b) Solving the problem of farmers

(c) Solving the problem of industrialists

(d) None of the above

2. Sunil Mehta Committee is related to-

(a) Agriculture

(b) Industry

(c) Service Sector

(d) Banking

3. Which of the following is benefit of Project Sashakt?

(a) Loan recovery from customer will not be a work of bank

(b) It may solve the problem of NPA

(c) Working of banks will become robust

(d) All of the above

नोट : 24 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b), 3(d) होगा।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''इंटर-केडिटर समझौता बैंकों को एन.पी.ए. से निकालने का एक सुगम रास्ता प्रदान कर सकता है, परन्तु यह समाधान का अंतिम विकल्प नहीं है।'' चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

"Inter-creditor agreement can provide a simple path to banks to come out of NPA but, it is not the last option." Discuss.

(250 Words)

डिटेंशन नो क्योर : ऑन आरटीई एक्ट अमेंडमेंट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

26 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन केवल इसके प्रयोजन को कम करेगा।''

ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि राज्यों को कक्षा 5 या 8 में परीक्षा में विफल होने वाले छात्रों को रोकने की शक्ति देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने का कानून एक नकारात्मक उपाय है।

यद्यपि कई राज्य इस तरह के बदलाव चाहते हैं, लोकसभा द्वारा पारित संशोधन कई शिक्षाविदों के विचार के खिलाफ चला जाता है, जो तर्क देता हैं कि यह आरटीई अधिनियम की प्रगतिशील विशेषताओं को कमजोर कर देगा, जिसमें स्कूल में बच्चे की निरंतर उपस्थिति की गारंटी और रचनात्मक सीखने के चरण शामिल है।

प्रस्तावित परिवर्तन राज्य बोर्डों को किसी छात्र को फेल घोषित करने की अनुमति देगा और उसे परीक्षा के आधार पर कथित क्लास में ही रोक देगा, हालांकि आरटीई अधिनियम की धारा 30 (1) आश्वासन देता है कि प्राथमिक शिक्षा पूरा होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड परीक्षा का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित सीखने के परिणामों पर वास्तविक चिंताएं मौजूद हैं। लेकिन ये न केवल छात्र के प्रयास से बल्कि शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता, निरंतर मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण रूप से, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने में माता-पिता और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

इन निर्धारकों में से कुछ पर ध्यान नहीं दिया जा रही है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'ब्रोकन' स्कूल शिक्षा प्रणाली कहा है।

ग्रेड 3, 5 और 8 में परीक्षाओं को दोबारा शुरू करने वाले व्यक्ति के साथ नो डिटेंशन पालिसी को प्रतिस्थापित करने का मामला प्रावधान की समीक्षा के लिए स्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन की उप-समिति द्वारा किया गया था, लेकिन इसकी धारणा ही दोषपूर्ण थी, इसलिए कोई फायदा हुआ नहीं।

फिर भी, प्रावधान कानून के प्रति केन्द्रित है, क्योंकि यह ड्रॉपआउट सीखने और लाभ-शिक्षा से परे लाभ प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को विद्यालय में जाने में सक्षम बनाता है।

वास्तव में, 2016 में नीति आयोग ने पंजाब में एक अध्ययन के आधार पर पाया कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा में नो डिटेंशन को वापस लाने से ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी, गरीबों और दलितों को प्रभावित किया जाएगा क्योंकि वे सरकारी संस्थानों पर निर्भर थे।

इसके अलावा, प्रस्तावित 'इलाज' एक और समस्या का निर्माण कर सकता है: जब माता-पिता सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ होते हैं, तो यह भी असंभव है कि उन्हें नो डिटेंशन से रोकना या नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन करना, के साथ कार्य करेगा।

पर्याप्त विचार के बिना आरटीई अधिनियम के साथ झुकाव एक प्रमुख संवैधानिक उपलब्धि को खराब कर देगा।

* * *

नो डिटेंशन पॉलिसी

- नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम् हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। शिक्षा की धारा 21ए के तहत 6 और 14 वर्ष की उम्र के बीच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इस अधि नियम में सभी निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) के गरीबों और अन्य श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए) आरक्षित करना आवश्यक हैं।
- धारा-16 के तहत अधिनियम, पढ़ने, लिखने और कक्षा को पास करने में असमर्थ होने के कारण विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च दर के संबंध में, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षित नागरिकता रखने के लिए कक्षा आठवीं तक किसी छात्र को विद्यालय आने से रोकना या विद्यालय से निष्काषित करने से रोकता है।
- इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो (R.J. Barro) द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसने भी लगभग इसी प्रकार का निष्कर्ष निकला था।

सकारात्मक पक्ष

- अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि विश्व में सीखने की दृष्टि से भारतीय बच्चे किसी अन्य देश से आगे हैं। उदाहरणस्वरूप अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं।

समस्या

- मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता (Abysmal Quality of Governance) में कमी मानी गई है।
- शिक्षा प्रणाली 'समावेशी' नहीं है।
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी।
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
- अवसंरचना का अभाव।
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
- प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिये आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
- महंगी उच्च शिक्षा।
- लैंगिक मुद्दे।
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 'टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति' का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीति (no-detention policy) जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिये 'के. कस्तूरीरंगन समिति' (K. Kasturirangan) का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

* * *

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था?
   (a) 2007
   (b) 2008
   (c) 2009
   (d) 2010

2. शिक्षा का अधिकार भारत में है?
   (a) कानूनी अधिकार
   (b) संवैधानिक अधिकार
   (c) मूल अधिकार
   (d) उपर्युक्त सभी

Q. When was the Right to Education Act passed?
(a) 2007
(b) 2008
(c) 2009
(d) 2010

Q. Right to Education in India is-
(a) Legal Right
(b) Constitutional Right
(c) Fundamental Right
(d) All of the above

नोट : 25 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''नो डिटेंशन पालिसी के कारण शिक्षा के गुणवत्ता में व्यापक गिरावट आयी है।'' इसके रखने नहीं रखने के पीछे के तर्कों के आधार पर दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।

(250 शब्द)

"Quality of education has extensively declined due to no-detention policy." Present your point of view based on the reasons on retaining or not retaining it.

(250 Words)

क्या सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर हो गया है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

27 जुलाई, 2018

द हिन्दू

पक्ष

लेखक-
निखिल दे (मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य)

''प्रस्तावित संशोधन संरचनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे और पूरे अधिनियम को खत्म कर देंगे।''

2005 का सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पूरी तरह से और निर्णायक रूप से कमजोर हो रहा है। आइए इसे समझते हैं कि कैसे.....

एक दशक से अधिक समय तक, भारत के नागरिकों ने इस अधिनियम को संशोधन के माध्यम से दृढ़ता से सुरक्षित करने का प्रयास किया है ताकि इसे कमजोर करने के लिए किये जा रहे बार-बार प्रयासों को रोका जा सके। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी सरकार ने आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने वाले संशोधन के प्रस्ताव पर कभी ध्यान नहीं दिया।

बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने जानबूझकर योजना बनाई है और आरटीआई अधिनियम में संशोधन का एक सेट स्थापित किया है जो न केवल अधिनियम के एक हिस्से को कमजोर करेगा, बल्कि एकमात्र निकाय की आजादी और अधिकार को संरचनात्मक रूप से कमजोर कर देगा।

जानकारी तक पहुँच-

आरटीआई अधिनियम की एक अनोखी और आकर्षक विशेषता यह थी कि इसने कानून को लागू करने के लिए एक नए नौकरशाही का गठन नहीं किया था। आरटीआई अधिनियम ने प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए बाध्य किया था।

सूचना साझा न करने में निहित रुचि रखने वाले कई अधिकारियों के बावजूद, आरटीआई कानून ने सावधानी से और जानबूझकर देश में किसी भी कार्यालय को आदेश देने की शक्ति के साथ सूचना आयोग को देश के उच्चतम प्राधिकरण के रूप में अधिकार दिया है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रदान की जा सके।

और इसने आयोग को किसी भी अधिकारी को दण्डित करने का अधिकार दिया जिसने जनादेश का पालन नहीं किया हो। यह एक रणनीतिक प्रतिरोध था और इसकी सभी कठिनाइयों के साथ, सरकारी फाइलों और कार्यालयों से जानकारी निकलने लगी। शासन के कठोर और अंधेरे माहौल में, यह अधिनियम एक ताजा हवा और सुनहरी धूप के सामान था।

इसने एक ऐसी स्थिति का नेतृत्व किया है, जहां अनुमानित 70 लाख लोग हर साल जानकारी के लिए आवेदन करते हैं। देश में अन्य किसी भी कानून ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं की है जो सामान्य नागरिकों की पहल के बाद, अधिकारियों को अपना कर्तव्य नहीं निभाने पर उन्हें अपने वेतन से जुर्माना देने के लिए बाध्य करती हो।

इन्हीं सब चीजों को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरटीआई कानून की संरचनात्मक विश्वसनीयता खत्म हो जाए।

अधिनियम को कम करना-

इस विधयेक में यह कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के साथ वेतन में समानता स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीईसी एक संवैधानिक प्राधिकरण है। आरटीआई अधिनियम सूचना आयोग को एक संवैधानिक निकाय बनाने की कोशिश नहीं करता है।

ईएम सुदर्शन नचियप्पन, कानून की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ने राज्यसभा में कहा कि कानून पर चर्चा की जा रही है- यह विधेयक का सार है ... सूचना तक पहुंच का तंत्र इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।

इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आयोग और उसके कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से और पूर्ण स्वायत्तता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके लिए, भारत का निर्वाचन आयोग की अपनी स्थिति को बढ़ाना जरूरी है ... यदि यह संगठन (आयोग) ठीक से काम नहीं करेगा, तो इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है? हम कानून का हिस्सा बनने के लिए इस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, यह वही है जो बीजेपी सरकार आरटीआई कानून के साथ करना चाहता है।

* * *

विपक्ष

लेखक-
भूपेंद्र यादव (राज्यसभा के सदस्य, बीजेपी)

"पेश किया गया विधेयक अधिनियम में कोई मौलिक परिवर्तन करने का इरादा नहीं रखता है।"

सरकार पारदर्शिता और खुलेपन के लिए प्रतिबद्ध है। आरटीआई संशोधन विधेयक, 2018 का उद्देश्य पूरे देश में प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व को संरक्षित और बढ़ावा देना है। हालांकि, विपक्ष ने आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं।

आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन करने के लिए नागरिक अधिकारियों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

शक्तियों को कमजोर नहीं करता है-

इस विधेयक के जरिए सरकार सिर्फ यह चाहती है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों (आईसी) की सेवा शर्तों को बदल दिया जाए।अ मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो।

इस विधेयक को आवश्यक समझा गया क्योंकि अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में सीआईसी और आईसी की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें और शर्तों के बारे में एक स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अधिनियम की धारा 13 (5) क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) के लिए सीआईसी और आईसी की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तों और शर्तों के बराबर है।

इसी तरह, धारा 16 (5) राज्य सीआईसी की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तों और शर्तों को ईसी के बराबर समझाता है।

सीईसी और ईसी की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य नियम और शर्तें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के बराबर होती हैं।

इसलिए, सीआईसी, आईसीएस और राज्य सीआईसी उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के बराबर हो जाते हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग और केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत अलग है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और संसद, राज्य विधायिकाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

दूसरी तरफ, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं।

आरटीआई मजबूत बनाना-

चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग और केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के जनादेश अलग हैं, इसलिए उनकी स्थिति और सेवा शर्तों को तदनुसार तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन इस हद तक सीमित है।

इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन का प्रस्तावित संशोधन शुरू होने से पहले नियुक्त मौजूदा पदाधिकारियों की वेतन, भत्ते और अन्य शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन सीआईसी और आईसीएस का कार्यालय कम आकर्षक नहीं होगा, क्योंकि वेतन और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे।

विधेयक आरटीआई में कोई मौलिक परिवर्तन करने का इरादा नहीं रखता है; इसके बजाय, यह आरआईटी अधिनियम को सीआईसी और आईसीएस की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तों के लिए एक्सप्रेस प्रावधान प्रदान करने के माध्यम से अधिक पारदर्शी बनाएगा।

* * *

तटस्थ

लेखक-
बिमल जुल्का (सूचना आयुक्त)

''हमें अधिनियम के कार्यान्वयन का सामना करने वाले व्यावहारिक मुद्दों के बारे में सोचना होगा।''

मैं (लेखक) आरटीआई पारिस्थितिक तंत्र में सभी हितधारकों के विचारों का सम्मान करता हूं। हालांकि, लोकप्रियता और यथार्थवाद के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। आरटीआई अधिनियम में संभावित संशोधन के मुद्दे के आसपास जनवादी प्रवचन का सहारा लेने के बजाय, इसके क्रियान्वयन का सामना करने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।

सूचना का अर्थ-

यह देखा गया है कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) और (जे) में निहित 'सूचना' के अर्थ को समझना एक आदर्श बदलाव है। आवेदक आयोग की अधिकार क्षेत्र से परे विवादों की अपनी व्यक्तिगत शिकायतों और फैसले की मांग कर रहे हैं।

सीबीएसई बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि आरटीआई अधिनियम केवल उपलब्ध जानकारी प्रदान कर सकता है।

भारतीय संघ बनाम नमित शर्मा (2013) मामले में, अदालत ने कहा था कि 'सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने के अपने अधिकार के अलावा अपने कानूनी अधिकारों से संबंधित दो या दो से अधिक दलों के बीच विवाद का फैसला नहीं कर सकता है।'

बार-बार कई अदालतों ने इस संबंध में आयोग की अधिकारिक शक्तियों को परिभाषित किया है। फिर भी, आयोग सेवा विवादों से संबंधित कई व्यक्तिगत मुद्दों, वेतन और पेंशन तय करने, पदोन्नति अनुदान, वैवाहिक विवादों का निपटान, कर चोरी याचिकाओं के समयबद्ध समापन के अनुरोध, दुर्घटना से संबंधित दावों और मुआवजे जैसे का सामना किया है।

क्या आयोग के जनादेश में ऐसे मामलों को शामिल करना चाहिए? सार्वजनिक उपदेश के लिए एक मुद्दा है। विचार के लिए एक अन्य पहलू आयोग के आदेशों और संबंधित दंड प्रावधानों के अनुपालन के मामलों का निर्णय लेने के लिए शक्ति और प्रक्रिया के आसपास घूमता है।

आरटीआई तंत्र की सतत विकसित प्रकृति के व्यापक संदर्भ में सार्वजनिक अच्छी या सार्वजनिक रुचि की अवधि को समझने की भी आवश्यकता है।

वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करें-

आयोग ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जांच और विश्लेषण और साप्ताहिक बैठकों, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है।

प्रस्तावित संशोधन आयोग के विचार-विमर्श में कभी नहीं दिखाए जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग इस संबंध में संतुलित और विचारणीय विचार करेगा।

चर्चा के केंद्र में सूचना प्रदान करने और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और आवधिक सेमिनार, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आवेदकों और उत्तरदाताओं के प्रति जागरूकता के वास्तविक मुद्दों पर आरटीआई की प्रभावकारिता को पुन: मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अनुभव इंगित करता है कि हितधारक आरटीआई अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति अनजान रहते हैं। कई मौकों पर, यह पाया गया है कि लोक सूचना अधिकारी गैर-तार्किक आदेश पास करते हैं, अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करते हैं या अस्पष्ट, अपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं।

आयोग को एक ही विषय वस्तु पर एक ही आवेदक द्वारा दायर कई आवेदनों के मामलों का सामना करना पड़ता है। यह सार्वजनिक अधिकारियों के संसाधनों के असमान मोड़ का कारण बनता है।

एक सूचित नागरिक के लिए, सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों, युवा संगठनों और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन के नए युग में आरटीआई तंत्र को मजबूत किया जा सके।

* * *

GS World Committed To Excellence

GS World टीम...

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आरटीआई याचिका के जवाब में इस बात की पुष्टि की है कि वह सूचना के अधिकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है।
- लेकिन, सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्तावित संशोधन बिल का ब्योरा देने से इन्कार कर दिया है।
- अब देश में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है क्योंकि यह संशोधन इस अधिनियम की प्रभावशीलता को खत्म कर देगी।

क्या है?

- यह भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।
- इसके प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है जो उसे 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिये।
- सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- यह जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।
- सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय इसके अंतर्गत शामिल हैं।

धारा 244

- इसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होंगे।
- खुफिया और सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत खुफिया विभाग अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग और प्रवर्तन निदेशालय को भी शामिल किया गया है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कांग्रेस सरकार द्वारा इस सूची में शामिल किया गया था।
- आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 के तहत इन संगठनों को प्राप्त छूट में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के आरोपों से संबंधित सूचनाओं को शामिल नहीं किया गया है।

क्या बदलाव चाहती है सरकार?

- इस विधेयक के जरिए सरकार सिर्फ यह चाहती है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों (आईसी) की सेवा शर्तों को बदल दिया जाए।
- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो।
- सूचना अधिकारी का कार्यकाल पूर्व निर्धारित पांच साल होने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा तय हो।
- आरटीआई एक्ट, 2005 में राज्यों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि वे अपने मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करें, लेकिन संशोधन विधेयक 2018 उनको ये अधिकार नहीं देता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता और खुलेपन के लिए प्रतिबद्ध है।
   2. यह अधिनियम 2006 में पारित किया गया था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. आर.टी.आई. अधिनियम को लाने में अहम भूमिका निभाने वाली मजदूर किसान शक्ति संगठन के निम्न में से कौन संस्थापक सदस्य है?

   (a) भूपेंद्र यादव (b) निखिल दे
   (c) ऊषा मेहता (d) विमल जुल्का

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
   2. केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

नोट : 26 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभ. ावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य तर्क-वितर्क, चर्चा-परिचर्चा, प्रश्न पूछने की संस्कृति को आधार देता है, परन्तु सरकार के द्वारा इसमें प्रस्तावित संशोधन से इसे निष्क्रिय अधिनियम बनने की आशंका व्यक्त की जा रही है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Right to Information Act supports the basic values of democracy- discussion, reasoning and culture of asking questions but it is being apprehended that it will be made ineffective through the proposed amendment by the government. Discuss. (250 Words)

क्यों भारत का विवादास्पद डीएनए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

28 जुलाई, 2018

द वायर

''कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के हितधारकों ने इस विधेयक की आलोचना की है और कहा है कि इस विधेयक के आधार पर केंद्र ने गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है।''

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पहली बार संकल्पना के 15 साल बाद, भारत का विवादास्पद डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक इस सत्र में संसद में पेश किए जाने के लिए तैयार है।

विधेयक, जो 'डीएनए प्रोफाइल' रखने के लिए 'विशेष डाटाबेस' बनाएगा और फोरेंसिक-आपराधिक जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करेगा, पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों से घिर गया है।

पिछले साल कानून आयोग ने बिल के अंतिम संस्करण को प्रस्तुत किया था। सरकार ने जोर देकर इस कदम को देश के न्याय वितरण को समर्थन देने और मजबूत करने वाले के रूप में पेश किया था।

इस आलेख में इस विधेयक के संदर्भ में 4 कारण दिए गये हैं, जो यह बताएँगे कि इसे स्थायी समिति को क्यों भेजा जाना चाहिए।

कारण 1: पुट्टस्वामी निर्णय और श्रीकृष्ण की रिपोर्ट

दो हालिया और महत्वपूर्ण गोपनीयता-संबंधी घटनाओं के संदर्भ में, डीएनए विधेयक की जांच सरकार या कानून आयोग द्वारा नहीं की गई थी।

पहला 'गोपनीयता का अधिकार' निर्णय या पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, जो अगस्त, 2017 में सामने आया था और यह माना कि सभी भारतीय गोपनीयता के मौलिक अधिकार के हकदार हैं। यह निर्णय - जिसने 1958 के एमपी शर्मा मामला और 1961 के खड़क सिंह मामले में दिए गये फैसले को रद्द कर दिया था- फैसला सुनाया कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता में निहित है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है।

गोपनीयता के अधिकार को स्वीकृति मिलने से एक महीने पहले कानून आयोग ने जुलाई 2017 तक अपनी विचार-विमर्श समाप्त कर दी थी, इस पर विचार नहीं कर सका कि यह पुट्टस्वामी के फैसले से तात्पर्य रखता है या नहीं। वास्तव में, कानून आयोग की रिपोर्ट आने वाले गोपनीय निर्णय (उस समय) में कई उल्लेख करती है।

अपनी रिपोर्ट के 'निष्कर्ष' खंड में, कानून आयोग ने स्वीकार किया कि 2017 विधेयक 'गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करता है', लेकिन गंभीरता से यह भी कहता है कि भारत में, यह 'अकादमिक बहस का विषय' है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 का गोपनीयता एक अभिन्न अंग है या नहीं?

जैसा कि हम जानते हैं, यह वास्तव में अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सही भी ठहराया गया है। इस मुद्दे से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि 2017 विधेयक ने अभी भी कड़ाई से कुछ तथ्यों को परिभाषित नहीं किया है जैसे कि डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग कैसे किया जायेगा और इसमें ''सुरक्षा उपायों'' जो व्यक्तिगत अधिकारों को सक्षम करेगी, उसे कैसे सुनिश्चित किया जायेगा। इसलिए संसदीय स्थायी समिति इस तरह के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए सक्षम है कि डीएनए विधेयक पुट्टस्वामी के फैसले से कितना मेल खाती है।

दूसरा संदर्भ जिसमें बिल की जांच की जानी चाहिए वह न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण रिपोर्ट है जिसे अभी जारी किया जाना बाकी है। यह रिपोर्ट, जो पहले से ही देर हो चुकी है, डेटा संरक्षण और गोपनीयता के लिए एक ढांचा प्रदान करेगी और कैसे सार्वजनिक और निजी संस्थान किसी व्यक्ति के डेटा का उपयोग करेगी।

ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक के माध्यम से दबाव डालने का इरादा रखती है, जिसमें सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम पहले डेटा संरक्षण कानून लागू किए बिना ही हैं।

कारण 2: क्या भारत की कानून प्रवर्तन प्रणाली तैयार है?

जबकि डीएनए विधेयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निर्मित हुआ है, इसका वास्तविक उपयोग और उपयोगिता भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ है। इस संदर्भ में, यह अजीब बात है कि डीएनए विधेयक को गृह मंत्रालय या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गहन समीक्षा के अधीन नहीं किया गया है।

लोकनीति फाउंडेशन द्वारा दायर पीआईएल याचिका के जवाब में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के आसपास के कुछ मुद्दों के बारे में संक्षेप में जवाब दिया है, जो लगभग पर्याप्त नहीं थे।

जबकि भारत में आपराधिक जांच में डीएनए प्रोफाइलिंग और परीक्षण का उपयोग किया गया है, लेकिन उचित बुनियादी ढांचे और तकनीकी जानकारियों की कमी ने इसे व्यापक या प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

विशेषज्ञ समिति के कम से कम एक सदस्य ने डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक के 2012 संस्करण की समीक्षा की, जिस तरह से स्थानीय पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां नमूने के साथ बातचीत और एकत्रित करती हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है।

भारतीय पुलिस जांचों की उनकी कमजोर फोरेंसिक तकनीकों के लिए अत्यधिक आलोचना की गई है। और चिंताजनक बात यह है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में दिशानिर्देशों का एक सेट प्रसारित किया है कि कैसे जांच अधिकारियों द्वारा क्राइम सीन को खोजा जाये और वैज्ञानिक रूप से आपराधिक मामलों में डीएनए नमूने को एकत्रित, स्टोर करना और ले जाया जाये।

यदि विधेयक को स्थायी समिति को संदर्भित किया जाता, तो यह भारतीय पुलिस की तैयारी की स्थिति का आकलन कर सकता था। विशेष रूप से इस संदर्भ में कि कानून प्रवर्तन प्रणाली इसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से संभालने के लिए सुसज्जित है या नहीं।

कारण 3 : इसमें खर्च कितना आएगा?

भारत में सबसे बड़े पैमाने पर तकनीकी प्रणालियों की तरह, प्रस्तावित डीएनए डेटाबेस परियोजना भी लागत–विश्लेषण अध्ययन की कमी से पीड़ित है।

सभी बिलों को वित्तीय ज्ञापन के साथ होने की आवश्यकता है। इस मामले में, जैसा कि विशेषज्ञों ने बड़े स्तर पर विश्लेषण किया है कि बुनियादी ढांचे की स्थापना, नमूने एकत्रित करने और इसे संरक्षित करने और साथ ही साथ परिचालन लागत 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ये यूनाइटेड किंगडम में एक समान प्रणाली स्थापित करने में उपयोग की जाने वाली लागतों पर आधारित हैं। हालांकि, भारत सरकार ने कहा है कि पूरी परियोजना के लिए केवल 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

सरकार के संदर्भ में यह एक हास्यास्पद अनुमान प्रतीत होता है। एक अध्ययन के के अनुसार, आपराधिक आरोपों पर भारत में गिरफ्तार लोगों से डीएनए नमूने प्राप्त करने की लागत 1,800 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। यह आंकड़ा भारत की नोडल डीएनए प्रोफाइलिंग एजेंसी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी) के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लागतों पर आधारित है।

अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस संदर्भ में बहुत कम अनुमान लगा रही है? क्या निजता और सुरक्षा के मुद्दों पर यह बजट कम साबित नहीं होगा?

कारण 4 : जाति, निष्ठा का मामला

सिविल सोसाइटी के हितधारकों ने पिछले कुछ वर्षों में इसे कायम रखा है कि नई प्रणाली को संस्थागत पूर्वाग्रह में आगे योगदान नहीं देना चाहिए जो मौजूदा डीएनए पहचान में पहले से मौजूद है।

उदाहरण के लिए, सीडीएफडी पहले ही डीएनए नमूने के संग्रह के दौरान संदिग्ध के जाति के लिए पूछता है।

कानून प्रवर्तन तकनीकों जिनमें डीएनए तकनीक का उपयोग शामिल है, अक्सर 'कोल्ड हिट्स' अर्थात एक अपराधी और अपराध दृश्य के बीच एक या अधिक कनेक्शन का मिलना, के अभ्यास पर भरोसा करते हैं, जहां डीएनए डेटाबेस की खोज की जाती है, भले ही कोई जांचात्मक लीड मिले या ना मिले। डीएनए परीक्षण के साथ आने वाली रिलायबिलिटीज के साथ यह अभ्यास, पहले से ही कमजोर आबादी (दलित समुदायों) के लिए घातक साबित होता है जो पुलिस पूर्वाग्रह के जोखिम में वृद्धि कर रहे हैं।

किसी भी कानून को पारित करने से पहले और किसी डेटाबेस को बनाने से पहले एक स्थायी समिति को इस पर ध्यान देना चाहिए।

* * *

GS World Committed to Excellence

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018

संदर्भ

- 04 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी।

क्या है?

- फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों को पीड़ितों की पहचान, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, आश्रितों, गायब व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- डीएनए प्रोफाइल जानकारी लीक करने वाले ऐसे लोग या संस्थाएं जो इसके हकदार नहीं है, उन्हें तीन साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
- डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूने और अभिलेख सहित सभी डीएनए डेटा का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा, न कि 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए।
- बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

लाभ-

- 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक है।
- इनमें से केवल बहुत छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।
- इससे अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।

हानि-

- डीएनए की जानकारी और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा संग्रहीत किये जाने के तरीके से गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका होती है।
- विधेयक में कई अनुसूची ऐसे जोड़े गए हैं जो डाटा के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हैं।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार, डाटाबेस केवल आपराधिक जाँच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के डीएनए विवरण हटा दिये जाएंगे।
- इसमें एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है जो अंतिम प्राधिकरण होगा और राज्य स्तरीय डीएनए डाटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा तथा डीएनए-प्रौद्योगिकियों के संग्रहण और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकृति प्रदान करेगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **डीएनए विधेयक के विषय में क्या सत्य है/हैं?**

   1. विधेयक में डीएनपए प्रोफाइल रखने के लिए विशेष डाटाबेस बनाने का प्रावधान है।
   2. डीएनए डाटा का उपयोग फोरेंसिक-आपराधिक जाँच एजेंसियों के लिए सहायक सिद्ध होगा।
   3. 1991 में पहली बार नरसिम्हा राव ने डीएनए डाटा बेस की संकल्पना की थी।

   कूट-

   (a) केवल 1

   (b) केवल 3

   (c) 1 और 2

   (d) 1 और 3

1. **Which is/are correct regarding DNA bill?**

   1. There is a provision in the bill to make a special database for keeping DNA profiles.
   2. The use of DNA data will prove to be helpful for forensic-criminal Investigation agencies.
   3. First time Narshimha Rao concieved DNA data base in 1991.

   Code-

   (a) Only 1

   (b) Only 3

   (c) 1 and 2

   (d) 1 and 3

2. पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. यह मामला गोपनीयता से जुड़ा है।
2. इस मामले का निर्णय 24 अगस्त, 2017 को आया।
3. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।
4. यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद-27, 28 का समर्थन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केलव 3
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

3. एम.पी. शर्मा, 1958 और खड्क सिंह मामला 1961 के संदर्भ में क्या सत्य है?

(a) यह दोनों मामलें सार्वजनिक सम्पत्ति से जुड़ें है।
(b) यह दोनों मामलें पंजाब में अफ्सा कानून से संबंधित है।
(c) यह दोनों मामले गोपनीयता एवं मौलिक अधिकार से संबंधित है।
(d) न तो 1 और न ही 2

4. भारत सरकार डीएनए डाटाबेस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन है?

(a) सेंटर फॉर डाटा बेस इंस्टीट्यूट
(b) डीएनए फिंगर प्रिटिंग और डायग्नेस्टिक्स
(c) वर्चुअल डीएनए अथॉरिटी मैसूर
(d) इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेटाबोलिज्म

2. Consider the following statements regarding the judgement in Puttaswamy v/s Uniaon of India-

1. This judgement is related to privacy.
2. The judgement on this matter came on 24 August, 2017.
3. The Court said in this matter that Right to privacy is contained in the right of Life and Freedom.
4. This judgement supports article-27, 28.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 3
(b) 1 and 2
(c) 1, 2 and 3
(d) 1, 2, 3 and 4

3. What is correct about the case of M.P. Sharma 1958 and Kharak singh 1961?

(a) Both these cases are related to Public property.
(b) Both these cases are related to AFSPA act in Punjab.
(c) Both these cases are related to Privacy and Fundamental Rights.
(d) Both these cases are related to Habeas corpus under the right of Constitutional remedies.

4. Who of the following is the nodal agency for the DNA database project of Indian Government?

(a) Centre for Database Institute
(b) DNA Finger Printing and Dygnostics
(c) Virtual DNA Authority mysore
(d) Indira Gandhi Institute of Metabolism

नोट :
27 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. डीएनए विधेयक के अंतर्गत 'विशेष डीएनए डाटाबेस' आपराधिक जाँच में कैसे सहायक होगा? डीएनए डाटाबेस परियोजना में आने वाले चुनौतियों की चर्चा करें?

(250)

How will 'Special DNA database' under DNA bill be helpful in criminal investigation? Also, discuss the challenges to come in DNA database project?

(250 Words)

संरक्षण की परतें : भ्रष्टाचार विरोधी कानून में हुए बदलावों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

30 जुलाई, 2018

द हिन्दू

''ईमानदार लोक सेवकों की रक्षा करना आवश्यक है और यहीं भ्रष्टाचार विरोधी कानून का भी प्रयास होना चाहिए।''

हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाए गए भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन, मिश्रित बैग के समान हैं, अर्थात इसमें बहुत सारी बात सकारात्मक भी है और बहुत सारी बात नकारात्मक भी है।

सरकार द्वारा इस कानून में बदलाव करने का विचार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से किया गया था, जो यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया और मुख्य रूप से एक प्रावधान अर्थात धारा 13 (1) डी के दुरुपयोग पर केन्द्रित था।

देखा जाये तो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस खंड की आलोचना की थी, जिसके अंतर्गत आपराधिक कानून के आधारभूत सिद्धांत को अनदेखा करने के लिए लोक सेवक को 'किसी भी सार्वजनिक हित के बिना' आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए दोषी पाया गया है: आपराधिक मन:स्थिति।

इसके परिणामस्वरूप जब भी कुछ हासिल नहीं किया जा सका तो कई ईमानदार अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और किसी विशेष के पक्ष में अपनी शक्ति या विवेक का प्रयोग किया गया।

जैसा कि शासन पर इसका प्रभाव ना के बराबर है और बार बार एक कठोर निर्णय लेने से इसे रोक दिया जाता है, यह संशोधन ईमानदार अधिकारियों पर एक उदार प्रभाव साबित हो सकता है। इसके अलावा, यह अधिक संक्षिप्त है और दो अपराधों के लिए आपराधिक दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।

हालांकि, इसमें कई चिंताएं भी मौजूद है, यह विधेयक यह कहता है कि यदि किसी लोक सेवक के पास उनकी सोर्स ऑफ इनकम से अधिक संपत्ति मिलती है तो ये माना जायेगा कि वो अपराधी है और उन पर जांच की जाएगी।

इसके अलावा, इस विधेयक में नागरिकों द्वारा रिश्वत देने को भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप लाया गया है।

यह अपवाद केवल तभी संभव है जब किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है और वह कानून प्रवर्तन प्राधिकरण को सात दिनों के भीतर इसके बारे में सूचित करता है।

सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान बिल के अनुच्छेद 17-ए से जुड़ा है, जिसमें व्यवस्था है कि इस कानून के तहत अपराधों के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच-पड़ताल हो, इसके लिए उच्चतर अधिकारी (आरोपी कर्मचारी का निरीक्षण करने वाला) की पूर्वानुमति ली जानी होगी। पर यह फायदा हर सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। इसके तहत सिर्फ वे आएंगे, जिनकी 'सिफारिशें' या 'फैसले' रिश्वत के आरोपों के घेरे में हैं।

हालांकि इससे जुड़ा एक सहज सवाल है-उनका क्या होगा, जिन्हें रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाता है? विधेयक के पूर्व के प्रारूप में सिर्फ उनको संरक्षण दिया गया था, जिन्होंने पुलिस जांच के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत (संभवत: दिखावे के लिए) देने की पेशकश की हो।

इसके अलावा, यह उन्हें बेईमान लोक सेवकों के खतरों के प्रति संवेदनशील बना सकता है जो सार्वजनिक सेवाओं को गति देने के लिए घूस लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद उनका कार्य नही करते हैं। इस विधेयक में सबसे अस्वीकार्य परिवर्तन जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन का मानदंड है।

अनुचित अभियोजन पक्ष से सरकारी कर्मचारियों को संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वास्तविक अभियान को विधायी उपायों का एक पैकेज चाहिए।

यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा को सिर्फ दो विशिष्ट कारकों में सीमित करता है-पहला, अपने हितों के लिए दूसरे की संपत्ति का दुरुपयोग करना (उदाहरण के लिए किसी पुलिस अधिकारी का जब्त किए किसी वाहन का निजी इस्तेमाल करना) और दूसरा, नौकरी की अवधि में 'अवैध रूप से' खुद को लाभ पहुंचाना।

इनमें दंड का प्रावधान होना चाहिए, लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में एक लोकपाल बनाना चाहिए, साथ ही साथ समय-सीमा सेवाओं और व्हिसल-ब्लोअर (Whistle-blower) संरक्षण द्वारा नागरिकों को आश्वस्त करना चाहिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कानून या तो परिचालन नहीं हैं या अभी तक पूरा नहीं हैं।

GS World टीम...

भ्रष्टाचार निषेध (संशोधन) बिल, 2018

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संसद ने भ्रष्टाचार निषेध (संशोधन) बिल, 2018 पारित कर दिया।
- अब सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।
- इस विधेयक के द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम, 1988 में संशोधन किया गया।

पृष्ठभूमि

- भ्रष्टाचार निरोधक कानून करीब तीन दशक पुराना है।
- इसमें संशोधन की कवायद 2013 में हुई थी।
- इस विधेयक को पहले संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था।
- इसके बाद विधि विशेषज्ञों की समिति और फिर वर्ष 2015 में चयन समिति के पास भेजा गया।
- इस समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 2017 में बिल को संसद में लाया गया, लेकिन इस पर कोई फैसला तब नहीं हो सका था।

संबंधित तथ्य

- इस बिल के द्वारा रिश्वत देना दंडनीय अपराध निश्चित किया गया है।
- यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए बाध्य किया जाता है और वह व्यक्ति इस मामले की रिपोर्ट 7 से 15 दिन के भीतर करता है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा।
- इस बिल के द्वारा अपराधिक दुर्व्यवहार से सम्बंधित प्रावधान को पुनः परिभाषित किया गया है, इसमें गैर-कानूनी धन संग्रहण तथा संपत्ति का गबन शामिल हैं।
- इस बिल के अनुसार भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
- 'ऑन स्पॉट' रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के मामले में इस स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- इन मामलों के ट्रायल के लिए अधिकतम समय सीमा 4 वर्ष निश्चित की गयी है।
- इस विधेयक में रिश्वत लेने के दोषियों पर जुर्माने के साथ साथ 3 से लेकर 7 साल तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
- इस बिल के द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारी कर्मचारी की सम्पति जब्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

भारत में रिश्वत के संदर्भ में आंकड़े

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2016 के सर्वे के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों में भारत में सबसे ज्यादा रिश्वत दी जाती है।
- इन 16 देशों में भारत की रिश्वत दर सबसे ज्यादा है।
- भारत के 69 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा हासिल करने में यानी सरकारी काम करवाने में कभी ना कभी रिश्वत जरूर दी है।
- भारत के बाद वियतनाम का नंबर आता है, जहां 65 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रिश्वत दी है।
- सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 फीसदी लोगों ने रिश्वत दी, जबकि चीन में 26 फीसदी लोग रिश्वत देते हैं।
- सर्वे के मुताबिक भारत में 73 फीसदी गरीब लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है।
- हालांकि भारत में 55 प्रतिशत अमीरों को भी सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है।
- सर्वे के मुताबिक भारत में 10 में से 7 लोग, रिश्वत देते हैं।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम कब पारित किया गया?

(a) 1988
(b) 1981
(c) 1973
(d) 1964

2. भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम संशोधन बिल के अनुच्छेद-17A के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. यह अनुच्छेद निजी क्षेत्रों के उपमहाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की जाँच से संबंधित है।

1. When was the Prevention of Corruption Act passed?

(a) 1988
(b) 1981
(c) 1973
(d) 1964

2. Consider the following statements regarding the Article-17(A) of the Prevention of Corruption Amendment bill-

1. This article is related to the investigation of officers of vice-general manager level of Public sector.

2. इसके अंतर्गत अपराधी के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई जाँच-पड़ताल हो, इसके लिए उच्चतर अधिकारी की पुर्वानुमति ली जानी होगी।

उपर्युक्त कथन में से कोन-सा यत्य है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

3. लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें-

1. लोकायुक्त की व्यवस्था राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन से संबंधित है।
2. राज्य के हाईकोर्ट का रिटायर जज या मुख्यन्यायाधीश लोकायुक्त हो सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा सत्य है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

2. Under this, prior approval of competent authority to conduct any investigation into offence by a government employee has to be taken.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements regarding Lokayukts-

1. The system of Lokayukt is related to corruption free administration on state level.
2. Retired judge or chief judge of the hight court of state can become Lokayukt.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

नोट :
28 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c), 3(c), 4(b) होगा।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. भ्रष्टाचार निषेध संशोधन अधिनियम के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलूओं पर चर्चा करें। (250)

Discuss the Pros and Cons of Prevention of Corruption Amendment Act. **(250 Words)**

द बिग फाइव ऐट-10

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

31 जुलाई, 2018

द हिन्दू

लेखक-
राजीव भाटिया (प्रतिष्ठित फेलो, गेटवे हाउस और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उच्चायुक्त)

''ब्रिक्स अपने पहले दशक में काफी प्रभावशाली प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी भी यह अपने प्रारंभिक लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर है।''

ट्विटर के जमाने में, ब्रिक्स या ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ने 102-पैराग्राफ जोहान्सबर्ग घोषणा का निर्माण किया है, जो हाल के वर्षों में सबसे लंबा है। इसका तात्पर्य यह है कि या तो इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह को दुनिया की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहना है या इन्हें इसके लिए एक तेज तर्रार संपादक की जरूरत है।

वैसे पहली धारणा पर आगे बढ़ना समझदारी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रिक्स पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली प्रतीत हो रहा है, इसने अपने हितों का विस्तार किया है और अपने पहले दशक में नए संस्थानों और साझेदारी की स्थापना की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की आदत को ज्यादा महत्व दिया हैं।

फिर भी, तथ्य यह है कि ब्रिक्स अभी भी अपने शुरुआती लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर है: वैश्विक वित्तीय शासन में सुधार, संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिककरण और सुरक्षा परिषद का विस्तार- ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दो सदस्य (चीन और रूस) नहीं चाहते हैं कि अन्य तीन सदस्य भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ग्लोबल ऑर्डर में उनके स्तर पर पहुँच जाये।

शिखर सम्मेलन से प्राप्त तथ्य-

इस पृष्ठभूमि में, पिछले हफ्ते आयोजित 10वें शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक मामलों पर विशेष रूप से उभरते व्यापार युद्धों पर अपरंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में विचार-विमर्श किया गया। रूस के आर्थिक मामलों के मंत्री मैक्सिम ओरेस्किन ने कहा, शिखर सम्मेलन इसी संदर्भ में है। हम ऐसे समय में हैं, जब अमेरिका और चीन लगभग हर हफ्ते नए उपायों की घोषणा करते रहते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के आधार पर, ब्रिक्स नेताओं ने नियम-आधारित, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, खुले और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार की केंद्रीयता पर जोर दिया। यह बहुपक्षवाद, नियमों के पालन और एक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग के साथ अपनी व्यापक प्रतिबद्धता से उभरा है। ब्रिक्स के सदस्यों में से एक (चीन) शब्द और भावना का पालन नहीं करता है।

शिखर सम्मेलन से उत्पन्न होने वाला दूसरा बड़ा विचार राष्ट्रों को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करने में मदद करना है। मेजबान के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने इसपर अधिक ध्यान दिया है और इसके लिए पर्याप्त उत्साह पैदा करने में कामयाब रहा है। प्रतिभागियों ने इसे डिजिटल गठबंधन के रूप में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास पर एक नई रणनीति की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए गले लगा लिया है। हालांकि, नई औद्योगिक क्रांति (Part NIR) पर ब्रिक्स साझेदारी केवल सार्थक योगदान देगी यदि यह उद्योग के पांच मंत्रालयों से परे हो। इसे आज के प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्र में काम कर रहे निजी क्षेत्र और युवा नवप्रवर्तनकों के साथ संलग्न होना चाहिए।

शिखर सम्मेलन ने व्यापार स्तंभों को मजबूत होते देखा है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल विनिर्माण और ऊर्जा से वित्तीय सेवाओं और क्षेत्रीय विमानन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। इसके अलावा, नेताओं ने विकास पर एक समावेशी और 'पीपल-सेंटर्ड-अप्रोच' के प्रति अपनी वचनबद्धता को नवीनीकृत किया है। इसके अलावा, खेल, फिल्मों, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के माध्यम से बातचीत में निरंतर प्रगति सराहनीय रही है।

अफ्रीका, ब्रिक्स प्लस-

2013 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के लिए ब्रिक्स पहुंच शुरू हुई; जिसने अब गति पकड़ा है। लेकिन अफ्रीकी नेता इससे भी अधिक चाह रखते हैं। उन्हें अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नए विकास बैंक (एनडीबी) से बड़े ऋण की जरूरत है। एक दक्षिण अफ्रीकी अधिकारी ने कहा कि यह जल्द ही संभव हो जायेगा, लेकिन अनिश्चितता तो बनी रहती है। अब तक, एनडीबी ने कुल 5.1 अरब डॉलर के ऋण वितरित किए हैं, लेकिन सभी केवल अपने सदस्यों के लिए।

चीन ने विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देशों को आमंत्रित करके पिछले साल जियामेन शिखर सम्मेलन में 'ब्रिक्स प्लस' का प्रारूप पेश किया था। दक्षिण अफ्रीका ने इसका अनुकरण किया, अपनी पसंद के पांच देशों के शीर्ष-स्तर के प्रतिनिधित्व की उपस्थिति की व्यवस्था की अर्थात अर्जेंटीना, जमैका, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र। 'ब्रिक्स प्लस' देशों की सटीक भूमिका में विकास करने में समय लगेगा। नेताओं के बीच नेटवर्किंग के लिए यह कितना तत्काल लाभ प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में द्विपक्षीय बैठकें हुई। हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत थी, जो चार महीने में तीसरी बार थी, जिसने एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच समझौता की प्रवृत्ति को गहरा बना दिया है।

एकता और विचलन-

एक साझेदारी के रूप में जो विश्व की 40% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 22% है, ब्रिक्स तब तक एक प्रभावशाली आवाज बना रहेगा, जब तक कि इसके अभिसरण अपने विचलनों पर निर्भर न हों। ब्रिक्स के भीतर शक्ति समीकरणों में हो रहे बदलाव पर बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। चीन का प्रभुत्व एक वास्तविकता है, भले ही समूह सभी सदस्यों की संप्रभु समानता पर जोर देता है। इसका मुख्य कारण चीन-रूस निकटता रहा है। अपने राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न को देखते हुए, ब्राजील ने कम भूमिका निभाई।

श्री मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल इस बार काफी सक्रिय थे। दिल्ली की संतुष्टि के लिए, शिखर सम्मेलन में चार पैराग्राफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या के प्रति समर्पित थे। लेकिन ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्थापित करने के भारत के निर्णय का किसी ने समर्थन नही किया। भारत-दक्षिण अफ्रीका की भागीदारी ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि जोहान्सबर्ग घोषणा संतुलित हो।

हांलाकि, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स का प्रयास जी -7, जो विकसित देशों का समूह है और विशेष रूप से अमेरिकी प्रशासन के हाथों में है, पर प्रभावशाली प्रभाव डाल सकेगा।

GS World टीम...

2018 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों के समूह ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मलेन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहांसबर्ग में समाप्त हो गया।
- इस वर्ष का थीम: अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स सहयोग के नए क्षेत्र निम्नानुसार हैं

- शांति कार्य पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना।
- ब्रिक्स टीकाकरण नवाचार और विकास भागीदारों के साथ सहयोग के लिए एक टीका अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना।
- यह एक भौतिक अनुसंधान केंद्र है जो अनुसंधान एवं विकास (R & D) और टीका नवाचार पर केंद्रित है।
- ब्रिक्स जेंडर एंड विमेंस फोरम की स्थापना करना।
- ब्रिक्स टूरिजम ट्रैक ऑफ कोआपरेशन की स्थापना करना।

पृष्ठभूमि

- BRICS यानि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों का समूह।
- ब्रिक्स की अवधारणा ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील की देन है।
- इन 5 देशों में दुनिया की 44 फीसदी आबादी रहती है। दुनिया की कुल GDP का 30 फीसदी BRICS देशों में है, वहीं वर्ल्ड ट्रेड में इसकी 17 फीसदी हिस्सेदारी है।
- जुलाई, 2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में ये इस ग्रुप को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
- सितंबर, 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी BRIC ग्रुप के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इसे फॉर्मल ग्रुप बनाया गया।
- BRIC का पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में 16 जून, 2009 को किया गया था।
- साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल किया गया।
- ऐसे में BRIC ग्रुप, साउथ अफ्रीका (S) जुड़ने के बाद BRICS बन गया।
- भारत ने 2012 और 2016 में BRICS सम्मेलन की मेजबानी की है।

BRICS शब्द कहां से आया?

- BRICS, का एक साथ शब्द के तौर पर इस्तेमाल साल 2001 में इनवेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपने ग्लोबल इकनॉमी पेपर में किया था।
- उस पेपर का नाम था- द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकनॉमी ब्रिक्स।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ब्रिक्स देशों का समूह विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या से संबंध रखते है?
   (a) 62%
   (b) 40%
   (c) 12.5%
   (d) 7.9%
2. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स देशों का कितना प्रतिशत योगदान है?
   (a) 33%
   (b) 23%
   (c) 39.5%
   (d) 16%
3. 'ब्रिक्स प्लस' का प्रारूप किस देश ने प्रस्तुत किया था?
   (a) भारत
   (b) चीन
   (c) ब्राजील
   (d) दक्षिण अफ्रीका

1. **BRICS group of countries is related to what percentage of population of the world?**
   (a) 62%
   (b) 40%
   (c) 12.5%
   (d) 7.9%
2. **What percentage is the contribution of BRICS countries in global gross domestic product?**
   (a) 33%
   (b) 23%
   (c) 39%%
   (d) 16%
3. **Which country has presented the draft of 'BRICS Plus'?**
   (a) India
   (b) China
   (c) Brazil
   (d) South Africa

नोट :
30 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(b), 3(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ब्रिक्स देशों द्वारा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में किए जा रहें प्रयासों की चर्चा करें एवं ब्रिक्स प्लस की अवधारणा पर चीन के दृष्टिकोण का रूख स्पष्ट करें।

(250 शब्द)

Q. Discuss the steps taken by BRICS nations in global economic scenario. Explain the attitude of China on the concept of BRICS Plus.

(250 Words)